Par. S. 18. III. 32. 54
2[illegible]5

अंक ३

संख्या ३२

शनिवार

२७ मार्च, १९५४

1st Lok Sabha

संसदीय वाद विवाद

लोक सभा

छठा सत्र

शासकीय वृत्तान्त

(हिन्दी संस्करण)

(अंक ३ में संख्या ३१ से संख्या ४५ तक हैं)

भाग २—प्रश्नोत्तर के अतिरिक्त कार्यवाही

विषय-सूची

अनुदानों की मांगें—
- मांग संख्या ११—रक्षा मंत्रालय [पृष्ठ भाग २१६९—२२०४]
- मांग संख्या १२—रक्षा सेवायें—क्रियाकारी सेना [पृष्ठ भाग २१६९—२२०४]
- मांग संख्या १३—रक्षा सेवायें—क्रियाकारी नौसेना [पृष्ठ भाग २१६९—२२०४]
- मांग संख्या १४—रक्षा सेवायें—क्रियाकारी वायु सेना [पृष्ठ भाग २१६९—२२०४]
- मांग संख्या १५—रक्षा सेवायें—अक्रियाकारी व्यय [पृष्ठ भाग २१६९—२२०४]
- मांग संख्या १६—रक्षा मंत्रालय के अधीन विविध व्यय [पृष्ठ भाग २१६९—२२०४]
- मांग संख्या ११४—रक्षा पर पूंजी व्यय [पृष्ठ भाग २१६९—२२०४]
- मांग संख्या १७—शिक्षा मंत्रालय [पृष्ठ भाग २२०५—२२७६]
- मांग संख्या १८—पुरातत्व [पृष्ठ भाग २२०५—२२७६]
- मांग संख्या १९—अन्य वैज्ञानिक विभाग [पृष्ठ भाग २२०५—२२७६]
- मांग संख्या २०—शिक्षा [पृष्ठ भाग २२०५—२२७६]
- मांग संख्या २१—शिक्षा मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा व्यय [पृष्ठ भाग २२०५—२२७६]

सदस्यों के वेतन तथा भत्ते के सम्बन्ध में संकल्प— स्थानापन्न संकल्प संशोधित रूप में पारित [पृष्ठ भाग २२७७—२२९६]

संसद् सचिवालय, नई दिल्ली ।

52 PSD

(मूल्य ६ आने)

लोकसभा

शनिवार, २७ मार्च १९५४

सभा एक बजे समवेत हुई

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

प्रश्नोत्त

(प्रश्न नहीं पूछे गये। भाग १ प्रकाशित नहीं हुआ)

अनुदानो की मांगें--जारी

मांग संख्या ११--रक्षा मंत्रालय।

मांग संख्या १२--रक्षा सेवायें--क्रियाकारी--सेना।

मांग संख्या १३--रक्षा सेवायें--क्रियाकारी--नौ सेना।

मांग संख्या १४--रक्षा सेवायें--क्रियाकारी--वायु सेना।

मांग संख्या १५--रक्षा सेवायें--अक्रियाकारी व्यय।

मांग संख्या १६--रक्षा मंत्रालय के अधीन विविध व्यय।

मांग संख्या ११४--रक्षा पर पूंजी व्यय।

सरदार हुक्म सिंह (कपूरथला-भटिंडा): हमारे आय-व्ययक का पचास प्रतिशत भाग रक्षा पर व्यय किया जा रहा है। मुझे इस बात का खेद है कि हमने आकस्मिकता तथा जो खतरा हमारे आगे है उसके लिये कोई

अतिरिक्त उपबन्ध नहीं किया है। कुछ दिन पूर्व प्रधान मंत्री ने कहा था कि जब उद्जन बम का आविष्कार हो गया है तो ऐसे समय में होम गार्डस्, असैनिक रक्षा संगठनों, खाइयों तथा विमानों से होने वाले आक्रमणों के विरुद्ध पूर्वाविधारणाओं से कुछ अधिक लाभ न हो सकेगा और आक्रमण के समय हमें शान्तचित्त रहना चाहिये। किन्तु यदि उद्जन बम अचानक ही गिरा दिया जाय तथा यदि लोगों को ऐसी आकस्मिकता का सामना करने के बारे में कुछ न बताया जाय तो लोग शान्त कैसे रह सकते हैं? हम लोगों से यह कैसे कह सकते हैं कि वे ऐसे समय में घबड़ायें नहीं। जब इस प्रकार का खतरा उत्पन्न हो सकता हो और जब पाकिस्तान और अमेरिका के बीच संधि हो गई है तो हम जनता को यह आश्वासन नहीं दे सकते कि सरकार इस प्रकार के खतरे का सामना करने के लिये उत्सुक है। इसी पर सरकार से हमारा मतभेद है। प्रधान मंत्री ने यह भी कहा था कि खतरे के समय ये खाइयां तथा नियमों के विरुद्ध की जाने वाली पूर्वाविधारणायें कुछ हद तक आवश्यक हो सकती हैं। इस बात के पीछे जो यह भाव हैं कि खतरे के समय ये सब चीजें आवश्यक होंगी, उसे मैं समझ नहीं पाता। किन्तु मेरा विचार यह है कि खतरा आने से पहिले ये सब पूर्वाविधारणायें आवश्यक हैं और हमें यह सब कार्य करने पड़ेंगे। किन्तु जब हम देखते हैं कि आय-व्ययक में इस सम्बन्ध में कोई उपबन्ध नहीं है तो हमें खेद होता है।

[सरदार हुकम सिंह]

हमारे पास नवीनतम लेखा परीक्षा रिपोर्ट वर्ष १९५३ की है। उससे पता लगता है कि न. केवल दिल्ली में अपितु लन्दन में भी, जहां हमारा वस्तु क्रय विभाग है, निरीक्षण के अभाव के कारण बहुत साधन बेकार जा रहा है। उस रिपोर्ट को देखने से अन्य बहुत सी अनियमितताओं का भी पता लगता है। इस मामले में नियमों का तथा निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किया जाता है। उदाहरणार्थ डिब्बों में बन्द दूध तथा दूध के पाउडर के मामले को लीजिये। इनके लिये टेंडर नहीं मांगे गये थे। रक्षा मंत्रालय द्वारा पूछने पर उच्च आयुक्त ने लिखा कि इसके लिये प्रतियोगिता के आधार पर टेंडर मांगे गये थे। आस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूज़ीलैण्ड तथा यूरोप के अन्य देश, जो हमें माल देते थे छोड़ दिये गये थे। इन देशों ने इस मामले में लिखा पढ़ी की किन्तु इनसे टेंडर नहीं मांगे गये। इस प्रकार हम देखते हैं कि अन्य देशों की उपेक्षा की गई। किसी एक फर्म ने उच्च आयुक्त को बताया कि वह माल दे सकता था। इस फर्म से यह पूछा गया कि क्या वह २० जनवरी तक हमें पूरा माल दे सकता है या नहीं और उसके उत्तर की प्रतीक्षा किये बिना ही १६ जनवरी को माल देने का ऑर्डर दे दिया गया। एसबस्टो सीमेन्ट की चादरों का मामला भी बड़ा मज़ेदार मामला है। यह कहा जाता है कि इसके लिये भी समाचार पत्रों में बहुत विज्ञापन दिया गया था किन्तु आश्चर्य है कि केवल दो फर्मों ने ही टेंडर भेजे।

रक्षा संगठन मंत्री (श्री त्यागी) : माल खरीदने के मामलों से मेरा कोई सम्बन्ध नहीं है। इनका सम्बन्ध निर्माण, आवास तथा संभरण मंत्री से है। मैं तो केवल अन्य मंत्रालय को माल सूची दे देता हूं।

सरदार हुक्म सिंह : उस अवधि में इस काम के लिये रक्षा मंत्रालय उत्तरदायी था संभरण मंत्रालय नहीं।

उपाध्यक्ष महोदय : विभिन्न मंत्रालय चीजों को खरीदने या उनका प्रदाय किये जाने के लिये ऑर्डर देते हैं। यह कार्य संभरण मंत्रालय के द्वारा होता है। जो मंत्रालय सामान खरीदता है उसके मंत्री और जो मंत्रालय इसे खरीदने के लिये ऑर्डर देता है उसके मंत्री को भी ऐसे मामलों की चर्चा के समय उपस्थित रहना चाहिये। क्योंकि किसी मंत्रालय पर चर्चा के समय ही सदस्य यह कह सकते हैं कि दिया गया मूल्य अधिक है। आय व्ययक के दौरान में जब किसी मंत्रालय के बारे में चर्चा हो रही हो तो उसके प्रभारी मंत्री या उपमंत्री को उपस्थित रहना चाहिये। मुझे आशा है कि माननीय मंत्री इन मामलों पर उत्तर देने के लिये माननीय निर्माण, आवास तथा संभरण मंत्री को बुलवा लेंगे।

सरदार हुक्म सिंह : एस्बस्टो सीमेंट की चादरें जब यहां आईं तो उसमें बहुत सी चादरें टूटी हुई थीं। पूछने पर इसका कारण रक्षा मंत्रालय ने यह बताया कि वे खुली भेजी गई थीं। किन्तु उच्च आयुक्त के कार्यालय से बड़ा अजीब उत्तर आया कि अनुभव के आधार पर यह मालूम हुआ है कि ये चादरें खुली भेजने पर कम टूटती हैं और क्रेट या पेटियों में बन्द करके भेजने से बहुत टूटती हैं और इसीलिये इन्हें खुली भेजना आवश्यक समझा गया था। जब दुबारा चादरें फिर टूटी हुई आईं तो रक्षा मंत्रालय ने लिखा कि ये चादरें अब और न भेजी जायें। किन्तु जब तक यह पत्र वहां पहुंचा, तब तक ये सभी चादरें भारत में आ चुकी थीं। ये चादरें दस से बयानवें प्रतिशत तक टूटी थीं। जो चादरें टूटी नहीं थीं वे निर्धारित गुणों के अनुसार नहीं थीं और इसलिये बेकार थीं।

युद्ध सामग्री मई १९५१ में खरीदी गई थीं। रक्षा मंत्रालय का एक अधिकारी यूरोप गया और वहां उसने अस्त्र शस्त्रों का प्रदर्शन देखा। उसने किसी एक व्यक्ति को बिना लिखा पढ़ी किये हुए ही कुछ अस्त्र भेजने के आर्डर दिये। बाद में अस्त्रों के यहां आने पर मालूम हुआ कि इनके दाम बहुत अधिक थे। जब उस देश के उच्च आयुक्त से कहा गया तो उसने कहा कि अब हम जो आर्डर देंगे उसमें दस प्रतिशत दाम कम कर दिये जायेंगे। इस प्रकार हमने उनके लिये कम से कम दस प्रतिशत दाम अधिक दिये।

जब भारत सरकार को सेना के लिये खच्चरों की आवश्यकता थी तो उसने ईराक में अपने दूतावास को लिखा, जिसने यह सूचित किया कि एक फर्म खच्चर देने के लिये तैयार है। उन सौ खच्चरों को देखने के लिये रक्षा मंत्रालय का अधिकारी वहां गया और उस फर्म से यह ठेका तय हो गया। उस अधिकारी ने वहां देखा कि वहां तो एक भी खच्चर नहीं था। खच्चरों को लाने के लिये जो जहाज़ तय किया गया था उसको हमें बहुत अधिक रुपया देना पड़ा और उस अधिकारी का भी खर्चा उठाना पड़ा। इसी प्रकार से १६,००० रुपये का खराब मक्खन खरीद लिया गया था जिसे पिघला कर घी बनाना पड़ा। फिर ईंधन का मामला हुआ। सामान्यतया हम १ रु० ७ आ० प्रतिमन के हिसाब से जलाने की लकड़ी लेते थे। ईंधन देने के लिये जिस ठेकेदार को चुना गया था पहिले उसे १ रु० ४ आ० प्रति मन फिर २ रु० ३ आ० प्रतिमन और फिर जाड़ों में २ रु० १४ आ० प्रतिमन के हिसाब से आर्डर दिया गया। बाद में मालूम हुआ कि ईंधन तो आवश्यकता से बहुत अधिक और महंगे दामों पर ले लिया गया है। और उसे गर्मियों में जलाना पड़ा जबकि यह बहुत सस्ता मिल सकता था।

डिपो में १·६ लाख टन माल रखा है। इनमें ०·२ लाख टन माल रखा जा सकता है। बाकी सब धूप और बरसात में ही पड़ा रहता है। इस माल को खोलने पर मालूम हुआ कि इसमें कमी है। गत सात वर्षों में इसकी जांच पड़ताल ही नहीं की गई। इसमें लाखों रुपयों की हानि हुई और जो माल बचा है उस पर मौसम का प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार हर वर्ष लाखों रुपयों की हानि हो रही है जिसे रक्षा सम्बन्धी आवश्यकताओं पर लगाया जा सकता है। यही हमारी शिकायत है।

श्री बर्मन (उत्तर बंगाल–रक्षित–अनुसूचित जातियां) : रक्षा पर हमारे राजस्व का ५० प्रतिशत व्यय किया जाता है। इस मंत्रालय की बहुत सी बातें गुप्त होती हैं। रक्षा व्यय की चर्चा के लिये अधिक समय दिया जाना चाहिये जिससे कि इसके व्यय के विषय में सभी प्रकार की बातें उठाई जा सकें। आजकल के युद्ध का स्वरूप बहुत जटिल हो गया है और भारत सरकार के लिये यह बहुत कठिन है कि वह युद्ध के आधुनिकतम अस्त्र शस्त्रों से सेना को सुसज्जित कर सके। विशेषकर अणु बम तथा उद्जन बम के आविष्कार के पश्चात् रूस और अमेरिका की तुलना में हमारी स्थिति तुच्छ प्रकार की रह जाती है। किन्तु तो भी रक्षा मंत्रालय अपनी सामर्थ्य के अनुसार काफी काम कर रहा है। अणु युद्ध के बारे में हमारे प्रधान मंत्री ने बताया है कि यदि इस प्रकार का युद्ध हुआ तो आधा संसार नष्ट हो जाएगा। श्री एंथनी ईडन का भी इस विषय में यही मत है। किन्तु अमेरिका और रूस दो ऐसे राष्ट्र हैं जो आगामी विश्व युद्ध के लिये तय्यारियों में लगे हुए हैं। इस अवस्था में भारत अपनी स्थिति के सामरिक महत्व का लाभ उठाते हुए अपनी तटस्थता के आधार पर विश्व शान्ति की रक्षा कर सकता है।

[श्री बर्मन]

अमेरिका ने हमारे प्रधान मंत्री को आश्वासन दिलाया है कि पाकिस्तान को अमरीकी सामान का प्रयोग भारत के विरुद्ध किसी प्रकार के आक्रमण के लिए नहीं करने दिया जाएगा। किन्तु उनका कश्मीर के बारे में जो रवय्या है उसे देखते हुए हमें उनकी इस बात पर कुछ अधिक विश्वास नहीं हो सकता ।

हमारी सेना के विषय में मैं यह कहना चाहता हूं कि हमें उन्हें धीरे धीरे अपनी मद्य-निषेध नीति के अनुकूल चलाना होगा। हो सकता है कि किन्हीं विशेष अवसरों पर उन्हें इस सम्बन्ध में कुछ छूट देनी पड़े किन्तु मेरा यह मत है कि मद्यपान हमारे सैनिकों के लिए अनिवार्य पेय नहीं है। आंतरिक रक्षा के बारे में मैं एक बात रक्षा मंत्री को बताना चाहता हूं। गत महायुद्ध में बंगाल की भुखमरी का मुख्य कारण यह था कि हमारे परिवहन के साधन समुचित नहीं थे। जबकि पास के उड़ीसा राज्य में चावल ७ रुपये मन मिल रहा था कलकत्ता में इससे दुगुना भाव हो चुका था। हमें इस ओर अभी से ध्यान देना चाहिए जिससे किसी आकस्मिकता में अधिक कठिनाई न हो ।

श्री भक्त दर्शन (ज़िला गढ़वाल–पूर्व व ज़िला मुरादाबाद–उत्तर पूर्व) : सभापति जी, रक्षा मंत्रालय के अनुदानों के सम्बन्ध में होने वाले इस वाद विवाद में भाग लेने का साहस मुझे इसलिये हो रहा है कि पहले तो मेरा निर्वाचन क्षेत्र तिब्बत की सीमा से मिलता है और दूसरे जिस निर्वाचन क्षेत्र का मैं प्रतिनिधित्व करता हूं, इसमें कोई अतिशयोक्ति की बात नहीं कि उस क्षेत्र ने भारतीय सेना में बहुत बड़ी संख्या में सैनिक दिये हैं। इस बात का प्रमाण इस तथ्य से भी मिलता है कि नई सहायक प्रादेशिक सेना की योजना के अन्तर्गत जो कैम्प्स आज इस देश के कोने कोने में संगठित किये जा रहे हैं, उनमें से एक कैम्प आजकल लैंसडाउन में हो रहा है। इन कैम्पों के लिए अधिकतम संख्या ४८० की निर्धारित की गयी है और मुझे वहां जा करके बड़ी प्रसन्नता हुई कि उस कैम्प के लिये जो कोटा निश्चित किया गया था, वह ही पूरा नहीं हुआ बल्कि लगभग सौ नवयुवक बहुत दूर से चल कर आये, लेकिन उनको निराश होकर जाना पड़ा। मुझे पता नहीं है कि देश के अन्य भागों में भी इस नई योजना के लिये इतना सहयोग मिल रहा है या नहीं ।

सभापति जी, पिछले वर्ष इसी अनुदान के सम्बन्ध में बोलते हुए मैंने अपने प्रतिरक्षा संगठन के मंत्री महोदय को बधाई देते हुए यह आशा प्रकट की थी कि वे अपने नाम को सार्थक करेंगे अर्थात् अपने 'त्यागी' नाम के अनुसार वे प्रतिरक्षा के बजट में से एक काफ़ी बड़ी रक़म की बचत करके उसे विकास कार्यों में ख़र्च करने के लिए देंगे, लेकिन मैं देखता हूं कि इस वर्ष जो पुराना अनुदान था उसमें ६ करोड़ रुपये की वृद्धि और की गयी है। लेकिन जब देश की संकटपूर्ण परिस्थिति का हम अध्ययन करते हैं तो मैं समझता हूं कि यह ६ करोड़ की रक़म कुछ अधिक नहीं और इस बारे में मैं समझता हूं कि सदन के माननीय सदस्य मुझ से सहमत होंगे कि त्यागी जी ने जिस धन राशि की मांग की है, उसमें किसी तरह की कटौती नहीं करनी चाहिये ।

दूसरे उनके नाम में जो 'महावीर' शब्द आता है, तो मैंने यह आशा प्रकट की थी कि भारत की सेना जो पहले से ही वीर रही है, वे उसे अपने कार्यकाल के अन्दर 'महावीर' सिद्ध करेंगे : इस एक वर्ष के उनके कार्यकाल में हमारे देश के अन्दर ही नहीं बल्कि सुदूरपूर्व कोरिया में भी हमारे सैनिकों ने जो ऐतिहासिक आदर्श उपस्थित किया है, मैं समझता

हूं कि उनके द्वारा हमने संसार के इतिहास में एक नये पृष्ठ को अंकित किया है । कोरिया में हमारे अफसरों और सैनिकों ने जो शानदार परम्परा क़ायम की है, उसके लिये हमने उनकी प्रशंसा में बहुत गीत गाये हैं और कोरिया से लौटे हुए अपने जवानों का मद्रास हारबर में स्वागत किया है, तथा देहली रेलवे स्टेशन पर उनको हार पहनाये गये हैं। और ये हमारे फ़ौजी भाई इस स्वागत के सर्वथा योग्य थे क्योंकि कोरिया में सफलता के साथ उन्होंने अपने कठिन कर्त्तव्य को निबाहा । कोरिया में, अगर मुझे ठीक याद है तो जहां बर्फ जमी हुई थीं और तापमान उससे भी ३६ डिगरी नीचे था तथा अति भयंकर ठंड थी, ऐसे मौसम में ६ महीने तक उन्हें लगातार कार्य करना पड़ा, आज वे भारत लौट कर झांसी और दूसरे अन्य गरम कैन्टूनमेंट्स में समय बिता रहे हैं, मैं इस सम्बन्ध में यह नम्र सुझाव देना चाहता हूं कि उनको लैंसडाउन आदि पहाड़ी छावनियों में विश्राम करने का अवसर दिया जाय ; पहाड़ों की छावनियां खाली पड़ी हुई हैं; हम उन लोगों को वहां भेज कर एक प्रकार से पुरस्कृत कर सकेंगे और साथ ही हम उन पहाड़ी छावनियों की सुध भी ले सकेंगे ।

सभापति महोदय, पिछले वर्ष भी मैंने अपने प्रतिरक्षा मंत्री महोदय का ध्यान तिब्बत की ओर दिलाया था और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि भारत सरकार का बहुत कुछ ध्यान अब इस समस्या की ओर गया है और उसके परिणामस्वरूप कई जगह पर चेक-पोस्ट्स बढ़ाये गये हैं और विशेष सशस्त्र पुलिस को भी स्थान स्थान पर नियुक्त किया गया है । मेरा अनुमान है कि इस पुलिस की नियुक्ति के बाद से उन इलाक़ों में जो एक भय छाया हुआ था उसमें कमी आई है और लोगों में विश्वास का उदय हुआ है। पिछले वर्ष भारत सरकार के कोष से जहां तक मुझे मालूम है क़रीब बाईस लाख पचास हज़ार रुपये उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और पंजाब की सरकारों को दिये गये थे ताकि वहां पर वे पुलिस का समुचित प्रबन्ध कर सकें, मुझे आशा ही नहीं विश्वास भी है कि भारत सरकार इस नीति को आगे भी जारी रक्खेगी ।

लेकिन मुझे यह भी कहना पड़ता है कि इस सम्बन्ध में अभी तक भारत सरकार की नीति कुछ ढुलमुल सी है । सभापति जी, आपको याद होगा कि आज से कुछ ही दिन पहले इस सदन में एक प्रश्नकर्ता के उत्तर में वैदेशिक विभाग के उपमंत्री महोदय ने यह बतलाया था कि लद्दाख के नजदीक तिब्बत में चीन की सेनायें हवाई अड्डा बना रही हैं, इस बात की जानकारी उन्हें नहीं हैं । उसी समय मैंने इस आशय का एक पूरक प्रश्न पूछा था कि क्या मानसरोवर के पास भी एक हवाई अड्डा बनने की सूचना भारत सरकार को है ? उसका उत्तर भी नकारात्मक दिया गया था । जहां तक मैं समझता हूं इसके दो ही कारण हो सकते हैं। या तो भारत सरकार को वास्तव में इन बातों की जानकारी नहीं है, यदि ऐसा है तो मुझे खेद है कि हमारी भारत सरकार की मशीनरी इतनी कमजोर और शिथिल है कि वह इतनी भारी बातों का भी पता नहीं लगा सकती । इसका दूसरा कारण यह हो सकता है कि जान बूझ कर इन बातों को छिपाया जाता है। यदि ऐसा है तो मैं बड़े विनम्र ढंग से यह सुझाव देना चाहता हूं कि यद्यपि मैं उन व्यक्तियों में से हूं जो कि भारत और चीन की परम मैत्री के प्रशंसक और समर्थक हैं, लेकिन हमारी मित्रता बालू की दीवार नहीं होनी चाहिये कि ज़रा से धक्के से गिर जाय । एक दूसरे के तथ्यों को प्रकट करने से मैं यह आवश्यक नहीं समझाता कि हमारे बीच की मित्रता समाप्त हो जायगी। मैं आशा करता हूं कि भारत सरकार और

[श्री भक्त दर्शन]

प्रतिरक्षा मंत्रालय अपनी वर्तमान ढिलमिल नीति को समाप्त करके इसके बारे में अवश्य ही कोई तगड़ी और निश्चित नीति को अपनायेंगे ।

सभापति जी पिछले वर्ष जो वार्षिक विवरण हमें मिला था, उसे पढ़ कर मुझे प्रसन्नता हुई थी कि उसमें "स्नो ऐंड माउन्टेन वारफेयर" की ट्रेनिंग देने का ज़िक्र किया गया था, अर्थात् बर्फानी और पर्वतीय इलाकों के युद्ध की शिक्षा के लिये । लेकिन मुझे खेद है कि इस वर्ष की विवरण पत्रिका में इसका उल्लेख नहीं है । इस का कोई कारण मेरी समझ में नहीं आता । मैं समझता हूं कि इसके लिये कुछ नहीं किया जा रहा है । मंत्रालय की ओर से यह तर्क उपस्थित किया जा सकता है कि पिछले महायुद्ध के समय जिस तरह बर्मा में जाकर हमारी सेनाओं ने जंगल वारफेयर की एक विशेष ट्रेनिंग प्राप्त कर ली थी और जिस तरह उत्तरी अफ्रीका के युद्ध में उन्होंने रेगिस्तानी युद्ध के ढंग को सीखा था, उसी तरह कश्मीर के पिछले युद्ध के अन्दर हमारी सेनाओं ने 'माउन्टेन एण्ड स्नो वारफेअर' की ट्रेनिंग भी पा ली है । लेकिन मुझे मंत्री महोदय क्षमा करेंगे, मेरे पास ऐसे उदाहरण हैं कि कुछ मौकों पर हमारे सिपाहियों को कुछ नाजुक बदन नौजवान अफसरों को अपने कंधों पर ले जाना पड़ा था; क्योंकि वह लोग वहां की ठंड को बर्दाश्त नहीं कर पाये इस लिये इस बात की आवश्यकता है कि हम इस दिशा में भी अफसरों व सैनिकों को ट्रेनिंग दे ।

इस सम्बन्ध में मैं मंत्रालय को खास तौर पर बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने एक 'इंस्टीट्यूट औफ माउन्टेनियरिंग' पर्वतारोहण की संस्था प्रारम्भ की है । हिमव्याघ्र शेरपा सरदार तेनसिंह के नाम से आज भारत का बच्चा बच्चा परिचित है; उन्हीं के संचालन में सम्भवतया दार्जिलिंग में इस संस्था की स्थापना की गई है । इस कार्य के लिये मैं सरकार को बहुत बहुत बधाई देता हूं और मेरी आशा तथा विश्वास है कि इस इंस्टिट्यूट के द्वारा हमारे अफसरों को ही नहीं बल्कि और दूसरे नौजवानों को भी पर्वतारोहण की शिक्षा दी जायेगी ।

मैं अपना यह कर्तव्य भी समझता हूं कि अब भारत के जो नवयुवक ऊंचे पर्वतारोहण के कार्य में कदम बढ़ाने लगे हैं उनको भी बधाई दूं । सदन को मालूम होगा कि पिछले एक वर्ष के समय में हमारे दो भारतीय अभियान दलों ने पर्वतारोहण के कार्य में अपूर्व सफलता प्राप्त की है । एक दल मेजर नरेन्द्र धर जुयाल के नेतृत्व में ऐविगेमिन चोटी पर गया और दूसरा दल श्री प्राणनाथ निकोर के संचालन में पंचचूली शिखर पर गया और उन पर विजय प्राप्त की । यह इस बात को सिद्ध करता है कि हमारे नौजवानों के अन्दर भी साहसिकता की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है । मैं आशा करता हूं कि हमारी भारत सरकार ऐसे कामों के लिये जो हमारी नवयुवकों की संस्थायें हैं जैसे 'हिमालयन सोसायटी' और 'माउन्टेनियरिंग इंस्टिट्यूट', इन को पूरी तरह से सहायता देगी ।

इस वार्षिक रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया गया है कि आजाद हिन्द फौज के सैनिकों को जिनको तमगे वगैरह मिले थे, उनके भत्तों को फिर से जारी किया जा रहा है; और यह १५ अगस्त, १९४७ से दिए जायेंगे । मैं इसके लिये अपने मंत्री जी को धन्यवाद और बधाई देना चाहता हूं, लेकिन साथ में मैं इतना कह देना चाहता हूं कि इससे उन को पूरा सन्तोष नहीं है । आजाद हिन्द फौज के सैनिकों के जो भत्ते ज़ब्त किये गये थे, उनकी जो पेंशनें जब्त की गई थीं, इसी तरह उनके ऐकाउन्ट्स जो शेष हैं वे अभी तक उन को नहीं मिले हैं ।

मैंने इस वर्ष के विवरण में देखा कि हमारी गवर्नमेन्ट की नीति है कि आजाद हिन्द फौज के भूतपूर्व सैनिकों के साथ यथासम्भव उदारता का व्यवहार किया जाये तो मेरा ख्याल है कि मंत्री जी में जो उदारता और विशालता है उसको वे और गवर्नमेंट ज्यादा विस्तृत करेंगे और उनके जो ऐकाउन्ट्स इस बीच में जब्त हुए हैं उनको देने की कृपा करेंगे ।

इसी सिलसिले में मैं अपना यह भी कर्तव्य समझता हूं कि आज से २४ वर्ष पहले पेशावर के प्रसिद्ध कांड में जिन गढ़वाली सैनिकों ने भारतीय सैनिकों के सामने राष्ट्रीयता का आदर्श रक्खा था उन को भी न भुलाया जाय । जहां तक मुझे मालूम है उनको यद्यपि पेंशन दी जा चुकी है, लेकिन जो उनकी 'डेफर्ड पे' 'बैलेंस ऐकाउन्ट्स' हैं वे उन्हें नहीं दिए गए हैं । मुझे ठीक मालूम नहीं कि वह कितना है, लेकिन वह बहुत बड़ी रकम नहीं है, उसे उनको दिया जाय । जिन हमारे सैनिकों ने सब से पहले राष्ट्रीयता की चिनगारी को प्रज्वलित किया था, मैं आशा करता हूं कि हमारे माननीय मंत्री महोदय, जो कि अपनी उदारता के लिये प्रसिद्ध हैं और जो कि हमारी फौज के सैनिक और कमांडर रह चुके हैं वह इस ओर ध्यान देंगे । मुझे ठीक रक़म नहीं मालूम, लेकिन यह अधिक से अधिक १२, १४ हजार रुपये की रकम है; आशा है कि वे उसके बारे में बहुत सख्ती नहीं बरतेंगे । और मेरी प्रार्थना को स्वीकार करने की कृपा करेंगे ।

एक बात मैं यह भी कहना चाहता हूं कि हमारे देश के लाखों परिवार पेन्शनें और दूसरे अलाउन्सेज लेते हैं और उसी पर निर्भर करते हैं । अकेले मेरे गढ़वाल प्रदेश में लगभग एक लाख व्यक्ति इस श्रेणी में आते हैं । लेकिन आज उन भूतपूर्व सैनिकों में बड़ा असन्तोष है । इस के दो मुख्य कारण हैं । एक तो यह कि लड़ाई के ज़माने में उन सैनिकों की तनख्वाहों में से एक एक और दो दो रुपये काट कर एक एक्स सर्विसमेन पोस्ट वार रिकन्स्ट्रक्शन फंड (भूतपूर्व सैनिक युद्धोत्तर पुनर्निर्माण कोष) बनाया गया था । इस के सम्बन्ध में उनके साथ पूरा न्याय नहीं किया जा रहा है । मैं अपने महामान्य राज्यपालों और राजप्रमुखों की आलोचना नहीं करना चाहता लेकिन यह रकम, जहां तक मुझे मालूम है, उनके एकाधिकार में दे दी गई है और इसका परिणाम यह निकला है कि यहां संसद् में और राज्यों की धारा सभाओं में हमारे विधान सभा के लोग उस पर आलोचना नहीं कर सकते । मैं मंत्री महोदय से यह प्रार्थना करूंगा कि वे इस बारे में कोई ऐसा तरीका निकालें जिससे इस रकम का अच्छे से अच्छा उपयोग शीघ्रता से हो सके ।

अन्त में एक ही बात मुझे और कहनी है । रिजर्व में जो सैनिक भेजे जाते हैं, यानी पांच, सात साल की नौकरी के बाद जिन लोगों को रिजर्व में भेजा जाता है और उनको ३ रु० रिजर्व ऐलाउन्स दिया जाता है, इससे उनको क्या सन्तोष होता है ? उन लोगों के अन्दर वास्तव में बड़ा असन्तोष है । मैं चाहता हूँ कि जैसे मंत्री महोदय और सब बातों की ओर बड़ी उदारता से विचार करते हैं तथा नये पेंशन कोड के द्वारा उन्होंने पेन्शन बढ़ा दी हैं, उसी तरह रिजर्व सैनिकों के बारे में भी वे उदारतापूर्वक विचार करें । सरकार उनको बांधना चाहती है, बहुत काम उन्होंने किया है । जब भी देश की पुकार होती है तब वह चले आते हैं, लेकिन उनको दिया क्या जाता है । तीन रु० या पांच रु० मासिक । यह उनके प्रति न्याय नहीं है ।

मैं आशा करता हूं कि मंत्री महोदय, मेर इन सुझावों पर विचार करेंगे और इन को स्वीकार करने की कृपा करेंगे ।

श्री शंकर गौडा पाटिल (बेलगांव दक्षिण) : आधुनिक युद्ध के जमाने में रक्षा

[श्री शंकर गौडा पाटिल]

का मामला बहुत जटिल हो गया है । हमें यह याद रखना चाहिए कि आधुनिक युद्ध जनता के युद्ध हैं और जनता से लड़े जाते हैं । अतः देश के जनसाधारण की मनोदशा उतनी ही महत्वपूर्ण है जितना कि सैनिक व शस्त्र । हमें रक्षा की नीति निर्धारित करते हुए देश के लोगों की मनोदशा को ध्यान में रखना होगा । हमारे देश के लिए प्रथम श्रेणी की सैनिक शक्ति बनना आवश्यक नहीं है । हमारे लोग चाहते हैं कि सरकार गरीबी और बीमारी का मुकाबला करे । इसी लिए यहां कांग्रेस की सरकार बनी है और इस सरकार ने पंचवर्षीय योजना बनाई है । इस योजना के लक्ष्य प्राप्त किये जा रहे हैं । सरकार ने आय व्ययक में सैनिक और असैनिक व्यय के मध्य उचित संतुलन रखा है । इसलिए जहां तक रक्षा का सम्बन्ध है, आर्थिक दृष्टिकोण से सरकार की नीति न्यायसंगत है ।

जहा तक रक्षा, युद्ध सामग्री के उत्पादन और सामान का सम्बन्ध है, प्रधान मंत्री ने स्थिति स्पष्ट कर दी है और उन का भाषण सुनने के बाद किसी को सरकार की नीति पर आपत्ति नहीं होनी चाहिए ।

दूसरी बात यह है कि आधुनिक युद्ध में सैद्धान्तिक मोर्चा भी बहुत महत्वपूर्ण है । रूसी और अमेरिकी गुट दोनों प्रचार के द्वारा यह चेष्टा करते हैं कि अधिक से अधिक लोग उन के सिद्धान्तों की ओर आकर्षित हों । अतः हमारे लिए भी एक निश्चित सैद्धान्तिक मोर्चा बनाना आवश्यक है । हमारे देश का सिद्धान्त यह है कि प्रेम और सहयोग द्वारा शान्ति प्राप्त की जाये और बाहरी झगड़ों का निपटारा अहिंसात्मक और असैनिक तरीकों से किया जाये । हमें इस सिद्धान्त को लोकप्रिय बनाना है । यदि हम युद्ध की धमकी का या आक्रमण का सामना करना चाहते हैं, तो हमें इस बात के लिए प्रयत्न करना होगा कि लोग सरकार के सिद्धान्तों, विदेश नीति और कार्यक्रमों में विश्वास रखें और दलबन्दी के दृष्टिकोण से इनकी आलोचना न करें । सैनिक रूप से आक्रमण का मुकाबला करने से पहले हमें पहले सब शान्तिपूर्ण और असैनिक तरीकों का प्रयोग करना चाहिए । हमारी सरकार की नीति भी यही है । किन्तु मैं युद्ध या युद्ध की धमकी का मुकाबला करने के सम्बन्ध में कुछ सुझाव देना चाहूंगा, देश की रक्षा के लिए राजनैतिक स्थिरता और आन्तरिक शान्ति आवश्यक है । इसके लिए देश के विद्यार्थियों के जो कि देश की जनसंख्या का एक महत्वपूर्ण भाग हैं, उत्साह और शक्ति का उचित प्रयोग करना भी आवश्यक है । मेरा सुझाव यह है कि राष्ट्रीय छात्र सेना का कार्य क्षेत्र बढ़ा देना चाहिए, ताकि कालेज के विद्यार्थी इसमें भाग ले सकें । उन्हें कुछ समय के लिए सैनिक प्रशिक्षण देना चाहिए । ऐसा करने से वे संकट या युद्ध के समय देश की रक्षा में सहायता दे सकेंगे ।

श्री जेठालाल जोशी (मध्य सौराष्ट्र) : मैं अनुदानों की मांगों के इस प्रस्ताव का जो कि सदन के विचाराधीन है, समर्थन करता हूं । और माननीय रक्षा मंत्री को रक्षा सम्बन्धी आय-व्ययक पर बधाई देता हूं ।

पाकिस्तान और अमेरिका में जो सैनिक गठजोड़ हुआ है उसका उद्देश्य क्या है ? इसका उद्देश्य केवल भारत के प्रति शत्रुता है । मुझे विश्वास है कि पाकिस्तान भारत पर आक्रमण करना चाहता है । हमें क्या करना चाहिए ? इसका उत्तर यह है कि भारत की ३६ करोड़ जनता के मन और मस्तिष्क को मजबूत किया जाये और इस का पूरी शक्ति से मुकाबला किया जाये ।

पहले और दूसरे विश्व युद्ध फ्रांस, जर्मनी तथा अन्य देशों में लड़े गये थे । वहां जितनी

बरबादी हुई है, वह आप जानते हैं । अब बड़ी बड़ी शक्तियां युद्ध के क्षेत्र को बदलना चाहती हैं । वे चाहती हैं कि तीसरा विश्व युद्ध कहीं एशिया में लड़ा जाये । मान लीजिये कि हम युद्ध में सम्मिलित नहीं होते और तटस्थ रहते हैं और युद्ध का क्षेत्र हम से एक हज़ार मील दूर है । इस अवस्था में भी हमें अपने शस्त्र तैयार करने पड़ेंगे, ताकि हम दूसरों पर नहीं अपने आप पर निर्भर रहें । युद्ध के दिनों में, तटस्थ रहते हुए भी लड़ने वाले देश हमारे साथ सब प्रकार का व्यापार बन्द कर देंगे और हमारी आर्थिक नाकाबन्दी हो जायेगी । सैनिक और असैनिक प्रयोजनों के लिए हमें जो सामान आयात करना पड़ता है, वह आना बन्द हो जायेगा । इसलिए, जहां तक सम्भव हो, हमें आत्म निर्भर होना चाहिए ।

२३ खनिकों और धातों में से जो कि युद्ध के लिए आवश्यक हैं भारत के पास केवल १३ हैं । युद्ध की अवस्था में इन सामरिक महत्व की वस्तुओं की विशेष कर पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पादन की कमी के कारण भारत को बहुत कठिनाई होगी । इस समस्या का हल यह है कि असैनिक प्रयोग के लिए स्थानापन्न वस्तुओं का उत्पादन किया जाये और अन्य वस्तुओं का संग्रह किया जाये ।

श्री त्यागी : श्रीमान्, मैं इस बात के लिए बहुत आभारी हूं कि सदन ने भारत की सशस्त्र सेना के प्रति उदारता दिखलाई है । यदि किसी ओर से आलोचना भी हुई है, तो यह कि सशस्त्र सेना की देखभाल बहुत अच्छी तरह नहीं की जा रही है या यह कि इसमें और सुधार किया जा सकता है । मैं इस आलोचना का स्वागत करता हूं और उन माननीय सदस्यों को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने इस मामले की ओर सदन का और सदन के द्वारा राष्ट्र का ध्यान दिलाया है ।

इस अवसर पर एक मंत्री नीति के सम्बन्ध में कुछ घोषणा कर सकता है । आप जानते हैं कि रक्षा के विषय में कोई स्वतन्त्र नीति नहीं होती । रक्षा का प्रश्न तब उठता है, जबकि शेष सब उपाय किये जा चुके हों और शेष कोई तरीका न हो । जैसा कि एक सैनिक की कोई राजनैतिक नीति नहीं होती, उसी तरह रक्षा मंत्रालय की भी कोई राजनैतिक नीति नहीं है । यदि मेरी कोई राजनैतिक नीति होती, तो रक्षा के मामले में सारा देश जिसमें भिन्न भिन्न सिद्धान्तों के दल हैं, इस तरह हमारा समर्थन न करता प्रधान मंत्री ने यह स्पष्ट रूप से बताया है कि हम अपनी रक्षा व्यवस्था का प्रबन्ध किस प्रकार कर रहे हैं । यह तो दुनिया के सभी देश जानते हैं कि भारतीय सेनायें किसी देश पर आक्रमण नहीं करना चाहतीं । सभी देश हमारे मित्र हैं और हमारा कोई भी शत्रु नहीं है । कुछ सदस्यों ने प्रधान मंत्री की बात का यह अर्थ निकाला है कि हम लोग चुपचाप बैठे रहें और अपनी रक्षा के प्रबन्ध न करें । किन्तु उनका अभिप्राय यह नहीं था अपितु उनका अभिप्राय हमारी तटस्थ नीति से था । तटस्थ नीति का अवलम्बन करना ही सबसे बड़ा हथियार है । यदि कोई देश किसी देश की तटस्थता भंग करता है तो अन्य देश आक्रमणकारी का मुकाबला करने को उद्यत हो जाते हैं । तटस्थता की नीति में बड़ी शक्ति है । इसीलिये हमारे नेता इस नीति पर निर्भर करते हैं ।

इसके एक दम बाद रक्षा व्यवस्था का प्रश्न आता है क्योंकि तटस्थता के कारण किसी देश के लिये अन्य देश पर आक्रमण करना असम्भव नहीं हो जाता । तटस्थता भंग कर दिये जाने के बाद पूरी स्थिति बदल जाती है । शीघ्र ही युद्ध के मोर्चे तथा युद्ध विधि में परिवर्तन आ जायगा । किसी तटस्थ देश को सब स्थितियों का मुकाबला करने के लिये तय्यार रहना चाहिये । मैं सदन को यह विश्वास दिला सकता हूं कि गत छै वर्षों में

[श्री त्यागी]

भारत की सशस्त्र सेनाएं किसी भी स्थिति का मुकाबला करने के लिये तय्यार थीं। और अब भी हमारी सेनायें इसके लिये तय्यार हैं। मेरे माननीय मित्र सरदार हुक्मसिंह यह चाहते हैं कि हम असैनिक रक्षा व्यवस्था करें और इसके लिये खाइयां आदि तय्यार करें। किन्तु यह सब तय्यारी अधिक लाभप्रद सिद्ध न होगी।

पाकिस्तान को दी जाने वाली अमरीकी सहायता का प्रश्न भी उठाया गया था। माननीय सदस्य मुझ से यह पूछते हैं कि पाकिस्तान को अमरीकी सहायता मिलने के बाद हम क्या कर रहे हैं? मैं उन्हें यही उत्तर दे सकता हूं कि हम निरन्तर सतर्क हैं और यथा सम्भव आत्म-निर्भर रहने का प्रयत्न कर रहे हैं।

श्री मात्तन : क्या इससे यह समझा जाये कि पाकिस्तान को मिलने वाली अमरीकी सहायता का कुछ मतलब ही नहीं है और इससे युद्ध नीति में कोई अन्तर नहीं आता ?

श्री त्यागी : यह एक दूसरा मामला है। अपनी सेना को सदा सतर्क रखने की हमारी नीति पर पाकिस्तान को मिलने वाली अमरीकी सहायता से कोई प्रभाव नहीं पड़ता। हम कुछ और अधिक सतर्क हो गये हैं।

हमने इस अमरीकी सहायता के विरुद्ध कई बातों के आधार पर विरोध प्रदर्शित किया है और इस पर आपत्ति उठाई है। प्रधान मंत्री उन बातों को सदन में बता चुके हैं। उनमें से एक कारण यह भी है कि इस समय भारत और पाकिस्तान युद्ध संलग्नता की स्थिति में हैं।

श्री एस० एस० मोरे : माननीय मंत्री स्वयं ही अपनी बात का खण्डन कर रहे हैं।

श्री त्यागी : काश्मीर के प्रश्न को लेकर दोनों देश युद्ध संलग्नता की स्थिति में हैं। पाकिस्तान ने काश्मीर पर हमला किया। हम वहां अपने प्रदेश की रक्षा करने गये और वहां युद्ध आरम्भ हो गया। इस समय वहां विराम संधि है, दोनों देशों की यह इच्छा है कि वहां समझौता हो जाय और जब विराम संधि रेखा पर संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रतिनिधि नियुक्त हैं तब हमने इस सहायता के दिये जाने पर आपत्ति की। हमारे विरोध का एक आधार यह भी था कि जब दोनों देश विराम संधि रेखा पर आमने सामने डटे हुए हैं तो दोनों ही देशों के किसी भिन्न देश के लिये इनमें से एक को हथियार आदि की सहायता देना उचित नहीं है। इसीलिये हमने इस पर आपत्ति उठाई थी।

जैसा कि प्रधान मंत्री ने बताया था हमने इस आधार पर भी इसका विरोध किया था कि तटस्थ देशों का एक गुट था उस गुट को कम कर दिया गया और शीत युद्ध हमारे देश के समीप ला दिया गया है। हमें यह बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी।

इस विरोध का एक और आधार है जिसे मैं स्वयं अनुभव करता हूं और वे सदस्य भी अनुभव करते होंगे जिन्होंने स्वतन्त्रता संग्राम में भाग लिया था। हमने भारत और पाकिस्तान दोनों के लिये ही स्वतन्त्रता प्राप्त की थी। हम नहीं चाहते कि पाकिस्तान की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप किया जाय क्योंकि उसकी स्वतन्त्रता प्राप्ति के लिये भी हम लड़े थे। पाकिस्तान के नेता यदि चाहें तो वे अपनी स्वतन्त्रता को बेच सकते हैं, यह उनकी नीति पर निर्भर करता है। किन्तु जब पाकिस्तान की स्वतन्त्रता को खतरा हो तो हम उसे ठीक नहीं समझते। पाकिस्तान हमारा पड़ौसी है और हम चाहते हैं कि वह समृद्धि-शाली बने। पाकिस्तान के प्रति हमारी

कोई दुर्भावनायें नहीं हैं और न ही हम उस पर आक्रमण करना चाहते हैं। हमें बड़ी प्रसन्नता होती यदि अमेरिका पाकिस्तान को अस्त्र शस्त्र की सहायता देने की अपेक्षा उसे आर्थिक सहायता देता और उसकी स्थिति को सुधारता। यह हमारे लिये भी अच्छा है। इसी दृष्टि से हमने यह समझा कि हमारे पड़ौसी देश को किसी दूसरे देश से सहायता मिलने के बाद अपनी स्वतन्त्रता को कम नहीं कर देना चाहिये। मुझे नहीं मालूम कि उसे यह सहायता मिल गई या नहीं इस विषय में मैं वाक्बद्ध नहीं होना चाहता। किन्तु किसी बड़ी शक्ति से किन्हीं शर्तों पर सहायता मिलने के बाद सहायता प्राप्त करने वाले देश की स्वतन्त्रता तथा सर्व प्रभुत्व सम्पन्नता में कमी हो जाने की आशंका होती है।

किसी भी सर्व प्रभुत्व सम्पन्न राष्ट्र को कार्य स्वतन्त्रता होनी चाहिये क्योंकि कार्य स्वतन्त्रता किसी स्वतन्त्र राष्ट्र का विशेषाधिकार है। उस स्वतन्त्रता में कमी करने का अर्थ उस राष्ट्र की सर्व प्रभुत्व सम्पन्नता में कमी करना है। इसीलिये बहुत सी बातों के आधार पर अमेरिका द्वारा पाकिस्तान को दी जाने वाली सहायता की बात हमें अच्छी नहीं मालूम दी। किन्तु इस बात के कारण हमें अधिक परेशानी नहीं हुई। मुझे विश्वास है कि अमेरिका ने पाकिस्तान को यह सहायता इस उद्देश्य से नहीं दी है कि पाकिस्तान भारत पर हमला करे। यह एक दूसरी बात है कि पाकिस्तान उस सहायता का ऐसा उपयोग करे। किन्तु अमेरिका पाकिस्तान को भारत पर हमला करने के मामले में कभी भी सहायता देना नहीं चाहता। यदि पाकिस्तान किन्हीं परिस्थितियों के अन्तर्गत उन हथियारों का चाहे ये हथियार किसी भी शर्त पर दिये गये हों, प्रयोग भारत के विरुद्ध करे तो मैं समझता हूं कि अमेरिका पाकिस्तान को ऐसा करने से रोक नहीं सकता। इसलिये यह स्वाभाविक है भारत को यह मालूम होना चाहिये कि पाकिस्तान कितने हथियार ले रहा है और अस्त्र शस्त्रों के मामले में पाकिस्तान की तुलना में हमारी क्या स्थिति है। इस बात को सदा ध्यान में रखा जाता है और रक्षा मंत्रालय तथा वैदेशिक कार्य मंत्रालय भी इस मामले में बड़े सजग हैं। जहां तक अस्त्र शस्त्रों का सम्बन्ध है, हम पाकिस्तान तथा अन्य पड़ौसी देशों की तुलना में अपनी स्थिति पर उचित ध्यान दे रहे हैं।

जैसा कि प्रधान मंत्री ने बताया था कि हम जन-साधारण की प्रतिकार भावना द्वारा आक्रमण का सर्वश्रेष्ठ रूप में सामना कर सकते हैं। क्योंकि यह किसी भी राष्ट्र का प्रथम अस्त्र है।

श्री एस० एस० मोरे : आपका अभिप्राय है, अहिंसा।

श्री त्यागी : निश्चय ही, अहिंसा अर्थहीन नहीं है। आजकल कोई भी व्यक्ति अहिंसा की शक्ति के सम्बन्ध में सन्देह प्रकट नहीं कर सकता है। यह पहिले ही परिणाम प्रकट कर चुकी है तथा उसके पश्चात् भी, यदि आज अहिंसक विरोध शक्ति पर सन्देह किया जाता है, तो मुझे केवल प्रश्नकर्त्ता की बुद्धि पर आश्चर्य होता है।

श्री बोगावत (अहमदनगर दक्षिण) : विशेष कर उसकी बुद्धि पर जिसने इसका एक बार प्रयोग किया था।

श्री त्यागी : वास्तविक बल इस बात में होता है कि वह विरोध कितना होता है; वह कितना फैलाता है; इसकी जड़ कितनी गहरी है। यदि एक राष्ट्र जो विदेशी शासन के अधीन था, विदेशी राजसत्ता को अहिंसात्मक ढंग से हटा सका, तो यही युद्धों के साथ

भी भली प्रकार किया जा सकता है । अतः जब प्रधान मंत्री ने कहा था कि हमें अधिक दूर तक मार करने वाले मूल्यवान अस्त्रों की आवश्यकता नहीं है, उनका वह कहना ठीक था ।

श्री वी० जी० देशपांडे (गुना) : उन्होंने यह कभी नहीं कहा था ।

श्री त्यागी : उन्होंने यह कहा था, तथा उनका यह कहना ठीक था । क्योंकि वह बल, यदि विरोध की वह शक्ति लोगों में है, यदि भारत की रक्षा के लिये एकता है, तो किसी प्रकार के डर की आवश्यकता नहीं है । जनता भली भांति आक्रमण का सामना कर सकती है, चाहे यह कैसा ही हो ।

मेरी माननीय मित्र महिला सदस्या ने एक दिन कहा था कि यद्यपि चीन के पास कोई बड़े अस्त्र नहीं हैं तथापि वे अपनी क्रान्ति में सफल हो गये हैं । यह सत्य है । वह सम्भव था क्योंकि चीन की जनता में अपनी विरोध शक्ति थी, और उन्होंने सफलतापूर्वक विरोध किया ।

हिंसा और अहिंसा के बारे में, मैं समझता हूं कि आचार्य कृपलानी सदन में आ गये हैं, और मैं इस विषय पर नहीं बोल सकता हूं क्योंकि इसे मैं उनका एकाधिकार समझता हूं । यह उनका अधिकार है कि वह गांधी जी का निर्वचन करें । इसका कारण यह है कि वह गांधी जी के सम्बन्ध में मेरी अपेक्षा अधिक जानते हैं । परन्तु फिर भी मुझे यह महसूस होता है कि, गांधी जी के अनुसार यदि आक्रमणों की राइफलों के साथ हिंसात्मक विरोध किया जाये तो भी यह हिंसा का कार्य नहीं होगा ।

कुछ माननीय सदस्य : नहीं, नहीं ।

श्री त्यागी : गांधी जी के अनुसार जैसा कि मैंने उन्हें समझा, शत्रु का राइफलों तथा आग उगलने वाले अस्त्रों से सामना करना हिंसा नहीं है । आक्रमक का यथा कथित इतनी थोड़ी हिंसा के साथ सामना करना हिंसा का कार्य नहीं होगा । यह केवल सत्याग्रह होगा केवल उस समय तक जब तक सम्पूर्ण राष्ट्र एक रहेगा । यदि राष्ट्र की अभिव्यक्ति का यह ढंग है, तो राष्ट्र को अपनी अभिव्यक्ति उस रूप में अवश्य देनी चाहिये । मैं नहीं समझता कि रक्षा में तनिक भी हिंसा है । क्योंकि हिंसा तो प्रयोजन में होती है । प्रयोजन क्या है ? क्या कोई स्वार्थमय प्रयोजन है ? क्या कोई बुरा प्रयोजन है ? क्या हम आक्रमणकारी हैं ? तब, हिंसा का प्रश्न आता है । यदि प्रयोजन सर्वथा सत्य है, तो हिंसा का प्रश्न कहां है ? हम अपनी स्वतन्त्रता की रक्षा करना चाहते हैं । हम अपने पड़ौसी पर बुरी दृष्टि नहीं रखते हैं । हम अपने पड़ौसी की समृद्धि चाहते हैं । यदि इसके होते हुये भी, पड़ौसी का विचार हम पर आक्रमण करने का होता है, तो हम अपनी रक्षा करेंगे । मैं समझता हूं कि यह पूर्णतया सत्याग्रह है । मेरा कहना केवल यह है कि मुझे उनकी ओर से आक्रमण का कोई भय नहीं है । यह स्पष्ट होना चाहिये कि यद्यपि हमारी रक्षा की तैयारियां हैं, जैसा कि मैंने सदैव कहा है, तथापि इसका अभिप्राय यह नहीं है कि हमें भारत पर तत्काल ही आक्रमण होने का कोई भी भय है । अतः, इस कारण देश को भयभीत नहीं होना चाहिये ।

सदस्यों ने सैनिकों की बहुत प्रशंसा की है । मैं सदन को विश्वास दिलाता हूं कि पक्षियों के झुण्ड के अलावा केवल सैनिक जाति ही सबसे अधिक प्रसन्न होती है । साधारणतया सैनिक प्रसन्न होते हैं । वे सदैव ही बहुत प्रसन्न रहते हैं । यदि वे कोई युद्ध करते हैं, तो वे इसे भावना सहित करते हैं । वे चोटों पर कभी पछताते नहीं हैं । यही तो सैनिक की

विशेषता है। जब कभी वे साथ साथ आते हैं तभी एक प्रकार का उत्साहवर्धक प्रभाव उत्पन्न हो जाता है तथा वे उस वातावरण में रहते हैं। मैं इसका बड़ा समर्थन करूंगा कि उन्हें उन पर ही छोड़ देना चाहिये। हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिये कि वे आराममय वातावरण में, स्वास्थ्यवर्धक बातावरण में रखे जाते हैं। उनके आदमियों को सदैव ही प्रसन्न तथा सन्तुष्ट रखना चाहिये। हमारा दृष्टिकोण यह होना चाहिये। यही हमारी आकांक्षा होनी चाहिये। हमें इस पर ज़ोर देना चाहिये। मेरा विचार है कि सदन के सारे सदस्यों ने इस बात पर ज़ोर दिया है, अर्थात् सैनिकों का कल्याण। मैं सदन को विश्वास दिला सकता हूं कि तीनों सेनापति जिनमें दो अंग्रेज़ हैं--मैं उनके साथ बहुत सी समितियों में बैठा हूं--सैनिकों के हित तथा उनकी मांगों के सर्वोत्तम समर्थक हैं। जब कभी कोई बात होती है और वे महसूस करते हैं कि कोई ऐसी मांग है जो पूरी होनी चाहिये, वे सैनिकों का मामला निरन्तर सरकार के समक्ष रखते रहते हैं। निवृत्ति वेतन जो हाल में ही स्वीकार किये गये हैं, इस कारण स्वीकार किये गये थे कि इन तीनों सेनापतियों ने, जो सैनिकों तथा उनके कल्याण के पूर्ण रक्षक हैं, उनके मामले को बहुत अच्छी तरह लड़ा। मैं समझता हूं कि इसी में सैनिकों की वफ़ादारी है। महासेनापति से लेकर लैफ्टीनट तक प्रत्येक अधिकारी अपने सैनिक का पक्ष लेता है तथा इसीलिये सैनिक अपने अधिकारियों का साथ देते हैं। उनमें इस प्रकार का सम्बन्ध है। मेरा विचार है कि किसी ने हमारी माननीय महिला सदस्या, श्रीमती रेणु चक्रवर्ती, को यह गलत बताया है कि वेतन में बहुत अधिक अन्तर है तथा अधिकारियों व सैनिकों के बीच सहयोग की कमी है। इस प्रकार की कोई बात नहीं है।

[**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : आपने जो पुस्तिका प्रकाशित की है उसमें आप वेतन देखें।

श्री त्यागी : पहिले मैं माननीय महिला सदस्या को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि वेतन के अतिरिक्त, अन्यथा उनके सम्बन्ध बहुत अच्छे हैं। वे एक दूसरे का साथ देते हैं। अधिकारी अपने सैनिकों के प्रति अत्यन्त निष्कपट हैं और सैनिक भी इसी भांति अपने अधिकारियों के प्रति वफ़ादार हैं। उनमें इस प्रकार का सम्बन्ध है।

श्री नम्बियार (मायूरम) : संदेहात्मक बात है।

श्री जी० पी० सिन्हा (पालामऊ व हज़ारीबाग व रांची) : यही बात इन्हें चुभती है।

श्री त्यागी : मेरे माननीय मित्र का विचार गलत है। मेरे माननीय मित्र सन्देह प्रकट कर सकते हैं और हंस सकते हैं मैं जानता हूं कि वह अभी तक सफल नहीं हुये हैं। मैं जानता हूं कि सेना के आपसी सम्बन्ध अच्छे हैं।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : इन सम्बन्धों को वेतन के सम्बन्ध में भी कुछ अधिक सुदृढ़ बनाइये।

श्री त्यागी : यदि मेरी माननीय मित्र को सैनिकों के बैरक जीवन की केवल एक झांकी मिल जाती, तो उन्हें अनुभव हो जाता। मैं एक सैनिक रहा हूं। मैं सैनिकों को जानता हूं तथा मैं जानता हूं कि वे कितने वफ़ादार हैं तथा उनके सम्बन्ध कैसे हैं।

अब मैं उनके वेतन का प्रश्न लेता हूं। कदाचित् मेरे मित्रों का विचार है कि यह केवल अधिक पैसा मिलने से सैनिकों में नैतिक साहस बढ़ाता है। यह बात नहीं है। इस सब की व्याख्या करने का मेरे पास समय नहीं है। मैं सदन को यह आश्वासन अवश्य देता हूं कि

[श्री त्यागी]

यह एक ऐसी बात है, कोई तीसरा व्यक्तित्व सा है—मैं नहीं जानता कि यह क्या है, मैं उसकी परिभाषा नहीं कर सकता, परन्तु इसका मुझे अनुभव है—जो बैरकों में व्यक्तियों की कार्यवाहियों पर नियन्त्रण रखता है। मैं नहीं जानता कि यह वातावरण है या यह क्या है। प्रत्येक व्यक्ति सारे दल का साथ देता है। वहां एक प्रकार की नवीन सभ्यता उत्पन्न होती है जिसमें वह रहते हैं और उसे और भी अच्छा बना देते हैं। सैनिकों के रहने का यह ढंग है। वे यह भूल जाते हैं कि वे कहां के रहने वाले हैं। उनका अपना वातावरण होता है। मनुष्य सामाजिक प्राणी होने के कारण, उनमें सर्वोत्तम आपसी मेल जोल तथा मित्रता होती है तथा वे प्रसन्न रहते हैं। उनमें उनके अधिक गहरे मित्र होते हैं तथा अधिक घुले मिले होते हैं। यहां तक कि राजनीतिज्ञ आपस में इतने अच्छे मित्र तथा घुले मिले नहीं होते हैं।

वेतन के बारे में मैंने पूछताछ की थी। अन्य देशों में भी, कदाचित हर जगह, जनरल तथा प्राइवेट के वेतनों में सदैव ही अन्तर होता है। बहुत से देशों में यह १०, २० या ३० गुना होता है। ये सब बात बताने में कोई लाभ नहीं है। रूस में भी, जो यह दावा करता है कि बुद्धि के अतिरिक्त उसने हर बात में समानता कर दी है, वेतनों में विभिन्नता है। मेरा विचार है कि वहां एक प्राईवेट तथा एक मेजर जनरल के वेतन में १० या १२ गुने का अन्तर है। चीन में, हो सकता है कि इतना अन्तर न हो। इसके बारे में मैं नहीं जानता। चीन में, सेना के बारे में एक नवीन प्रयोग हो रहा है। मैं नहीं जानता कि यह प्रयोग अच्छा है या नहीं।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : आप भी नये हैं।

श्री त्यागी : हमारा प्रयोग नया नहीं है। यह एक बहुत पुराना प्रयोग है। हमारा अनुभव शताब्दियों पुराना है। परन्तु, उन्होंने एक जोखम उठाया है। वे अब उस पर चल रहे हैं। मैं समझता हूं कि यह सफल होगा। हमें खेद है कि हम आजकल वह प्रयोग नहीं कर सकते हैं। जैसा कि मैं बता चुका हूं कि सारा आधार सैन्य बल की तत्परता है। इस समय, यह बीच में ही परिवर्तन करना होगा। अब ढांचे में परिवर्तन करना सम्भव नहीं है। मैं जानता हूं कि वहां जन-सेना बड़ी संख्या में होती है। मैं कहता हूं कि देश भर में रक्षा की सार्वजनिक भावना उत्पन्न होनी चाहिये तो मेरा अभिप्राय यही होता है। इसी उद्देश्य के लिये सरकार कठोर प्रयत्न कर रही है तथा यदि देशभक्ति तथा परिस्थितियों को सफलतापूर्वक बढ़ाया जाये, तो मुझे विश्वास है कि यहां चीन से अच्छी हालत हो जायेगी।

माननीय महिला सदस्या ने बताया था कि जवानों को २५–३० रुपए मिलते हैं, परन्तु बात ऐसी नहीं है न्यूनतम वेतन पाने वाले सिपाही को मंहगाई, राशन आदि सब मिला कर प्रतिमास कम से कम ११९ रुपए मिलते हैं (**अन्तर्बाधाएं**) और एक सैकिंड लेफ्टीनट को सब मिला कर ३५० रुपए मिलते हैं।

हाल में ही सदन ने एक संकल्प पारित किया है और देश में यथासम्भव राइफल चलाने की शिक्षा देने की बात सरकार ने मान ली है। गृह मंत्री भी इस बात के लिए मेरे साथ तैयार हो गए हैं और योजना यह है कि प्रत्येक ज़िले में प्रत्येक ऐसी पुलिस लाइन में, जहां लक्ष्य बेध का अभ्यास करने का मैदान और प्रबन्ध है, प्रशिक्षण के लिये रायफल रखी जाएं। सेना में इस प्रकार की रायफलों को '२२ वाली रायफल कहते हैं और प्रत्येक कारतूस में एक आना खर्च होता है। कोई भी व्यक्ति पुलिस लाइन में

जाकर एक-एक आने में कारतूस खरीद सकता है और रायफल चलाने का अभ्यास कर सकता है। इस योजना पर गृह मंत्री विचार कर रहे हैं और निकट भविष्य में यह योजना कार्यान्वित हो सकेगी, ऐसी आशा है। इससे माननीय सदस्यों द्वारा बारम्बार दुहराई जाने वाली मांग पूरी हो जाएगी और हमारे नवयुवकों में एक नया वातावरण पैदा हो सकेगा तथा वे रायफल चलाना सीख सकेंगे।

श्री बी० एस० मूर्त्ति (एलूरू) : क्या रायफल अन्य स्थानों पर भी ले जाई जा सकेंगी।

श्री त्यागी : नहीं, इस सम्बन्ध में माननीय सदस्य को निराश होना पड़ेगा, वे अन्य स्थानों में नहीं ले जाई जा सकेंगी।

श्री रेड्डी ने बताया कि रक्षा मंत्रालय में आयव्ययों का समुचित प्राक्कलन नहीं किया जाता और फलतः प्रति वर्ष करोड़ों रुपए व्ययगत हो जाते हैं। वास्तव में मुझे सचाई के साथ यह बात माननी चाहिए कि मंत्रालय के लिए उतनी सीमा तक ठीक-ठीक प्राक्कलन करना सम्भव नहीं हो सका है, और विशेषतः जब विदेशों से सामान खरीदे जाते हैं। दो-तीन कारण हैं। एक तो हम विदेशों से बहुमूल्य भंडार प्राप्त करने की आशा में प्राक्कलन करते हैं, परन्तु वे भंडार उस वर्ष में नहीं खरीदे जाते। दूसरी बात यह है कि कभी-कभी हम विदेशों से कुछ बातचीत चलाते हैं, और उसमें सफलता की आशा करके प्राक्कलन तैयार करते हैं, पर आय व्ययक के वर्ष में किसी न किसी कारण से वह बातचीत पूरी नहीं हो पाती। जांच करने पर कभी कभी वे चीजें उपयुक्त नहीं लगतीं। इस प्रकार वह राशि व्ययगत हो जाती है। एक उदाहरण दे दूं। एक विदेशी फर्म ने एक अत्यन्त महत्वपूर्ण विषय पर अगस्त १९५३ तक विवरण देने का वचन दिया। हमने तुरन्त अपने आय व्ययक प्राक्कलन स्वीकृत करा लिए। विवरण फरवरी, १९५४ में मिले। फरवरी और मार्च के दो महीनों में विवरणों की पूरी पूरी जांच न हो सकी और हम वचनबद्ध नहीं हुए। अतः इस विषय को स्थगित कर देना पड़ा। इससे एक करोड़ रुपया जिसका हमने उपबन्ध किया था, व्ययगत हो गया। मुझे खेद है कि मेरे मित्र वित्त मंत्री को इससे एक करोड़ रुपए का लाभ हो गया और मुझे एक करोड़ रुपए की हानि हो गई, परन्तु और कोई चारा नहीं है।

और भी उदाहरण हैं। लगभग २.५ करोड़ रूपए के एक परिमाप-पोत के खरीदने की बात थी, और हम इसके लिए हिन्दुस्तान शिपयार्ड को आर्डर देने वाले थे। इस वर्ष हमने उनको देने के लिए ४५ लाख रुपयों का उपबन्ध किया था। अब सब बात पूरी हो गई है, पर वित्त-विभाग इस कारण भुगतान नहीं करने दे रहा है कि वह ठेके पर हस्ताक्षर होने के बाद ही किया जा सकेगा। मैं कोई वचन नहीं ले सका, क्योंकि योजना आय व्ययक वर्ष में पूरी नहीं हो सकती।

इसी प्रकार २ करोड़ रुपयों की गाड़ियां विदेश से खरीदनी थीं। फर्म द्वारा दिए गए आद्य-रूप का यहां परीक्षण किया गया। वह हमें सन्तोषजनक नहीं लगा। हम वह सौदा न कर सके और हमें वह विचारछोड़ना पड़ा। अस्तु, व्यपगत हो जाने वाली राशि निधि से बाहर तो नहीं जाती। एक खाते से या एक मंत्रालय से यह वित्त मंत्रालय को चली जाती है और कोई घाटा नहीं होता है।

श्री रेड्डी ने इस पर आपत्ति की है कि हम अपनी लड़ाकू बन्दूकों को जांच के लिए इंगलैण्ड भेजते हैं। उस दिन इसी विषय पर एक प्रश्न भी रखा गया था। उनको जांच के

[श्री त्यागी]

लिए भेजने का अभिप्राय यह था कि हम उनकी दुनियां की सर्वश्रेष्ठ बन्दूकों से तुलना करना चाहते थे। इसके लिए हमने वे बन्दूकें उनके पास भेजी थीं और उनका अभिमत पूछा था। मैं उन फर्मों का बहुत कृतज्ञ हूं जिन्होंने अपना बहुमूल्य विचार हमें दिया है। हमने इससे लाभ उठाया है और अब कुल ४०० रुपए की लागत की बन्दूक दुनियां की सर्वश्रेष्ठ बन्दूक की समता कर सकती है। बहुत शीघ्र ही माननीय मित्रगण देखेंगे कि भारत में बनाई गई बन्दूकें भारत में एक सर्व-प्रचलित अस्त्र बन जाएंगी।

फिर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन की इस बात का उल्लेख किया गया था कि भारत में उपलब्ध पदार्थ बाहर से मंगाए जाते हैं। मेरे सहयोगी श्री सतीशचन्द्र कल बता चुके हैं कि परीक्षण-समितियां नियुक्त की जा चुकी हैं। दो-तीन मंत्रालयों को अपनी आवश्यकताओं से परिचित कराया जाता है और उनकी सहमति पाकर ही हम बाहर से माल मंगाते हैं। मेरे दाएं-बाएं बैठे हुए तथा अन्य सभी सहयोगियों के मंत्रालयों में भी परीक्षण समितियां हैं और यदि वे समझते हैं कि भारतीय उद्योग अपेक्षित पदार्थ की पूर्ति कर सकते हैं, तो वे मुझे तुरन्त रोक देंगे। अतः मुझे पूरा भरोसा है कि भविष्य में ऐसा कोई खतरा नहीं रहेगा।

इस वर्ष युद्ध सामग्री कारखानों का आय-व्ययक कम कर देने पर कई माननीय सदस्यों ने आपत्ति की है। सदन को इस विषय में आश्वस्त रहना चाहिए कि हमने काफी कच्चे माल का ढेर लगा लिया है। और उसकी खपत करनी होगी। अन्यथा वह नष्ट हो जाएगा। इसलिए इस माल के लिए हमने अपनी वार्षिक आवश्यकता का उपबंध नहीं किया है। फिर मांग बढ़ी भी नहीं है, क्यों? दुर्भाग्य से—अथवा मुझे दुर्भाग्य से नहीं कहना चाहिए—इन वर्षों में कोई युद्ध नहीं हुआ और इस कारण हमारे अस्त्रों और सामग्रियों की खपत नहीं हो सकी है। युद्ध न होने पर सामग्री की खपत नहीं होती है। अतः उत्पादन कुछ धीमा हो जाता है। कुछ बिल्कुल नई चीजें हैं, जिनको विकसित किया जा रहा है। इसमें समय लगेगा। इन कारखानों का आय व्ययक प्राक्कलन कुछ कम है, पर इसका अर्थ यह नहीं कि कारखाने कम काम कर रहे हैं। मैं सदन को बता दूं कि अकेले इसी वर्ष में हमारे कारखानों में १२.३ करोड़ रुपयों का सामान बनाया गया है। मैं चाहूंगा कि कि इस विषय में रुचि रखने वाले माननीय सदस्यगण हमारे युद्ध-सामग्री कारखानों को देखें। यदि कोई माननीय मित्र उनको देखना चाहे, तो उनका द्वार उनके लिए सदैव खुला है। मैं उनकी यात्रा का प्रबन्ध कर सकता हूं। उनके काम का वर्णन करना मेरे लिए सम्भव नहीं है। जैसा मैंने बताया, यह ऐसा उद्योग नहीं है, जिसके विवरण सदन के सम्मुख और उसके द्वारा जनसाधारण के सम्मुख रखे जा सकें।

एक युद्ध सामग्री के कारखाने से एक फाइल चुराए जाने सम्बन्धी एक दिलचस्प कथा प्रचलित हो रही थी। विरोधी दल के कुछ माननीय सदस्य बार-बार इस बात को दोहराते थे। मैंने इस सम्बन्ध में छानबीन की है। मेरे मंत्रालय को इस फाइल की चोरी के सम्बन्ध में एक बर्खास्त कर्मचारी से इस फरवरी के महीने में सूचना मिली थी। उसे गैर-अनुशासन तथा कुछ अन्य बातों के कारण बर्खास्त कर दिया गया था और उसकी सरकार से काफी मुकद्दमेबाजी भी हुई थी। उसने सूचना दी कि एक फाइल जिसमें तीन इंची मोर्टार बम बनाने का विवरण था एक अंग्रेज, श्री कुक, द्वारा जो इस समय इस

फैक्टरी के मैनेजर हैं, पाकिस्तान भेज दी गयी है। चूंकि यह बड़ी सनसनीखेज खबर थी, इसलिए मामले की तहकीकात की गयी। फाइल को वास्तव में गायब पाया गया। एक बारगी यह समझा गया कि शायद यह सचमुच पाकिस्तान भेज दी गयी है। किन्तु, भाग्यवश, एक दिन जबकि महतर फर्श साफ कर रहा था उसे उस फाइल का एक कागज़ मिला। इसलिए हमने उस सेक्शन में ढुंढाई प्रारम्भ कर दी जिसके बरामदे में यह कागज़ मिला था। एक रैक में फाइल मिल गयी—अनेक टुकड़ों में फटी हुई; और एक खाने में इन टुकड़ों का एक बड़ा बंडल मिला। इस लिए यह फाइल फटी हुई दशा में मिली और पाकिस्तान कभी नहीं गयी। मैं सदन को विश्वास दिला सकता हूं कि यदि यह फाइल पाकिस्तान चली भी जाती तो पाकिस्तान को इसका कोई लाभ नहीं होता क्योंकि वह व्यक्ति जो इस शस्त्र के निर्माण से सम्बन्धित था, विभाजन के पश्चात् पाकिस्तान चला गया। वह एक मुसलमान है और इस समय पाकिस्तान की आर्डिनेंस फैक्टरियों (युद्ध सामग्री के कारखाने) का शायद डायरेक्टर है। इसलिए पाकिस्तान को इस शस्त्र के बारे में अच्छी तरह ज्ञान है और यह वहां बनाया जा रहा है। इस प्रकार फाइल के पाकिस्तान जाने की कथा बिल्कुल कल्पित है। यह कथा फैक्टरी के मैनेजर को बदनाम करने के लिए बनायी गयी है जिसका कि उपर्युक्त कर्मचारी को बर्खास्त कराने में मुख्य हाथ था।

मेरे माननीय मित्र सरदार ए० एस० सहगल ने कहा कि ई० एम० ई० अधिकारियों का वेतन बिल बढ़ रहा है जबकि अन्य श्रेणियों का कम हो रहा है। कारण यह है, एक लम्बे अरसे से हम कम ई० एम० ई० अधिकारियों से काम चला रहे थे जबकि स्वीकृति अधिक की मिली हुई थी। अब वह कमी पूरी की जा रही है और स्वभावतः ही उनका वेतन बिल बढ़ रहा है।

जहां तक सहायक प्रादेशिक सेना का सम्बन्ध है, मेरे माननीय मित्र श्री भागवत झा ने कहा कि सात दिन का प्रशिक्षण अपर्याप्त है। जैसा मैंने पहले बतलाया, इस सम्बन्ध में आलोचनाएं और सुझाव संकलित एवम् सूचीबद्ध किए जा रहे हैं आगामी मास सहायक प्रादेशिक सेना के मंत्रणा बोर्ड की बैठक होगी और ये समस्त सुझाव उसके सम्मुख रक्खे जायेंगे तथा यह बोर्ड इस बात का निर्णय करेगा कि इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जाए।

जहां तक प्रादेशिक सेना का सम्बन्ध है, इसकी संख्या इतनी कम नहीं है जितनी कुछ माननीय सदस्यों ने बतलायी। सुरक्षा कारणों से मैं इसकी ठीक ठीक संख्या नहीं बतला सकता।

फिर सरकारी कर्मचारियों की अनिवार्य भरती के सम्बन्ध में आलोचना हुई है। मैं बतलाना चाहता हूं कि यह चीज़ हमने एका-एक अथवा जल्दबाज़ी में नहीं की है। इस योजना पर भली भांति विचार किया जा चुका था। मुझे खुशी है कि भारत सरकार तथा राज्य सरकारों के कर्मचारी देश की रक्षा के कार्य में आगे आ रहे हैं। देश को यह जानना चाहिए कि छोटे से छोटे से लेकर बड़े से बड़े सरकारी कर्मचारी आक्रान्ता के विरुद्ध देश की रक्षा के लिए हथियार लेकर खड़ा हो सकता है।

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]।

आर्डिनेंस फैक्टरी में छंटनी की कुछ बात कही गयी। मैं बतला दूं कि कोई छंटनी नहीं की गयी है और आर्डिनेंस फैक्टरियों की नाम सूचियों में अब भी लगभग २००० अतिरिक्त मजदूर हैं। उन्हें काम दिलाने का प्रयत्न किया जा रहा है, किन्तु वे राष्ट्र के कोष पर भार हैं।

[श्री त्यागी]

मुझे आशा है कि उनमें से अनेकों को किसी न किसी प्रकार का काम दिलाया जा सकेगा। गत वर्ष आर्डिनैंस फैक्टरियों का नागरिक खपत के लिए उत्पादन लगभग ६५ लाख रु० मूल्य का था। इस वर्ष यह बढ़ कर १२० लाख रु० हो गया और आशा है कि आगामी वर्ष यह उत्पादन लगभग १८५ लाख रु० हो जाएगा। इसलिए आर्डिनेंस फैक्टरियों में से किसी की छंटनी नहीं की गयी है और न छंटनी करने का सरकार का इरादा है। सरकार अधिक काम का प्रयत्न कर रही है और अधिक काम होते ही हम इनमें से कुछ मजदूरों को लेने का प्रयत्न करेंगे।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : डिपोओं में क्या हो रहा है ?

श्री त्यागी : डिपोओं में उन्हें रखना बहुत कठिन है क्योंकि वहां उत्पादन का काम नहीं है वरन् जो सामान मौजूद है उसकी देखभाल करना है। मैं उनसे यह तो नहीं कह सकता कि इस सामान को बाहर निकालो और फिर अन्दर रख दो।

मैं अपने माननीय मित्र श्री जी० एस० सिंह जी द्वारा कही गयी बातों का आभारी हूं। उनके महत्वपूर्ण सुझावों पर अवश्य ही विचार किया जाएगा। जबकि उन्होंने हमारे सैनिकों की बड़ी उदार प्रशंसा की है उन्होंने मेरे ऊपर यह लांच्छना लगाई है कि छोटे सैनिक पदाधिकारियों को सीधे अपने पास आकर अपनी दिक्कतें पेश करने के लिए कह कर मैं अनुशासन खराब कर रहा हूं। मैं बतलाना चाहता हूं कि अनुशासन बिल्कुल खराब नहीं हुआ है। अभी हाल ही में एक परिपत्र जारी किया गया है कि कोई भी पदाधिकारी सीधे सरकार के पास पहुंच नहीं कर सकता, उसे उचित माध्यम के जरिए ही अपनी बातें पेश करनी होंगी किन्हीं भी पदाधिकारियों को राजनीतिज्ञों के जरिये भी अपनी शिकायतें नहीं पेश करने दी जायेंगी। आदेश जारी कर दिये गये हैं कि ऐसा करने वाले पदाधिकारी को अनुशासन भंग करने की सजा मिलेगी। जहां तक मजदूरों का सम्बन्ध है, इस काम के लिए उनकी यूनियनें मौजूद हैं और मैं उन्हें प्रोत्साहित कर रहा हूं।

मैं सदन को और उसके जरिये देश को विश्वास दिलाता हूं कि आवश्यकता के समय आपके सिपाही, नाविक और विमानचालक उन पर आप द्वारा रखे गये भरोसे को पूरा करेंगे। वे बहुत निष्ठावान हैं, और उसी निष्ठा के साथ आपका साथ देंगे, समस्त मुसीबतों का सामना करेंगे और देश की पूरी तरह से रक्षा करेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं रक्षा मंत्रालय से सम्बन्धित समस्त कटौती प्रस्तावों को सदन के मतदान के लिए प्रस्तुत करूंगा।

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं मांगों को सदन के मतदान के लिए प्रस्तुत करूंगा।

अध्यक्ष द्वारा मांग संख्या ११, १२, १३, १४, १५, १६ और ११४ मतदान के लिए प्रस्तुत की गयीं तथा स्वीकृत हुईं।

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा शिक्षा मंत्रालय से सम्बद्ध मांगों पर विचार करेगी।

उपाध्यक्ष महोदय ने ३१ मार्च, १९५५ को समाप्त होने वाले वर्ष के लिये अनुदानों की निम्न मांगें प्रस्तुत कीं :

मांग संख्या	शीर्ष	राशि
		रुपये
१७	शिक्षा मंत्रालय	३७,५६,०००
१८	पुरातत्व	४४,७२,०००
१९	अन्य वैज्ञानिक विभाग	२००,५३,०००
२०	शिक्षा	१,११३,३०,०००
२१	शिक्षा मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा व्यय	३०,१७,०००

उपाध्यक्ष महोदय : सदस्यगण अपने अपने कटौती प्रस्ताव कृपया सचिव महोदय को दे दें निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये गए।

मांग संख्या	कटौती प्रस्तावक	कटौती आधार	कटौती राशि
			रुपये
१७	श्री वी० पी० नायर (चिरायिन्किल)	शिक्षा के लिये अपर्याप्त व्यय	१००
१७	श्रीमती रेणु चक्रवर्ती	खर्चीले पब्लिक स्कूलों को दी जाने वाली सहायता	१००
१७	श्रीमती रेणु चक्रवर्ती	पदाधिकारियों के ऊंचे वेतन	१००
१७	श्रीमती रेणु चक्रवर्ती	शिक्षकों की स्थिति तथा सेवा की शर्तें	१००
१७	श्रीमती रेणु चक्रवर्ती	शिक्षकों के वेतन क्रम	१००
१७	श्रीमती रेणु चक्रवर्ती	महिलाओं की शिक्षा	१००
१७	श्रीमती रेणु चक्रवर्ती	मातृभाषा के माध्यम द्वारा शिक्षा	१००

मांग संख्या	कटौती प्रस्तावक	कटौति आधार	कटौति राशी
१७	श्री बहादुर सिंह (फ़ीरोज़पुर लुधियाना--रक्षित--अनुसूचित जातियां)	शिक्षा के बारे में स्थिर नीति	१००
१७	श्री बहादुर सिंह	शिक्षा के लिये अपर्याप्त व्यय	१००
२०	श्री वी० पी० नायर	सार्वभिक तथा अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा	१००
२०	श्री बूबराघसामी (पेराम्बलूर)	पिछड़े वर्गों के विद्यार्थियों को छात्रवृतियां	१००
२०	श्री बैरो (नाम-निर्देशित --आंग्ल-भारतीय)	माध्यमिक शिक्षा आयोग का प्रतिवेदन	१००

उपाध्यक्ष महोदय : इस मंत्रालय की मांगों के लिये ३ बजे से ५ बजे तक दो घंटे निर्धारित किये गये हैं। माननीय मंत्री कितना समय लेंगे ?

मौलाना आज़ाद : मुझ को बहुत थोड़ा वक्त चाहिए इसलिए कि मैंने इरादा कर लिया था कि मैं अपनी तरफ़ से मिनिस्ट्री के कामों पर कुछ रिव्यू नहीं करूंगा क्योंकि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। पिछले साल मैं कामों का नक्शा हाउस के सामने रख चुका हूं। रिपोर्ट निकल चुकी है। अब इस साल बहुत बहस हो जाने के बाद अगर कुछ बातें ऐसी हुईं जिनके साफ करने की जरूरत हुई तो मैं उनको साफ करने की कोशिश करूंगा। मैं समझता हूं कि मेरे लिये १५-२० मिनट काफ़ी होंगे।

उपाध्यक्ष महोदय: अब हमारे लिये एक घंटा और बीस मिनट बचे हैं। मैं प्रत्येक दल के प्रवक्ता को १० मिनट दूंगा। ऐसे चार दल हैं।

कुछ माननीय सदस्य : १५ मिनट मिलने चाहियें।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि चार दलों को १५,१५ मिनट दिए जाएं और उनके पश्चात् माननीय मंत्री बोलते हैं, तो कांग्रेस दल के ३५० सदस्यों को कहां से समय मिलेगा।

श्री नम्बियार : उनका प्रतिनिधित्व मंत्री करते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : मंत्री अथवा सरकार सारे भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं। क्या आचार्य कृपलानी बोलना चाहते हैं ?

आचार्य कृपालानी : क्या आप चाहते हैं कि मैं केवल दस मिनट बोलूं ? मुझे भय है कि यह असम्भव होगा।

उपाध्यक्ष महोदय : कार्यक्रम मंत्रणा समिति ने ये दो घंटे निर्धारित किये हैं।

आचार्य कृपालानी : देखिये, श्रीमान्। शिक्षा को क्या महत्व दिया जा रहा है। मुझे पता नहीं कि क्या हमारे शिक्षा मंत्री को यह बात पसन्द है।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं माननीय सदस्यों से एक बात कह देना चाहता हूं । दुर्भाग्यवश एक धारणा फैलती जा रही है कि इन बातों के लिए अध्यक्ष जिम्मेवार हैं । किन्तु समय के वितरण की सारी जिम्मेवारी कार्यक्रम मंत्रणा समिति पर होती है जिसमें प्रत्येक दल का प्रवक्ता सम्मिलित है । तो फिर इस विषय के बारे में सभा के सम्मुख शिकायत करने से क्या लाभ होगा ?

मौलाना आजाद : इसमें और वक्त जाया जा रहा है ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं क्या करूं ?

आचार्य कृपालानी : मैं आप पर दोष नहीं लगा रहा हूं । मैं सदन का ध्यान केवल इस बात की ओर दिला रहा था कि शिक्षा को कितना महत्व दिया जाता ।

प्रत्येक राजनीतिज्ञ तथा शिक्षा विशेषज्ञ हमारी शिक्षा प्रणाली से असंतुष्ट है, चाहिये तो यह था कि शिक्षा के विषय पर सबसे अधिक ध्यान दिया जाता, क्योंकि हमारा भावी समाज उन्हीं लाइनों पर बनेगा जिन पर कि हम अपने बच्चों को शिक्षा देंगे । शिक्षा प्रणाली में सुधार करने की यहां भी कोशिश की गई परन्तु वह ऊपर से की गई, मूल अथवा आधार से नहीं । पहले विश्व विद्यालय आयोग स्थापित किया गया, फिर माध्यमिक शिक्षा आयोग स्थापित किया गया, आदि । शिक्षा प्रणाली में आमूल चूल सुधार करने का यह कोई तरीका नहीं । केन्द्रीय सरकार पर इन दिनों नृत्य, संगीत तथा नाटक आदि की धुन सवार हुई है, यह बातें पीछे आ जानी चाहियें थीं ? मैं समझता हूं कि हम अपने पूर्वजों की शिक्षा प्रणाली अपना रहे हैं जिसमें कि कुछ इने गिने लोगों को उच्च शिक्षा मिलती थी तथा शेष जनसाधारण शिक्षा से अनभिज्ञ रहते थे ।

किसी प्रकार की व्यापक क्रान्ति के बाद सबसे पहले शिक्षा की समस्या सुलझाई जाती है । परन्तु यहां जिस शिक्षा प्रणाली की हम पहले निन्दा करते थे वह क्रान्ति आने के बाद भी यथापूर्व चल रही ।

बताया जाता है कि शिक्षा का सम्बन्ध चरित्र बनाने से है । इस बारे में हमें यह बात भी ध्यान में रखनी चाहिये कि हमारा आदर्श क्या हैं, हम किस प्रकार का समाज बनाना चाहते हैं । हर देश में हर क्रान्ति के बाद यह बात ध्यान में रखी गई । कहीं औद्योगिक समाज पर अधिक ध्यान दिया गया, कहीं सैनिक शक्ति आदि पर अधिक ध्यान दिया गया और कहीं व्यवसाय आदि पर ध्यान दिया गया, स्वतन्त्रता से पूर्व हमारी इस सम्बन्ध में नीति क्या थी ? कुछ लोग गुरुकुल प्रणाली को फिर से जीवित करना चाहते थे, कुछ राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली अपनाना चाहते थे और कुछ इस प्रणाली को ज्यों का त्यों रखना चाहते थे । १९२० में गांधीजी ने राष्ट्रीय शिक्षा संस्थाओं की व्यवस्था की तथा धीरे धीरे बुनियादी शिक्षा नाम की एक प्रणाली तैयार की । उनके मतानुसार जातिहीन तथा वर्गहीन समाज के निर्माण के लिए बुनियादी शिक्षा प्रणाली आवश्यक थी । सोवियत रूस में भी वहां के लोगों ने अपनी आवश्यकता के अनुसार एक शिक्षा प्रणाली तैयार की है ।

आरम्भ से ही हमारी शिक्षा प्रणाली धनी वर्गों के फायदे के लिए रही है । गरीबों के लिए न कालेज बने और न ही स्कूल । वर्तमान प्रणाली भी अधिकांश रूप से उसी वर्ग के लिए है, जो भी सांस्कृतिक संस्थाएं बनाई जाती हैं, उच्च वर्गों के लिए बनाई जाती हैं, तथा दिल्ली जैसे नगरों में बनाई जाती हैं ।

[आचार्य कृपलानी]

शिक्षा के सम्बन्ध में हमारा बजट दस गुना बढ़ गया है, मैं मानता हूं कि यह ज्यादा नहीं, परन्तु हम इस पैसे से यथोचित लाभ नहीं उठा रहे हैं ।

शिक्षा के सम्बन्ध में हमारा कोई आदर्श नहीं, कोई योजना नहीं । हम अपना पैसा गंवा रहे हैं । वर्तमान शिक्षा प्रणाली से एक नया ब्राह्मण समाज पैदा हो रहा है जबकि हम पुराने वर्णभेद को समाप्त करने के लिए अभी तत्पर ही हैं ।

प्रश्न यह है कि क्या हम वर्गविहीन समाज बनाने के लिए उत्सुक हैं ? यदि हम उत्सुक हैं तो हमारी शिक्षा भी वर्गविहीन होनी चाहिए । सरकार को चाहिये कि वह जनसाधारण को शिक्षा देने की ज़िम्मेवारी अपने ऊपर ले । धनी लोग स्वयं अपने बच्चों को शिक्षा दे सकते हैं । जो लोग विशेष प्रकार की शिक्षा चाहते हैं वे पैसा खर्च कर के इसे प्राप्त कर सकते हैं । गांधीजी का भी यही मत था । हमें शासकों का एक वर्ग तैयार नहीं करना है जो तथा जिनके बेटे पोते गरीबों पर शासन करते रहें । हम चाहते हैं कि बिना किसी भेदभाव के जनता को शिक्षा मिले । हमें वर्गभेद तथा जातिभेद की धारणा खत्म करनी है । इसीलिए मैंने निवेदन किया कि हम अपना पैसा गंवा रहे हैं । बड़े बड़े उच्च अधिकारी नियुक्त किये गए हैं किन्तु उनका जनसाधारण की शिक्षा से कोई सम्बन्ध नहीं दिखाई देता है । ऐसी दशा में यह कहना अनुचित ही होगा कि हम वर्गविहीन समाज के निर्माण के लिए प्रयत्न कर रहे हैं । यदि हम लोक शिक्षा की व्यवस्था करेंगे तो संस्कृति स्वयं ही आजायगी, इस समय हम संस्कृति ऊपर से थोप रहे हैं तथा यह कुछ व्यक्तियों अथवा वर्गों तक ही सीमित है । जहां तक शिक्षा पर धन खर्च करने का सम्बन्ध है मैं यहां तक भी तैयार हूं कि सेना पर से खर्चा घटा कर शिक्षा पर अधिक धन लगाया जाना चाहिये । मुझे आशा है कि इस के लिये अधिक धन दिया जायेगा । परन्तु यह इस तरह से व्यय न किया जाना चाहिये जिस तरह से यह इस समय किया जा रहा है । हमें मैट्रिक तक हर बालक बालिका को शिक्षा देनी चाहिये तथा फिर चुने हुये चतुर बालक बालिकाओं को छात्र वृत्तियां आदि दे के उच्च शिक्षा देनी चाहिये । हमें इस तरह से बाद में गवेषणा के काम पर धन खर्च नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि इस तरह से छात्र स्वयं गवेषणा करेंगे । आज अमीर लड़कों को चाहे वे कितने ही मूर्ख क्यों न हों उच्च शिक्षा दी जाती है ; आदि आदि । इस तरह की स्थिति को रहने नहीं दिया जा सकता है ।

उपाध्यक्ष महोदय : शिक्षा का विषय एक महत्वपूर्ण विषय है तथा प्रत्येक सदस्य इस सम्बन्ध में अपना भाषण दस मिनट में समाप्त करना मुश्किल पाता है । मैं संकल्प के लिये रखे गये समय में से एक घंटा ले लेता हूं । इस संकल्प पर संयुक्त समिति में चर्चा की गई है तथा इस पर वहां फिर चर्चा होगी । मैं विभिन्न पक्षों के नेताओं को १५ मिनट तथा शेष वक्ताओं को बोलने के लिये दस मिनट देना चाहता हूं ।

श्री राधेलाल व्यास (उज्जैन) : संकल्प को हम किसी अन्य दिन के लिये स्थगित कर सकते हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय : यदि सरकार मान जाय तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है ।

श्री टंडन (ज़िला इलाहाबाद—पश्चिम) : सभापति महोदय, शिक्षा का विषय हमारे भविष्य का निश्चय करने वाला है । अपने देश की रक्षा अवश्य ही बहुत बड़ा विषय है, परन्तु रक्षा के लिये भी बुद्धि की और विद्या की आवश्यकता होती है । इसलिये मेरा सदा

यह विचार रहा है कि देश की रक्षा के साथ शिक्षा का क्रम क्या है, शिक्षा चलाने की रीति क्या है, किस तरह से हम अपने युवकों को भावी कार्य क्रम के लिये तैयार कर रहे हैं, यह सब विषय आ जाते हैं। इस के ऊपर राष्ट्र का बहुत अधिक धन खर्च होना चाहिये।

पिछले कुछ वर्षों के भीतर विश्वविद्यालयों के दीक्षान्त भाषणों में, उन के कनवोकेशनों में, कई शिक्षा विषय के जानकारों ने बार बार यह कहा कि आज का शिक्षा क्रम उचित नहीं है, दूषित है, इस को बदलो। हमारे कई राज्यपालों ने, गवर्नरों ने अपने दीक्षान्त भाषणों में इस पर बल दिया है। परन्तु कहा तो कइयों ने, ऊंचे ऊंचे पदाधिकारियों ने, देखने में कोई परिवर्तन दिखाई नहीं दिया। परिवर्तन एक दिन में नहीं होता, बहुत जल्दी नहीं होता, यह तो सब ही जानते हैं, परन्तु कुछ निश्चय उधर चलने का दिखाई देता, इस की हम आशा करते थे। अभी जान पड़ता है कि हमारे शिक्षा विभाग ने अपना निश्चय नहीं किया कि भावी शिक्षा का कार्य क्रम क्या हो। आज जो यूनिवर्सिटियां चल रही हैं वे बहुत पुराने समय में बनाई गई थीं। उनकी कल्पना अंग्रेजों ने अपनी आवश्यकताओं के अनुसार और कुछ अपने इंगलैंड के कार्यक्रमों के अनुसार की थी। इंगलैंड की कई यूनिवर्सिटियां बहुत ऊंची हैं। परन्तु विचार करने की तो बात यह है कि क्या अब भी हम उस मार्ग पर ही चलेंगे जिस पर कि पुराने अंग्रेजों ने हमको चला दिया। मैं निवेदन करता हूं कि हमारे देश की शिक्षा प्रणाली अपने देश की संस्कृति के अनुरूप और आवश्यकताओं के अनुरूप होनी चाहिये। इंगलैंड की या यूरोप की शिक्षा प्रणाली में जो कुछ अच्छी बातें मिलें उन को हम लें, परन्तु हमें स्मरण रखना चाहिये कि हमारे देश के आदर्श कुछ दूसरे हैं, संस्कृतियों में अन्तर है। हमारा देश कुछ नया देश तो नहीं है, हमारे यहां शिक्षा में बहुत प्रयोग पहले भी हो चुके हैं। जो प्रयोग अंग्रेजों ने किया वह इन्होंने अपने ढंग से किया। हमारे पुराने लोगों ने भी किये थे। तो हमारे विचारने की बात है कि क्या अपने पुराने जो रास्ते थे, उन में कोई अच्छा रास्ता था जिसको आज हम अपना सकते हैं। मुख्य बात शिक्षा के सम्बन्ध में सोचने की यह है कि हम अपने युवकों को क्या बनाना चाहते हैं। हम क्या केवल उन को पढ़ा लिखा कर अपने देश के जो आवश्यक धन्धे हैं, उन में ही लगाने का यत्न करना चाहते हैं या उन के भीतर कुछ नैतिक आदर्श पैदा करना चाहते हैं।

इसके विषय में मेरा निवेदन है कि हमारे यहां का जो पुराना रास्ता था वह आज के रास्तों की अपेक्षा अच्छा था। विद्यार्थी का जीवन कोमल न हो, अपनी मांग संवारने, और हैट, बूट की चिन्ता में उनका रुपया और समय न जाय, किन्तु उनके जीवन में कठोरता हो, करीपन हो, ब्रह्मचर्य की अवस्था में वे सिनेमाओं के शौकीन न हों, वे नाच गाने के आदी न हों, इस के लिये हमें ऐसा वायुमण्डल पैदा करना होगा जिसमें ब्रह्मचर्य की रक्षा हो। उचित यह है कि हम ब्रह्मचर्य के क्रम से अपने विद्यार्थियों को रखें, उन में ब्रह्मचर्य की शक्ति और तेज पैदा हो, इसकी हम चिन्ता करें, परन्तु आज तो वह चिन्ता नहीं है। दिल्ली में लड़के पढ़ रहे हैं, सहत्रों हैं, लखनऊ में लड़के पढ़ रहे हैं, सहस्त्रों हैं, शाम को वह कहां कहां जाते हैं, किसी को खबर नहीं। किन किन सिनेमाओं में और घरों में घुसते हैं, क्या शौकीनी उन के दिमाग़ में है, क्या कपड़ा पहनते हैं, किस तरह से रहते हैं, कोई गुरु इसको देखता नहीं। अभी हमारे भाई कृपालानी जी ने कुछ थोड़ा सा संकेत दिया कि लड़कों ने क्या क्या किया है।

श्री विभूति मिश्र (सारन व चम्पारन): अध्यापकों का भी यही हाल है।

श्री टंडन : तब शिक्षा विभाग पर और केवल शिक्षा विभाग पर ही नहीं बल्कि हर प्रदेश के शासन पर, केन्द्रीय शासन के केवल शिक्षा मंत्री पर नहीं, बल्कि सब शासनों पर इसका दायित्व है, सब पर एक बड़ी जिम्मेदारी पड़ती है। अभी एक भाई ने कहा कि अध्यापकों का भी यही हाल है। जब अध्यापक ऐसे हों तो फिर विद्यार्थी किस को देख कर अपने को ढाल सकेंगे.....

डा० एन० बी० खरे : शासक कैसे होंगे।

श्री टंडन : समय मेरा थोड़ा है। पुराने समय में गुरु अपने बच्चों से यह आशा करता था—सत्यम् वद धर्मम् चर। बच्चों को यह सिखलाता था, वह इससे भी ऊपर चढ़ता था और बच्चों के सामने स्वयं अपने को उदाहरणस्वरूप धरता था, वह स्वयं अपने चरित्र को उदाहरण के लिये रखता था, केवल मुंह से ही उन्हें यह नहीं सीख देता था कि ऐसे बनो, उनके सामने स्वयं को आदर्श स्वरूप रखता था। अब आज अगर ऐसे अध्यापक हों जैसे मेरे भाई ने बताया, तो वह कैसे अपने को बच्चों के सामने रख सकते हैं। अगर कभी किसी गुरू में कोई कमजोरी होती भी थी तो भी वह इस प्रकार चेतावनी देता था—'यान्यास्माकं सुचरितानि तानि सेवितत्यानि नो इतराणि'। कैसा ऊंचा वाक्य है, इच्छा होती है कि संसार भर के गुरु इस को रट लेते। 'सुचरितानि' मेरे में जो गुण हैं उसी को ग्रहण करना, 'नो इतराणि' दूसरों को अर्थात् दूषणों को फेंक देना, मत ग्रहण करना। आज यह अध्यापकों में शक्ति हो, इसकी आवश्यकता है। आज हमें अपने शिक्षा के क्रम को इस तरह से रखना है, एक आमूल चूल परिवर्तन करना है, जिसमें बच्चों के ऊपर अध्यापकों का अच्छा प्रभाव पड़ सके। यह मुख्य बात है। उसका रास्ता ढूंढना पड़ेगा। हमारे पुराने समय में ऋषिकुल कहिये या गुरुकुल कहिये उसकी प्रथा थी। बच्चे गुरुओं के साथ रखे जाते थे और उस समय के गुरु पैसों की चिन्ता करने वाले नहीं होते थे, पैसे से अचिन्त थे, उन्हें पैसे की फिक्र नहीं रहा करती थी, शासन उन को अचिन्त करता था। साधारण उनकी आवश्यकतायें होती थीं। वह कोमलता से जीवन व्यतीत करने वाले नहीं होते थे, उनके जीवन में एक कठोरता और तपस्या होती थी और उनके जीवन को देख कर बच्चे स्वयं अपने चरित्र को उनके अनुकूल बनाते थे। मेरा निवेदन है कि आज उसी प्रकार की युनिवर्सिटियां हों। मैं प्रयाग का रहने वाला हूं। भरद्वाज मुनि ने प्रयाग में बहुत बड़ी युनिवर्सिटी बनाई थी। आज दो हज़ार, तीन हज़ार लड़कों की संख्या एक संस्था में बहुत मानी जाती है। भरद्वाज कुलपति कहलाये हैं और कुलपति की परिभाषा हमारे कोषों में यह दी है कि जो गुरु दस सहस्र विद्यार्थियों के पढ़ाने का इन्तजाम करे, उन के भोजन का इन्तजाम करे उसको कुलपति कहते हैं। कुलपति की यह परिभाषा आपको कोष में मिलेगी। चूंकि घंटी बज चुकी है मैं इतना ही निवेदन करूंगा कि इस सम्बन्ध में गम्भीर विचार की आवश्यकता है, गम्भीर विचारकों की आवश्यकता है, उन विचारकों की आवश्यकता है जिन के जीवन में स्वयं तपस्या हो, जो अपनी तपस्या से विचार करके हमारे देश के सामने कुछ मौलिक वस्तु रख सकें और उनके अनुसार स्वयं आचरण करके दूसरों से आचरण करा सकें। मेरा इतना निवेदन है। बस इस विषय को मैं यहीं छोड़ता हूं।

मैं कुछ शब्द शिक्षा के जो अनुदान हैं, ग्रान्ट्स हैं उन के बारे में कहना चाहता हूं।

मुझे भाषा के विषय में कुछ शब्द कहने हैं। उस दिन हमारे शिक्षा मंत्री नहीं थे। पांच दिनों की जो बहस यहां पर हुई थी, उस में मैं ने भी भाग लिया था। मेरी इच्छा थी कि वह उस अवसर पर उपस्थित होते। आज वह उपस्थित हैं और मुझे अवसर मिला है कि मैं थोड़ा सा दिल खोल कर उनके सामने रख दूं .....

डा० एन० बी० खरे : लेकिन वह सो रहे हैं।

श्री टंडन : ऐसा बद ख्याल मत कहिये। मंत्री जी जानते हैं कि मैं हिन्दी का पुराना सेवक हूं। हिन्दी के विषय में बहुत वर्षों से विचार करता रहा हूं, किस प्रकार से उसका काम हो इस पर मैं ने ध्यान दिया है और मेरे जीवन का एक बहुत बड़ा अंश हिन्दी की एक बड़ी संस्था हिन्दी साहित्य सम्मेलन के चलाने में लगा है।

आज देश में हिन्दी की सबसे बड़ी संस्था वह मानी जाती है। इसके अधीन लगभग १८०० केन्द्र इस दश में हैं जहां इसकी और इसकी शाखा संस्था की परीक्षायें होती हैं। यह इसका एक काम है। इसकी परीक्षाओं में कुल मिला कर दो लाख से ऊपर परीक्षार्थी अर्थात् कैन्डिडेट हर साल बैठते हैं। इस की सब से ऊंची जो परीक्षा है जिसका नाम साहित्य रत्न है, वह आपकी किसी युनिवर्सिटी की एम० ए० की कक्षा से नीची नहीं पड़ेगी। जितनी युनिवर्सिटियां हैं जिनको आप अनुदान देते हैं, किसी को २३ लाख, किसी को १२ लाख, किसी को १५ लाख, आप देते हैं या भिन्न भिन्न राज्य देते हैं। आपके यहां से तीन को अनुदान दिया जाता है और जामिया मिलिया को भी पिछले कुछ वर्षों में ३, ४, और ५ लाख रुपया हर साल किसी न किसी रूप में दिया गया है। कभी २ कभी ३ और कभी ५ लाख दिया गया है। मगर हिन्दी साहित्य सम्मेलन, की साहित्य रत्न परीक्षा में इतने परीक्षार्थी बैठते हैं और पास होते हैं जितने कि कुल युनिवर्सिटियों को मिला कर भी नहीं होते हैं। आप इलाहाबाद युनिवर्सिटी, लखनऊ युनिवर्सिटी, दिल्ली युनिवर्सिटी, जामिया मिलिया, कलकत्ता युनिवर्सिटी, बम्बई युनिवर्सिटी, सब को मिला कर लीजिये कि एम० ए० की परीक्षा में हिन्दी के कितने परीक्षार्थी बैठते हैं, और कितने पास होते हैं। इन सबको मिला कर जो संख्या हो उसकी चौगुनी संख्या में हिन्दी साहित्य सम्मेलन तैयार करता है। परन्तु मुझे ऐसा जान पड़ता है कि हमारे शिक्षा विभाग को हिन्दी साहित्य सम्मेलन पर अधिक भरोसा नहीं है। वह इसकी तरफ से जैसे आशंकित है। सच है, सम्मेलन हिन्दी के लिये लड़ा था, सम्मेलन के लड़ने पर ही राष्ट्र भाषा का प्रश्न उठा, उसकी ओर के प्रतिनिधि बराबर लड़े कि हिन्दी राष्ट्रभाषा हो। मैं जानता हूं कि हमारे आज के शिक्षा मंत्री की राय थी कि हिन्दी न हो, हिन्दुस्तानी हो, उनका भाषण कांस्टीटूएन्ट ऐसेम्बली का मौजूद है।

श्री नन्द लाल शर्मा (सीकर) : हिन्दुस्तानी कोई भाषा नहीं है।

श्री टंडन : हमारे शिक्षा मंत्री की यह राय थी कि नागरी अक्षर और उर्दू अक्षर दोनों चलाये जायें। कान्स्टिटुएन्ट ऐसेम्बली में यह सवाल बार बार आया, उस के ऊपर राय ली गई और आप सबको मालूम है कि राय का क्या नतीजा हुआ। मुझको तो कांग्रेस पार्टी के अन्दर जो वोटिंग हुई थी वह भी याद है। परन्तु अब जब हिन्दी स्वीकार हो गई तब मैं यह आशा करता हूं, और हृदय से कहता हूं कि मैं शिक्षा मंत्री का आदर करता हूं, कुछ बातों में मेरा उनका मतभेद है, परन्तु मैं हृदय से उनका आदर करता हूं, आज से नहीं वर्षों से मैं उनको जानता हूं, तो मैं यह आशा करता हूं कि जब तय हो गया कि हिन्दी

[श्री टंडन]

चले, हिन्दुस्तानी नहीं, उर्दू नहीं, तब हिन्दी के ऊपर बल होना चाहिये, और जिस संस्था ने इतना काम किया है, उस संस्था के द्वारा हमको कामों को कराने का यत्न करना चाहिये। मगर बात यह है कि हिन्दी साहित्य सम्मेलन या और जो दो एक बड़ी संस्थायें देश में हैं, जो हिन्दी का काम करती आई हैं, उन की ओर से शिक्षा विभाग का मन फिरा हुआ है, और उनकी अवहेलना होती है।

नागरी प्रचारिणी सभा और हिन्दी साहित्य सम्मेलन, यह मुख्य संस्थायें हैं देश में। हिन्दी साहित्य सम्मेलन ने जड़ लगाई मद्रास में दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा की। मद्रास में, कुल राष्ट्र भाषा का प्रचार, हिन्दी साहित्य सम्मेलन का चलाया हुआ है। दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा सम्मेलन की लगाई हुई वस्तु है, सम्मेलन ने इस को आरम्भ किया, सम्मेलन की वह शाखा सन् १९२८ में इसलिये स्वतंत्र की गई कि वह हिन्दी का काम स्वतंत्रता से आगे बढ़ावे। आज सम्मेलन की एक शाखा वर्धा में है, राष्ट्र भाषा हिन्दी प्रचार सभा, जिसका आरम्भ गांधी जी और श्री जमना लाल बजाज ने किया। परन्तु जब गांधी जी की नीति में हिन्दी और हिन्दुस्तानी का अन्तर पड़ा तब गांधी जी उससे अलग हो गये। हिन्दी संसार जानता है, दूसरे भी जानते हैं कि गांधी जी और हिन्दी साहित्य सम्मेलन का नीति के बारे में कुछ अन्तर हुआ, और वह अन्तर हिन्दी और हिन्दुस्तानी का हमें कान्स्टीटुएन्ट ऐसेम्बली में दिखलाई पड़ा। प्रश्न यह है कि हम आज हिन्दी चलवायेंगे या हिन्दुस्तानी ? किन शब्दों को आप चलवायेंगे और किस प्रकार से काम करेंगे ? मेरा यह निवेदन है कि भाषा के विषय में जो नीति शिक्षा विभाग ने अब तक बरती है वह मानों हिन्दी वालों को हटा कर हिन्दुस्तानी वालों को आगे करने की है। मैं अतिशयोक्ति नहीं करता, मैं मौलाना से कहता हूं कि आप दिल पर हाथ रखें और सोचें कि कितने हिन्दी वालों को आपने इस काम के लिये अपनाया है। हिन्दी वाले छिपे नहीं हैं। नागरी प्रचारिणी और हिन्दी साहित्य सम्मेलन के लोग हिन्दी संसार के सामने हैं।

मेरा यह कहना भी है शिक्षा विभाग से कि उसकी रिपोर्टों से यह तो मालूम होता है कि यह स्कीम बन रही है और यह विचार किया जा रहा है, लेकिन देखना यह है कि क्या ठोस काम पिछले तीन वर्षों में हुआ है। जो काम हुआ है, वह सामने है। कुछ शब्दों के अनुवाद छोटी पुस्तिकाओं के रूप में निकले हैं। परन्तु इस के बारे में भी मेरा निवेदन है कि ठीक नीति नहीं बरती जाती। उस दिन मेरे मित्र गोविन्द दास जी ने पूछा था शिक्षा मंत्री से कि क्या जो शब्द निश्चित हो चुके, संविधान में तय हो चुके, कि यह हिन्दी में रहेंगे, उन पर क्या फिर विचार हो रहा है, क्या फिर आप उनको बदलेंगे ? शिक्षा मंत्री ने कहा 'हां'।

मौलाना आज़ाद : आप गलत कह रहे हैं। मैं ने यह नहीं कहा।

डा० राम सुभग सिंह (शाहाबाद—दक्षिण): पहले कहा था बाद में दुरुस्त कर दिया था।

मौलाना आज़ाद : मैं ने सिर्फ यह कहा था कि एक बोर्ड बनाया गया है, इस काम के लिये। वह अगर चाहे तो यह भी कर सकता है। मौका उसको रहेगा। मगर इस बोर्ड के जो टर्म्स आफ रेफरेन्स हैं उन में यह कहीं नहीं है कि जिन लफ्जों का पहले फ़ैसला हो चुका है उनको फिर नये सिरे से सोचे। लेकिन मैं ने कोई इस तरह की बात भी नहीं कही है बोर्ड से कि नहीं भाई तुम इनको छू नहीं सकते। अगर वह नये लफ्जों की ज़रूरत समझेंगे तो अपना मशवरा पेश करेंगे।

श्री टंडन : तब फ़िर उस रोज जो जवाब आपने दिया था, मुझे ठीक याद नहीं है .....

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य मुझे सम्बोधित करें ।

श्री टंडन : मैं आप से निवेदन कर रहा हूं कि शिक्षा मंत्री ने जो कहा था, मैं ने उसको सुना नहीं था, मैं मौजूद नहीं था, परन्तु जो आज आपने कहा कि 'मैं ने यह कहा था कि वह चाहें तो बदल सकते हैं' उसके माने क्या हैं? मैं यह कह रहा हूं कि संविधान के अन्दर जो तय हो चुका, जिस हिन्दी संविधान पर डाक्टर राजेन्द्र प्रसाद और संविधान सभा के सदस्यों के दस्तखत हैं.....

मौलना आज़ाद : वह बदल नहीं सकते वह मशवरा दे सकते हैं, बदलने का उनको अख्तियार नहीं है ।

श्री टंडन : अब सवाल यह है कि बदलेगा कौन ? क्या पार्लियामेंट के सामने वह आवेगा ?

मौलाना आज़ाद : गवर्नमेंट उन के मशवरा को देख कर फिर आखिर में गवर्नमेंट फ़ैसला करेगी ।

श्री टंडन : इस के जितने नुक्ते थे, मैं ने समझ लिये । लेकिन असर जो चारों ओर शिक्षा विभाग ने डाला वह यही है कि संविधान के कुछ शब्दों को बदलने जा रहा है ।

सवाल यह है कि जब कांस्टीट्यूशन के शब्द निश्चित हो चुके हैं तब क्या फिर विभाग द्वारा उनको बदला जा सकता है । हिन्दी में कांस्टीट्यूशन कुछ वर्षों में बना । एक कमेटी बनी जिसने शब्द तय किये और इस काम पर लाखों रुपया खर्च हुआ । उन शब्दों के अनुसार आपका संविधान आया । जब हम लोग हस्ताक्षर करने को गये तो एक तरफ अंग्रेजी में लिखे कांस्टीट्यूशन पर हमने हस्ताक्षर किये और दूसरी तरफ हिन्दी में लिखे कांस्टीट्यूशन पर हस्ताक्षर किये । आज फिर कोई विभागीय कमेटी इस पर विचार करे कि वह शब्द रखे जायें या न रखे जायें, मैं कहता हूं कि यह बिल्कुल गलत है । शिक्षा विभाग का फिर से किसी बोर्ड को यह अधिकार देना कि तुम उन शब्दों पर फिर से सोचो, मैं कहता हूं कि .....

मौलाना आज़ाद : मैं फिर कहना चाहता हूं कि उन के टर्म्स आफ़ रेफरेन्स में इसका एक लफ्ज भी नहीं है । लेकिन मैं ने उस दिन यह कहा था कि हमने उनको रोका नहीं है । अगर वह चाहें तो अपनी राय दे सकते हैं

सेठ गोविंद दास (मंडला—जबलपुर-दक्षिण) : उनको रोकना चाहिये ।

मौलाना आज़ाद : मैं अभी तक इस पोज़ीशन में नहीं हूं कि कह सकूं कि उन्होंने एक लफ्ज के मुताल्लिक भी मशवरा दिया है । मैं ने अभी चेयरमैन से पूछा है, लेकिन अभी तक यह मेरे इल्म में नहीं है कि उन्होंने एक लफ्ज़ के बारे में भी मशवरा दिया है ।

श्री टंडन : मैं यह उसूल समझता था कि संविधान के इन शब्दों को छुआ न जाय । मेरा दूसरा निवेदन यह है कि जो काम हो रहा है .....

आचार्य कृपालानी : इसमें क्या ऐतरा हो सकता है कि कांस्टीट्यूशन की एक और दूसरी कापी बनायी जाय जिसमें प्रचलित शब्द रखे जायं, और जिस कापी में हमने दस्तख़त किये थे वह वैसे ही रहे ।

श्री टंडन : कांस्टीट्यूशन एक पवित्र चीज़ है और जिस पर हस्ताक्षर हो चुके हैं उसको बदलने का सवाल ही नहीं उठता ।

मेरा निवेदन यही है कि वह यत्न नहीं होना चाहिए कि शब्द बदले जायं । हमारे पास काम बहुत है । मेरा मंशा यह है कि

[श्री टंडन]

शिक्षा विभाग को जो काम करना चाहिए उसम बहुत देर हो रही है । हम जल्दी में हैं और चाहते हैं कि जल्दी जल्दी काम हो । जो काम हो चुका है उसको दुहराने में तो बहुत समय लग जायगा। हमको तो सन्देह यह है कि १५ वर्ष के बाद कहीं और समय अंग्रेजी के लिये मांगने का यत्न न किया जाय ।

मैं अब एक दूसरी बात की ओर ध्यान दिलाता हूं । शिक्षा विभाग की तरफ से हिन्दी शिक्षा समिति बनी है । मेरा निवेदन है कि इस हिन्दी शिक्षा समिति में जो हिन्दी के सच्चे प्रतिनिधि होने चाहियें वे नहीं हैं । एक आध हैं । मैं कहता हूं कि देश में हिन्दी साहित्य सम्मेलन और नागरी प्रचारिणी सभा दो मुख्य संस्थायें हैं जिन्होंने हिन्दी के क्षेत्र में वर्षों से काम किया है । क्या आप उनकी अवहेलना करके हिन्दी का काम करेंगे ? यह दोनों संस्थायें जिस भाषा को स्वीकार करेंगी वही भाषा देश में मानी जायगी । हिन्दी साहित्य सम्मेलन और नागरी प्रचारिणी सभा जिन शब्दों को चलायेगी वही शब्द देश में चलेंगे । आपने इन संस्थाओं को छोड़ कर इधर से और उधर से कुछ लोग ले लिए हैं । मेरा यह निवेदन है कि यह हिन्दी का काम करने का रास्ता नहीं है । आपने एक शिक्षा समिति बनाई है । मेरे पास जो आपकी पिछले वर्ष की रिपोर्ट ५२–५३ की छपी है उसमें कहा गया है :

"शिक्षा समिति की तीन उपसमितियां बनाई गई हैं तथा उनमें से एक को (१) हिन्दी परीक्षण, दूसरी को (२) हिन्दी भाषा का आधार भूत व्याकरण और तीसरी को (३) हिन्दी प्रचार पर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिये कहा गया है । व्याकरण का काम भी इसमें से कोई समिति करेगी ।

पहले वर्ष की जो रिपोर्ट मेरे सामने आयी है उसमें दिया हुआ "हैज़ बीन सैट अप" हिन्दी परीक्षायें जो चल रही हैं उनकी जांच करने के लिए एक समिति बनायी गयी है । अंग्रेजी में इसको प्रेज़ेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं । इसका अर्थ है कि वह काम समाप्त हो गया । अब की जो रिपोर्ट निकली है उसमें प्रेज़ेंट परफेक्ट टेंस नहीं है बल्कि प्रेज़ेंट कंटीन्यूअस टेंस है । यानी "विभिन्न हिन्दी संस्थाओं द्वारा ली गई हिन्दी परीक्षाओं के स्तर की जांच करने के लिये एक समिति बनाई जा रही है । यह रिपोर्ट निकली है इस साल । परन्तु मुझे मालूम होता है कि इस रिपोर्ट के लिखने और छपने के बाद एक दूसरी रिपोर्ट आयी है "हिन्दी के विकास और प्रचार के लिये कार्यक्रम" मेरा यकीन है कि यह पिछले पांच छः दिनों के अन्दर लिखी गयी है । इसका भीतरी प्रमाण इसमें है । इसमें लिखा है कि हिन्दी परीक्षाओं के स्तर की जांच करने के लिये एक समिति नियुक्त करने का निश्चय हुआ है । और इसमें कमेटी वालों के नाम दिये हुए हैं । "समिति में निम्नलिखित व्यक्ति होंगे ।" इससे मुझे मालूम होता है कि पार साल यह तै हुआ था और उसमें था कि "ये उपसमितियां अपने प्रतिवेदन शिक्षा समिति को, फरवरी १९५३ में होने वाली उसकी द्वितीय बैठक में देंगी" । फरवरी १९५३ में उनको रिपोर्ट करना था । लेकिन मालूम होता है कि जब यह रिपोर्ट अभी लिखी गयी तब तक यह कमेटी बनी नहीं थी । तो फिर रिपोर्ट करने का सवाल ही नहीं उठता । मालूम होता है कि पिछले ७ या ८ दिनों में यह कमेटी बनायी गयी है । अब उसमें जो नाम हैं वह मैं पढ़ता हूं :

(१) श्री एम० सत्यनारायण,
(२) श्री अमृतलाल नानावती,

(३) श्री जी० पी० नैने,
(४) श्री एन० नगप्पा,
(५) श्री रजनीकान्त चक्रवर्ती,
(६) श्रीरामधारी सिंह दिनकर,
(७) श्री जेठालाल जोशी,
(८) डा० आर्येन्द्र शर्मा,
(९) श्री विजेन्द्र स्नातक,
(१०) श्री मगन भाई पी० देसाई,
(११) प्रो० एन० ए० नाडवी ।

उनमें से बहुतों को तो मैं जानता ही नहीं हूं । कुछ को जानता हूं । ज्यादा उनमें ऐसे हैं जिनका नाम मैंने हिन्दी के सम्बन्ध में कभी नहीं सुना । कुछ इसमें ऐसे हैं जिनका नाम हिन्दुस्तानी के साथ बंधा रहा है । जो लोग हिन्दी साहित्य सम्मेलन के विरोधी थे और हिन्दी साहित्य सम्मेलन की परीक्षाओं के विरुद्ध अपनी हिन्दुस्तानी की परीक्षायें चलाने की कोशिश करते थे उनके इसमें कुछ नाम हैं । मैं यह उचित नहीं समझता कि मैं व्यक्तिक बात कहूं । अस्तु मैं कहता हूं कि इसमें हिन्दी साहित्य सम्मेलन का और नागरी प्रचारिणी सभा का कोई आदमी नहीं है । मुनासिब था कि उनसे सलाह तो की जाती । सबसे बड़ा स्थान हिन्दी संसार में हिन्दी साहित्य सम्मेलन का है जिसकी परीक्षाओं में हर साल दो लाख से ऊपर परीक्षार्थी बैठते हैं । उसका एक आदमी नहीं और जो छोटी छोटी परीक्षायें लेने वाली संस्थायें हैं, उनको इसमें जगह दी गयी है और वह हिन्दी साहित्य सम्मेलन के ऊपर बैठ कर उसकी परीक्षाओं के लिए जज का काम करेंगी । इससे साफ पता चलता है कि हमारा शिक्षा विभाग उन लोगों को सहारा देना चाहता है जो उस तरफ नहीं जाना चाहते जिधर कि हिन्दी की मुख्य संस्थाओं की प्रवृत्ति है बल्कि उस प्रवृत्ति से हट कर काम करना चाहते हैं ।

दूसरा उदाहरण मैंने उस दिन दिया था डिक्शनरी का । आपको डिक्शनरी बनवानी है । हिन्दी साहित्य सम्मेलन ने अब तक कितने कोष बना दिये । नागरी प्रचारिणी सभा का शब्द सागर हिन्दी का सबसे ऊंचा कोष है । नागरी प्रचारिणी सभा को यह काम सुपुर्द नहीं हुआ, हिन्दी साहित्य सम्मेलन को नहीं हुआ । कोई संस्था है 'हिन्दुस्तानी कल्चर सोसाइटी' इलाहाबाद में जिसको अधिक लोग जानते भी नहीं हैं । उसका दफ्तर कहां है ? शायद किसी के रहने के घर में कुछ काम होता हो । अब आपने उस संस्था को इस काम के लिए ६०,००० रुपये दिये हैं ।

मैं कहता हूं कि यह बहुत ही नामुनासिब है । हिन्दुस्तानी कल्चर सोसायटी को डिक्शनरी का काम, यह क्या है । इसी सोसायटी ने संविधान का हिन्दुस्तानी में तर्जुमा किया था । वह तर्जुमा किस काम का है, किस के काम आता है ?

डा० एस० एन० सिंह (सारन मध्य पूर्व) : किसी के नहीं, रद्दी की टोकरी में गया ।

श्री टंडन : आप को मदद देना है तो किसी ऐसे को मदद दो जो यह काम कर सके । हिन्दुस्तानी कल्चर सोसायटी में कितने मैम्बर हैं कौन कौन हैं ? कहां उसका अधिवेशन हुआ, कितने आदमी उस अधिवेशन में आए ?

डा० राम सुभग सिंह : बगदाद में ।

श्री टंडन : यह खुली बात है कि हिन्दी साहित्य सम्मेलन किस प्रकार की संस्था है । बराबर उसके खुले अधिवेशन होते रहे हैं, हज़ारों की संख्या में आदमी आते हैं उसका काम १७००—१८०० केन्द्रों में है । उसकी तो आप अवहेलना करें और नागरी प्रचारिणी सभा की अवहेलना करें और इस तरह से यह डिक्शनरी बनावें, यह किस काम में आयेगी और किस काम की होगी ।

मौलाना आज़ाद : क्या आपको यह याद नहीं आया कि नागरी प्रचारिणी सभा को इस काम के लिए रुपया मंजूर किया गया ।

श्री टंडन : हां, मैं जानता हूं ।

मौलाना आज़ाद : उसको भूल गए आप ।

श्री टंडन : नहीं भूल नहीं गया । आपने हिन्दी साहित्य सम्मेलन को भी मदद दी है । वह मदद क्या है इस पर मैं अभी आता हूं । आपने मदद दी है, मगर यहां यह डिक्शनरी के काम का सवाल है कि आप इस काम को हिन्दी साहित्य सम्मेलन से करायें या नागरी प्रचारिणी सभा से करायें या इस हिन्दुस्तानी कल्चर सोसायटी से करायें । आपने जो मदद दी वह तो शब्द सागर के लिये थी । यह दूसरा काम है । आप के विभाग ने कहा है कि अंग्रेजी से हिन्दी में आक्सफोर्ड कन्साइज डिक्शनरी की तरह कोष बनाया जाय । उस के लिये हिन्दी साहित्य सम्मेलन में काम हुआ है । कोई आठ या दस अक्षर के शब्द बन भी चुके उन्होंने आपके विभाग से रुपया मांगा उस पर वह हज़ारों रुपये खर्च कर रहा है । वह काम कर लेगा, अगर आप एक पैसा भी नहीं दें तो भी वह कर लेगा, क्योंकि उसका तो अपना भी स्रोत है । वह इस काम में लगा है । उसने शिक्षा विभाग को लिखा कि हम को डिक्शनरी बनाने के लिये रुपये दीजिये । विभाग ने कहा कि डिक्शनरी का काम मत उठावो । मेरा अन्दाज़ है कि शिक्षा विभाग ने पहले ही फ़ैसला कर लिया था कि हिन्दुस्तानी कल्चर सोसायटी को ६० हज़ार रुपया देंगे सम्मेलन को विभाग ने लिख दिया कि तुम इस डिक्शनरी के काम को मत उठावो । हिन्दी साहित्य सम्मेलन तो विभाग का दास नहीं है, वह काम कर रहा है । वह लगभग तीन साल से वैज्ञानिक कोष का काम भी कर रहा है । आपके छोटे छोटे कामों पर मैंने सुना है कि लाखों रुपये खर्च हुए । मैंने रिपोर्ट में पढ़ा है कि आपने १६ या २० हज़ार शब्द सायंटिफिक बनाए हैं । मेरा निवेदन है कि हिन्दी साहित्य सम्मेलन के तीन वैज्ञानिक कोष छप चुके हैं । पिछले चार पांच वर्षों में लगभग तीस हज़ार वैज्ञानिक शब्द उनके यहां बन चुके हैं उनका तो इरादा था कि तीन चार लाख शब्दों तक का निर्माण हो, आप दस बीस हज़ार शब्दों की बात कर रहे हैं ? श्री महा पंडित राहुल सांकृत्यायन की देख रेख में यह सब काम हुआ था । सम्मेलन के काम में हिन्दी के पंडित सम्मिलित रहते हैं, जो हिन्दी से परिचित हैं । और शिक्षा विभाग ने जो यह कोष का काम दिया है उसमें न जाने किन लोगों से काम होगा ।

जो सच्चा काम हिन्दी का करने वाले हैं, उनको आप पकड़िये । जो हिन्दी का विरोध करके हिन्दुस्तानी नाम से काम कर रहे हैं, उनको सहारा न दीजिये । हिन्दुस्तानी कल्चर सोसायटी को आपने सहारा दिया । वर्धा में भी हिन्दुस्तानी प्रचार सभा को आपने सहायता दी । उसको रुपया दिया है । जो वहां पर राष्ट्र भाषा प्रचार समिति है, बहुत पुरानी जो संस्था है और जो हिन्दी नागरी भाषा का काम कर रही है, उसको आपने एक पैसा नहीं दिया ।

डा० एन० बी० खरे : बहुत पोल खुली है ।

श्री टंडन : अब जो आपने मदद दी है उस पर भी थोड़ा सा कहना चाहता हूं । जो रिपोर्ट आपकी आई उसमें संस्कृति या कल्चर के सम्बन्ध में आपने लिखा है : "सांस्कृतिक कार्य करने वाली संस्थाएं" ।

जिनको आपने सहायता दी है वह कौन कौन हैं । शुरू में आपने लिखा है :

"निम्नलिखित संस्थाओं को अभी तक साहाय्य अनुदान दिये गये हैं :—

शिबली ऐकेडमी, आजमगढ़ ६०,००० रुपए ।

इस शिबली ऐकेडमी ने कल्चर का क्या काम किया है, मैं नहीं जानता । मैं यह जानता हूं कि उन्होंने उर्दू में बहुत सी किताबें लिखाई हैं, आज नहीं, बहुत पहले की बात है । पुरानी संस्था है और उस संस्था के चलाने वाले मेरे एक दोस्त रहे हैं, वह कांग्रेस के साथ भी थे । उर्दू में कई अच्छी किताबें यह संस्था तैयार कर चुकी है यह मैं मानता हूं । मगर आज उसके बारे में यह कहना कि कोई ख़ास कल्चर का काम कर रही है, यह मेरा निवेदन है ठीक नहीं है । आजकल हमारे देश में कल्चर के माने क्या हैं, भारतीय संस्कृति । मैं कल्चर के माने समझता हूं । भारतीय संस्कृति, इस्लामी तमद्दुन नहीं, जो जिन्ना का लफ्ज था, जिसने हमारे देश में टुकड़े कराए, हमारे देश का विभाजन कराया और पाकिस्तान बनाया । इस्लामी तमद्दुन और हिन्दू तमद्दुन, इन दोनों से हमें अलग चलना है । इस के लिये हमारे देश में शब्द चला हुआ है, भारतीय संस्कृति । भारतीय संस्कृति, यह शब्द हमारे यहां कल्चर के लिये है : यह आजमगढ़ के लोग क्या भारतीय संस्कृति का काम कर रहे हैं जो आप ने उनको ६० हजार रुपये की मदद दी ?

अब दूसरी संस्था कौन है जिसको आपने मदद दी ? अंजुमन-ए-तरक्की-ए उर्दू (भारत), अलीगढ़ ३६,००० रुपए ।

मैं इसका विरोधी नहीं हूं कि उर्दू संस्थाएं हों, लेकिन कोई अनुपात हो, कोई सैंस आफ प्रपोर्शन हो । आपने इसको, बिल्कुल एक नयी संस्था को यह मदद दी । पुरानी अंजुमन तरक्की-ए-उर्दू थी जो मौलाना अबुल हक़ के साथ पाकिस्तान चली गयी, उसका यहां दिल्ली में केन्द्र था । मौलाना अबुल हक़ के साथ कुल वह चीज़ चली गयी । उसके बजाय एक नयी छोटी सी चीज़ चली है और उसको आपने ३६ हज़ार रुपये दिये । यह वही संस्था है जो उत्तर प्रदेश में चारों तरफ़ दस्तख़त कराती है कि उर्दू उत्तर प्रदेश में क्षेत्रीय भाषा बनायी जाय । यह जो उर्दू के विषय में नयी बात चली है, जहां तक मुझे मालूम है इस संस्था का उसमें हाथ है । ख़ैर मैं उस पर उस दिन कह चुका, इस वक्त ज्यादा नहीं कहना चाहता हूं । मैं इसको बहुत ग़लत समझता हूं । इस तरह आज फिर वही तफरका डालना है, फिर वही साम्प्रदायिकता पैदा करना है और इसकी आड़ में फिर वही मुस्लिम लीगी दिमाग़ है कि जिसकी वजह से इस्लामी तमद्दुन पर ज़ोर दिया गया था । आज हमें एक मिली जुली कल्चर की चीज़, मिली जुली संस्कृति बनाना है । उस संस्कृति को हिन्दू मुसलमानों का मिल कर मंजूर करना उचित है । उर्दू पढ़ने लिखने के मैं ख़िलाफ़ नहीं हूं । मैं उर्दू का प्रेमी हूं, मैं फारसी का प्रेमी हूं, अब भी मुझे फुरसत मिलती है तो फारसी के कवि हाफिज को लेकर कभी बैठ जाता हूं । मुझे इसका शौक़ है । मगर फारसी का शौक होना और चीज़ है और हमारे देश में क्या भाषा चले, यह दूसरी बात है । हमारे देश में एक ही संस्कृति, भारतीय संस्कृति ही चल सकती है । उस संस्कृति का आधार हमारे देश की भाषा, हमारे देश की लिपि है । आज कोशिश करना कि देश में अरबी और फारसी का रस्मुल ख़त हम चलायें, मेरा ख्याल है कि यह नामुनासिब बात है । अपने निजी काम के लिये हम बरतें, लेकिन पब्लिक तरीक़े से खुल्लमखुल्ला काम में लाना, यह और बात है ।

अब तीसरे नम्बर पर है :

फिर हिन्दुस्तानी प्रचार सभा, वर्धा ३०,००० रुपये ।

अखिल भारतीय ललित कला तथा शिल्प समिति यह अब अलग बात है ।

अब आगे है :

"अनुदानों के लिये, हिन्दी साहित्य सम्मेलन, रामकृष्ण मिशन, सांस्कृतिक संस्था

[श्री टंडन]

और भारतीय विद्या भवन के मामले विचाराधीन हैं।"

आप हंसिये मत। यह उस वक्त की बात है जब कि रिपोर्ट लिखी गयी थी। उस वक्त यह सब ज़ेरे ग़ौर था। जो रिपोर्ट अब मेरे पास आई है उसमें लिखा है कि हिन्दी साहित्य सम्मेलन को रुपया दिया गया। हर साल दिया जाता है। छः सात साल से दिया जाता है। ४० हजार रुपया दिया गया है, वह बराबर दिया गया और आज कोई नयी चीज यह नहीं है। तो यह हिन्दी साहित्य सम्मेलन की भी मदद इस में आई है। अब आप इस को देख लें कि यह रुपया किस हिसाब से दिया गया और यह साठ हज़ार रुपया हिन्दुस्तानी कल्चर सोसायटी को किस हिसाब से दिया गया।

मौलाना आज़ाद : सालाना नहीं, लम्पसम है।

श्री टंडन : २५ हजार रुपया सन् १९५१ में दिया गया। उसका क्या हुआ, कहां है, उसका क्या बना, अब तक हमें नहीं मालूम है।

मैंने सुना है कि उसके भवन के लिये कुछ रुपया देने का प्रस्ताव है। यह हिन्दुस्तानी कलचर सोसाइटी को या ऐसी हिन्दुस्तानी सोसाइटी को रुपया देना क्या आज उचित है? हिन्दी सोसाइटीज़ को रुपया दीजिये। जो हिन्दुस्तानी का काम करने वाली संस्थाएं हैं उनको आज आपका इस तरह की सहायता देना.....

मौलाना आज़ाद डाक्टर राजेन्द्रप्रसाद उसके चेयरमैन हैं और उनके कहने से यह रक़म दी गयी है।

श्री टंडन इस वक्त मेरा कहना यह है कि आपको हिन्दी की संस्थाओं की सिर्फ मदद ही नहीं बल्कि हिन्दी की बड़ी बड़ी संस्थाओं को अपने साथ लेकर जैसे मैंने पहले कहा था आपको पचास, साठ लाख रुपया लगा कर हिन्दी के ग्रन्थों को दो, तीन वर्ष के अन्दर तैयार करना चाहिये। आप यह कर सकते हैं, शिक्षा विभाग कर सकता है। एक एक किताब के ऊपर आठ दस हज़ार रुपया खर्च करें और आप देखेंगे कि कितनी किताबें निकल आती हैं। मैंने एक संस्था की ओर से अभी एक किताब फ़िज़िकल केमिस्टिरी के ऊपर लिखवाई है, बी० ए० के कोर्स की किताब है, किताब छप कर आ गयी है और मैं उसको शिक्षा विभाग के पास भिजवा दुंगा। आप ग़ौर करें, एक किताब पर सात, आठ हज़ार रुपया खर्च किया जाय। जितने विषय हैं विज्ञान के उनके सम्बन्ध में बहुत जल्दी आप दो साल के अन्दर ७०, ८० अच्छी किताबें निकाल सकते हैं। यह चीज़ ग़ैर मुमकिन नहीं है, लेकिन वह काम नहीं हो रहा है। स्कीम्स कुछ बन रही हैं, कुछ ऊंघते हुए से स्कीम्स बना रहे हैं और यह उम्मीद की जा रही है कि हिन्दी का काम चले। बस मैं और अधिक न कहूंगा। मेरा यह नम्र निवेदन है कि ज्यादा तेज़ी के साथ काम होना चाहिये। मैंने उस दिन भी सुझाव दिया था और आज भी देता हूं कि आपके शिक्षा विभाग की तरफ़ से यह उचित होगा अगर हिन्दी साहित्य सम्मेलन, नागरी प्रचारिणी सभा और दक्षिण की हिन्दी प्रचार सभा जो दक्षिण में हिन्दी का काम कर रही है, इन तीनों संस्थाओं से सलाह करके आप एक ऐसे लोगों का बोर्ड बनायें जो हिन्दी का काम कर सकें, जो हिन्दी अच्छी तरह से जानते हों और उसकी गतिविधि से वाकिफ हों। आप उनको पूरा काम सुपुर्द करें, वह एक आटोनोमस बाडी हो, स्वतन्त्र संस्था हो और तब आप देखियेगा कि कितनी अच्छी तरह से यह काम होता है। अगर यह असम्भव हो तो मैंने जैसे पहले कहा था

यह शासन के सोचने की बात है कि एक अलग हिन्दी के लिये आप मिनिस्ट्री बनावें और वहां ऐसे लोगों को रक्खें जो हिन्दी के काम में दत्तचित्त होकर जुट जायेंगे और अपने साहस और परिश्रम से इसको इतना बढ़ा देंगे कि फिर हमको दस, ग्यारह वर्ष के बाद यह सोचना न पड़े कि हमारे समाज के कार्य का कोई अंश है जिसमें हिन्दी न चल सके। इस काम की आवश्यकता है। यही मेरा निवेदन है।

श्री एन० सी० चटर्जी : वर्तमान शिक्षा प्रणाली का सबसे बड़ा दोष यह है कि यह पुराने नौकरशाही तथा साम्राज्यवादी ढांचे का अनुकरण करती है। माध्यमिक शिक्षा के सम्बन्ध में डा० मुदालियर के सभापतित्व में जो आयोग नियुक्त किया गया था उसकी रिपोर्ट में कहा गया है कि अधिकांश शिक्षा विशेषज्ञों की राय में भारत की वर्तमान शिक्षा प्रणाली निरर्थक, अप्रभावी, किताबी तथा दक़ियानूसी है।

दुर्भाग्यवश स्वतन्त्रता प्राप्ति के बावजूद भी हम अपनी शिक्षा प्रणाली का अभिनवीकरण नहीं कर सके हैं। विश्वविद्यालयों तथा कालेजों में अनुशासन आदि की कमी की बार बार शिकायत की गई है, इसका कारण भी वर्तमान शिक्षा प्रणाली ही है। यह छात्रों की मानसिक प्रवृत्तियों से सम्बन्धित आवश्यकताओं को पूरा नहीं करती है। यह छात्रों के उन मूल गुणों का विकास नहीं करती है जिससे कि भारत के उपयोगी नागरिक बन जायें, तरुण छात्रों में विचार-स्वातन्त्र्य बढ़ाने के लिए कोई कोशिश नहीं की जा रही है जिससे कि वह समाज की समस्याओं को हल करने में समर्थक हों।

जहां तक माध्यमिक शिक्षा का सम्बन्ध है, बताया गया है कि माध्यमिक शिक्षा आयोग ने अगस्त, १९५३ में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की तथा इसे सितम्बर १९५३ में प्रकाशित किया गया। परन्तु इसके बाद क्या हुआ यह हमें नहीं बताया गया, मंत्रालय की रिपोर्ट में कहा गया है कि केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की बैठक नवम्बर, १९५३ में हुई परन्तु इसमें यह नहीं बताया गया कि इसने क्या कुछ काम किया। माध्यमिक शिक्षा आयोग की सिफ़ारिशों की जांच के लिये और एक समिति बनाई गई है, हमें मालूम नहीं कि यह समिति कब अपना काम पूरा करेगी। इतना ही नहीं, माध्यमिक शिक्षा प्रणालियों का अध्ययन करने के लिए अब चार विदेशी तथा चार भारतीय शिक्षा विशेषज्ञों का एक दल विदेशों को भेजा गया है, वे अभी शायद दौरा ही कर रहे हैं।

शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास) : वे वापस आ गये हैं।

श्री एन० सी० चटर्जी : यह अच्छी बात है कि वे वापस आ गए हैं। परन्तु हमें मालूम नहीं कि उनकी रिपोर्ट क्या है तथा उनकी सिफारिशें क्या हैं। शायद इस दल की रिपोर्ट पर विचार करने के लिए एक और समिति नियुक्त की जायगी। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि शिक्षा सम्बन्धी समस्याओं को हल करने का यह कोई तरीका नहीं है। यह खिन्न स्थिति उत्पन्न करने वाली बात है। हमारी इच्छा है कि माननीय मंत्री अधिक स्फूर्ति और गम्भीरता से काम लें। उन्हें समितियों के प्रतिवेदन से प्रभावित नहीं होना चाहिये। हमें मालूम है कि समितियां क्या करती हैं। वे समस्याओं को हल नहीं करतीं बल्कि टाल मटोल करती रहती हैं। आपकी इस पंचवर्षीय योजना और इन लम्बी चौड़ी बातों से क्या लाभ है? जब तक हम जनता को शिक्षित नहीं करते, तब तक यह कहने से कोई लाभ नहीं है कि हम राष्ट्र का नैतिक उत्थान करना चाहते हैं। भारत को इसलिये स्वतन्त्रता नहीं मिली कि हम जातीयता के आधार पर

[श्री एन० सी० चटर्जी]

किसी राष्ट्र से लड़ना चाहते थे। स्वतन्त्रता प्राप्ति का हमारा उद्देश्य था--हम विश्व को कुछ देना चाहते थे। जब तक शिक्षा प्रणाली को नूतन स्वरूप प्रदान नहीं करेंगे भारत की अन्तिम इच्छा अपूर्ण रहेगी। धर्म के अनुकूल ही शिक्षा प्रणाली होना आवश्यक है।

कुछ वर्ष पहले जब मैं कलकत्ता में था कलकत्ता विश्वविद्यालय में कामर्स (वाणिज्य) के विद्यार्थियों में बड़ी गड़बड़ थी। कामर्स (वाणिज्य विद्या) का पुनर्संगठन करने के लिए एक आयोग बनाया गया और चांसलर ने मुझे उसका सभापति नियत किया। मैं विभिन्न विश्वविद्यालयों में गया। लन्दन, बरमिंघम और पेरिस के कामर्स कालेज भी मैंने देखे। वाणिज्य विद्या के पाठ्यक्रम में उन्होंने जो सुधार किये हैं, उन्हें देख कर मैं आश्चर्यचकित रह गया। बरमिंघम विश्वविद्यालय में छात्र को बी० काम० की डिग्री उस समय तक नहीं मिलती जब तक कि वह फैक्टरी क्षेत्र की बस्तियों में प्रति वर्ष तीन महीने नहीं गुजार देता है। मजदूरों की बस्ती में रहने पर वह एक थीसिस (मौलिक निबन्ध) की रचना करता है। उसके परीक्षण के बाद ही डिग्री प्रदान की जाती है। वहां के अध्यापकों ने बताया कि बरमिंघम के आसपास, इंग्लैण्ड के उत्तर में केवल बरमिंघम के स्नातकों को ही लिया जाता है। उक्त विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों की कुल संख्या ३५० है। कलकत्ता में लगभग १४,००० विद्यार्थी हैं। क्या हम स्वयं अपने साथ विद्यार्थियों और देश के साथ उस समय तक छल नहीं करते हैं जब तक कि हम विश्वविद्यालयों और बड़ी बड़ी व्यावसायिक फर्मों में पारस्परिक सम्बन्ध स्थापित नहीं करते।

मैं श्री टंडन के स्वर के साथ अपना स्वर मिलाता हूं। शिक्षा मंत्रालय ने जो कुछ किया मैं उसकी निन्दा करता हूं। उसने हिन्दी के साथ सौतेली माता की भांति व्यवहार किया है। यह सही है कि नागरी प्रचारिणी सभा को हिन्दी शब्दकोष निर्माण करने के लिये १,००,००० रुपये दिया गया है। मैं नहीं समझता कि एक दूसरी संस्था को संक्षिप्त शब्दकोष की रचना के लिये ६०,००० रुपये क्यों नहीं दिया जा सकता। मैं यह जानता हूं कि हिन्दी साहित्य सम्मेलन और काशी नागरी प्रचारिणी सभा इस कार्य को कर रहे हैं। यदि ये संस्थाएं वृहद् शब्दकोष की रचना के लिये समर्थ, उपयुक्त और विशेषित हैं तो क्या वह एक संक्षिप्त शब्द सागर की रचना नहीं कर सकती हैं। यदि आप उन्हें बृहद् कार्य के आयोजन का उत्तरदायित्व सौंपते हैं तो छोटे शब्द कोष के लिये एक अन्य संस्था से कहने की क्या अवश्यकता है।

एक और भी महत्वपूर्ण बात है। केन्द्रीय सरकार और शिक्षा मंत्रालय को चाहिये कि वह अध्यापकों की वेतन वृद्धि के लिये एक अनुदेश जारी कर दें। अध्यापकों की अवस्था में सुधार किये बगैर शिक्षा में सुधार नहीं किया जा सकता। अध्यापकों द्वारा प्रकट किया गया था, और जिसे विधान सभा और सरकार दोनों ने ही स्वीकार भी किया है, कि कतिपय अध्यापकों का वेतन चपरासियों तथा जमादारों से भी कम है। जब तक आप उन्हें समुचित रूप में जीवन यापन करने के लिये वेतन नहीं देते हैं, शिक्षा प्रणाली में सुधार की कोई आशा नहीं की जा सकती है।

बिहार राज्य के मानभूम जिले के किसी क्षेत्र में अधिकतर व्यक्ति बंगाली भाषा का प्रयोग करते हैं। मैं सीमा पुनर्संगठन के विषय की चर्चा नहीं कर रहा हूं। इसके लिये तो सीमा आयोग विचार करेगा। वहां अल्पसंख्यक जातियों के साथ कैसा व्यवहार किया जा रहा है? बंगाली भाषा का निर्दयता के

साथ दमन किया जा रहा है । संसद् और विधान सभा के सदस्यों पर अभियोग चलाया जा रहा है । सदन के सदस्य श्री भजहरि महाता को एक वर्ष के कारावास का दण्ड दिया गया है केवल इसलिये कि उन्होंने एक गीत गया था । उस गीत की प्रति मेरे पास है :

शुन बिहारी भाई,
तोरा राखते नारवि डांग देखाइ ।
तोरा आपन तरे भेद वाड़ालि
बांग्ला भाषाय दिलि छाइ
भाइके भुले करलि बड़
बांग्ला बिहार बुद्धिटाई ।।

बांगाली बिहारी सवाइ
एक भारतेर आपन भाइ
बागांली के मारलि तबु
विष छड़ालि हिन्दी चाइ ।।

बांग्ला भाषार दावीते भाइ
कोनोभेदेर कथा नाइ
ए भारते भाइये भाइये
मातृभाषाय राज्य चाइ ।।

डा० राम सुभग सिंह : श्रीमान्, एक औचित्य प्रश्न है । इसका शिक्षा से क्या सम्बन्ध है ?

डा० एम० एम० दास : शिक्षा और भाषा ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न अल्पसंख्यक जाति की भाषा का है । संविधान में इसके लिये मूल अधिकार का उपबन्ध है । आरोप के अनुसार इस अधिकार से उसे वंचित किया जा रहा है । माननीय सदस्य ने औचित्य प्रश्न उठाया है । अध्यक्ष को इस सम्बन्ध में सूचना देने का काम सरकार का है ।

मौलाना आजाद : मैं समझता हूं कि यह सवाल एजुकेशन के सिलसिले में उठाया जा सकता है । कोई वजह नहीं है कि इसे रोका जाये ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं सहमत हूं । इसमें, कोई औचित्य प्रश्न नहीं है ।

डा० एस० एन० सिंह : आदिवासी इस भाषा का व्यवहार नहीं करते हैं । और यह गीत बंगालियों की रचना है । आदिवासियों की भाषा सर्वथा भिन्न है ।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि कोई गाना गाता है तो उस पर अभियोग क्यों कर चलाया जाना चाहिये ।

श्री जजवाड़े : अनुमति बगैर अनियमित जुलूस निकालने के कारण उन पर अभियोग चलाया गया था ।

श्री एन० सी० चटर्जी : मैं माननीय सदस्यों और माननीय मंत्रियों से अपील करता हूं कि जब सारभत संख्या में अल्पसंख्यक जाति है और जिनकी अपनी भाषा तथा लोकगीत हैं तो उनकी भाषा को कुचलने का प्रयत्न उचित नहीं है । श्री अतुल्य घोष ने उस दिन सदन में कहा था कि इस प्रकार का कृत्य समाप्त होना चाहिये । संविधान की अष्टम अनुसूची में बंगाली को सर्वोपरि स्थान दिया गया है । बंकिमचन्द्र ने 'बन्दे मातरम्' सहित आनन्द मठ की रचना इसी भाषा में की थी और रवीन्द्रनाथ की अमर कृतियों की सर्जना भी इसी में हुई है । डा० मुदालियर के आयोग ने सर्वसम्मति से यह सिफारिश की है कि भाषा का उत्तरदायित्व राज्य और केन्द्र दोनों पर है क्योंकि यह संविधान द्वारा प्रदत्त भारतीय नागरिकों के मूल अधिकारों में से है ।

इस प्रश्न के प्राविधिक पहलू को छोड़ कर, उसके संकुचित भाषागत पहलू से दूर मैं मौलाना साहब से अपील करता हूं कि वह इस बात की ओर ध्यान दें कि अपनी भाषा

[श्री एन० सी० चटर्जी]

में विचार व्यक्त करने की उनकी स्वतन्त्रता न छीनी जाये ।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री एन० बी० चौधरी ।

डा० राम सुभग सिंह : हम को मौका नहीं मिला ।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों को यह विस्मरण नहीं करना चाहिये कि माननीय सदस्यों के कहने पर मैंने कांग्रेस दल को पूरे एक घंटे का समय दिया था । उसी तरह मुझे विरोधी दल को भी समय देना चाहिये ।

श्री एन० बी० चौधरी (घाटल) : आज तक भारत की शिक्षा सम्बन्धी आवश्यकताओं पर बहुत कम ध्यान दिया गया था और अब के इस १९५४–५५ के शिक्षा आयव्ययक में भी इस बात की कमी दिखाई देती है । जब से हम इस संसद् के सदस्य बने, हमने इसी बात पर ज़ोर दिया कि शिक्षा पर अधिक धन व्यय किया जाना चाहिए । सच तो यह है कि केन्द्र के आयव्ययक का दस प्रतिशत शिक्षा पर व्यय किया जाना चाहिए था । हमारे बारे में आजकल यही कहा जा रहा है कि हम सुधार की योजनाओं में लगे हुए हैं, किन्तु खेद है कि भारत सरकार देश भर की निरक्षरता को दूर करने और अध्यापकों की दशा सुधारने के लिए कोई तत्काल कार्यक्रम नहीं बना रही है । भले ही इस क्षेत्र में लम्बी-चौड़ी हांकी जाय, हम तो यही जानते हैं कि शिक्षा के सम्बन्ध में इतना काम नहीं हुआ है जिस पर सरकार गर्व करे या किसी श्रेय का दावा करे । यदि इसी गति से काम होता रहा तो सरकार अपने उस वादे को पूरा नहीं कर सकेगी जो संविधान के अनुच्छेद ४५ में किया जा चुका है, न तो संविधान के लागू होने की तिथि से दस वर्ष की अवधि तक ही १४ वर्ष तक के सभी बालकों को निश्शुल्क और अनिवार्य शिक्षा मिल सकेगी ।

सदन ने शिक्षा के लिये जितने अनुदान की स्वीकृति दी थी, वह भी पूरा व्यय नहीं किया गया है । १९५२–५३ के आयव्ययक को देखिए । मांग संख्या २० के अन्तर्गत आय-व्ययक में ३६९ लाख रुपये का उपबन्ध रखा गया था, किन्तु वास्तव में ३१३ लाख रुपये ही व्यय किए गए हैं, और इस तरह ५६ लाख रुपये की बचत की गई है । इसी प्रकार चालू वर्ष में भी आयव्ययक में ४.८८ करोड़ रुपये का उपबन्ध किया गया था, किन्तु पुनरीक्षित प्राक्कलन ४·५० करोड़ रुपये का है । इस प्रकार इसमें भी ३८ लाख रुपये की बचत होगी । यदि इसी प्रकार काम चलता रहा तो संविधान में की गई प्रतिज्ञा का पालन कैसे हो सकेगा ।

अभी हाल में एक ऐसी योजना बनाई गई है जिसके अनुसार देश भर में हज़ारों अध्यापकों को काम दिया जाएगा, किन्तु जहां तक अध्यापकों की मांगें हैं, उनके साथ कोई भी न्याय नहीं किया गया है । पश्चिमी बंगाल और मद्रास से रिपोर्ट आई है कि वहां स्कूलों में एक ओर कई नये अध्यापकों को नियुक्त किया जा रहा है, और दूसरी ओर पुराने अध्यापकों को, जिन्हें प्रमाप से कम योग्य समझा जा रहा है, नौकरी से बाहर निकाला जा रहा है । भला, जिस योजना से शिक्षित बेकारों को काम मिलने की आशा हो, उसी योजना से यदि काम करने वाले बेकार हो जाएं, तो क्या होगा । हमें साथ ही यह भी देखना होगा कि जिन अध्यापकों को नियुक्त किया जाय, उनसे कोई ठोस काम कराया जाय––यह कोई काम नहीं कहा जा सकता कि थोड़ा-सा सीने-पिरोने, झण्डा

लहराने और एक-आध प्रदर्शन का कार्य दिखाने के बाद उसे बुनियादी शिक्षा का नाम दिया गया ।

जहां एक ओर शिक्षा की द्रुतगति से वृद्धि होने की मांग है, वहां विभाग में पदाधिकारियों की संख्या बढ़ती जा रही है । आज से दो वर्ष पहले इन पर ५ लाख रुपये व्यय होते थे, और अब लगभग ७।। लाख रुपये व्यय हो रहे हैं । मंत्रालय में इतने सचिव, उपसचिव, संयुक्त सचिव, अतिरिक्त सचिव, निजी सचिव, आदि होते हुए भी आयव्ययक में रखी गई मद को पूरी तरह से व्यय नहीं किया जाता ।

अब आप आयोगों और समितियों की नियुक्ति को लीजिए । भूतकाल में हण्टर आयोग, सैडलर आयोग, हर्टांग आयोग, सार्जेण्ट समिति, आदि की नियुक्ति की गई, किन्तु सरकार ने क्या किया । इन पर हज़ारों लाखों रुपये व्यय करने के बाद सरकार ने उनकी रिपोर्टों को खत्ते में डाल दिया । भला बताइए कि अगस्त १९४७ के बाद से क्या यह परम्परा बदल गई है ? विश्वविद्यालय की शिक्षा के सम्बन्ध में राधाकृष्णन् आयोग की नियुक्ति की गई । किन्तु १९५१ में जब बंगाल में विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया जा रहा था, तो राधाकृष्णन् आयोग की सिफारिशों को कार्यान्वित नहीं किया गया । यही कारण है कि सरकार अपने सम्बन्ध में यह नहीं कह सकती कि शिक्षा के प्रति उसका रवैया बदल गया है । विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की नियुक्ति में भी बहुत देर हुई है । इस मौके पर हमें यही कहना चाहिए कि इस आयोग के लिए पर्याप्त धन उपबन्धित किया जाना चाहिए ताकि उचित ढंग से काम हो सके ।

विश्व भारतीय विश्वविद्यालय जो पश्चिमी बंगाल में है, के लिए ४ लाख रुपये से अधिक राशि दी जा रही है, किन्तु वहां वे सभी महत्वपूर्ण विषय नहीं पढ़ाये जाते जो अन्य विश्वविद्यालयों में पढ़ाये जाते हैं । जिस विश्वविद्यालय में रवीन्द्र ठाकुर की आत्मा व्याप्त हो उसे जो भी धन दिया जाय वह उचित ढंग से वहां काम में लाया जाय । इस विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों को शिक्षा की इतनी ही सुविधायें मिलनी चाहियें जितनी कलकत्ता विश्वविद्यालय में मिलती हैं ।

अब मैं माध्यमिक शिक्षा आयोग की कई सिफारिशों को लूंगा । बताया जाता है कि उक्त आयोग वे ही सिफारिशें कर लेगा जो कार्यान्वित की जा सकेंगी चुनांचि उन्होंने भी कहा है : "हम इसी प्रयत्न में लगे हैं कि हमारी सिफारिशें इस तरह की हों जो कार्यान्वित की जा सकें ।"

उपाध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति । यदि माननीय सदस्य बातें करना चाहते हों तो मैं माननीय वक्ता से कुछ देर रुकने को कहूंगा ।

श्री एन० बी० चौधरी : आयोग ने यह भी बताया है :

"पहले के आयोगों की बहुत सी सिफारिशों को कार्यान्वित नहीं किया गया है । इसीलिए बहुत से उत्तरदायी लोगों ने यह पूछा है कि क्या इस आयोग की सिफारिशों को जांचने और कार्यान्वित किये जाने की कार्यवाही की जाएगी ।"

इस बार हम कम से कम इस बात की आशा करते हैं कि इस आयोग ने अध्यापकों के वेतन आदि की जो सिफारिशें की हैं उन्हें खत्ते में नहीं डाला जाएगा ।

एक छोटी सी पुस्तिका में यह बताया गया है कि आगामी वर्ष में किन महत्वपूर्ण सिफारिशों को कार्यान्वित किया जाने वाला है । हमें उनका ज्ञान नहीं, किन्तु आयोग ने

[श्री एन० बी० चौधरी]

अध्यापकों के रहन-सहन की स्थिति के सम्बन्ध में बहुत ही खराब रिपोर्ट दी है। मैं यहां इस समय उनकी सारी बातों को गिना नहीं सकता। आप जानते हैं कि अभी हाल में अध्यापकों ने वेतन-भत्ता आदि में वृद्धि कराने की मांग की थी; उनकी मांग को पूरा करने के बजाय उन्हें क़ैद में डाल दिया गया। यही बात विगत वर्ष उत्तर प्रदेश में हुई।

डा० एम० एम० दास : मेरे मान्य मित्र सदन को यह भी बता दें कि इन अध्यापकों ने परीक्षा में बैठने और योग्यता प्राप्त करने से इंकार किया था।

श्री एन० बी० चौधरी : मैं तो अध्यापकों के रहन-सहन की स्थिति के सम्बन्ध में ही बताना चाहता हूं। सरकार द्वारा नियुक्त आयोग ने उनके बारे में ऐसी बात कही है। मैं इसी बात पर ज़ोर देना चाहता हूं कि केन्द्रीय सरकार पर यह ज़िम्मेदारी आती है कि वह देश भर की माध्यमिक शिक्षा का खर्च उठाये।

उपाध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति। फिर बातें शुरू हुई हैं। आप इस तरह टोलियां बना कर बातें न करें। मुझे इस बात से घोर आपत्ति है। सदन के प्रति इतना सम्मान होना चाहिए कि किसी के भाषण होते हुए इस तरह से बातचीत न की जाय।

श्री एन० बी० चौधरी : रिपोर्ट में बताया गया है कि उद्योग पर एक प्रकार का शिक्षा सम्बन्धी उपकर लगाया जा सकता है जिससे स्कूलों के अध्यापकों को अधिक वेतन दिया जा सके। प्रोफेसरों को भी अधिक वेतन मिलना चाहिए। देखिए केन्द्र और भिन्न भिन्न राज्यों में होता क्या है कि भूस्वामियों और मिल मालिकों को क्षतिपूर्ति के रूप में करोड़ों रुपयों की अदायगी का उपबन्ध किया जाता है, किन्तु जब अध्यापकों की स्थिति सुधारने और शिक्षा के साधन बढ़ाने का प्रश्न आता है, तो कहा जाता है कि कोई पैसा नहीं जो इस पर व्यय किया जा सके।

अब मैं भाषा के प्रश्न को लेता हूं। हम जानते हैं कि संविधान में हिन्दी को राष्ट्र भाषा मान लिया गया है। इस पर किसी को कोई आपत्ति नहीं है। परन्तु अन्य भाषाओं और अल्पसंख्यक भाषा-भाषियों के प्रति रोष और असहिष्णुता क्यों दिखाई जाती है? संविधान के अनुच्छेद ३४७ तथा ३५० के अनुसार यदि भाषा के विषय में राष्ट्रपति को कोई शिकायतें या अभ्यावेदन किया जाता है तो राष्ट्रपति राज्य को यह आदेश दे सकता है कि वह अमुक व्यक्तियों के लिये अमुक कार्यों के सम्बन्ध में भाषा विशेष को मान्यता देने की घोषणा करे। हम हिन्दी को राष्ट्र भाषा बनाने और उसका प्रचार करने के पक्ष में हैं। परन्तु हम यह भी चाहते हैं कि अन्य भाषाओं के साथ अन्याय न हो। हमारे देश में सैकड़ों भाषायें हैं जो अपना अपना स्थान रखती हैं; इसलिये यह आवश्यक है कि हम इस विषय में कोई कठोर नीति न अपनायें।

मैं अब अनूसूचित जातियों के बारे में कुछ कहूंगा। आप उन्हें छात्रवृत्तियां दे रहे हैं। यह अच्छा है। परन्तु आप उन्हीं को सहायता देते हैं जो विश्व-विद्यालय में उच्च शिक्षा के लिये जाते हैं, माध्यमिक शिक्षा प्राप्त करने वालों को सहायता नहीं मिलती। इसके अलावा आजकल पाठ्य पुस्तकों और शिक्षा शुल्कों पर बहुत खर्च करना पड़ता है। सरकार को चाहिये कि वह शिक्षा संस्थाओं को अधिक से अधिक सहायता दे और इन अनुसूचित जातियों के विद्यार्थियों को भी शिक्षा प्राप्त करने के लिये प्रोत्साहन दे।

डा० राम सुभग सिंह : अभी श्री एन० सी० चटर्जी ने कहा कि मानभूमि ज़िले में बंगला बोलने वालों का बहुमत है और उन्होंने अपने प्रमाण के लिये मानभूमि सदर सबडिवीजन का हवाला दिया, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि मानभूमि सदर के अलावा और जितने सब डिवीजन हैं उनके बारे में उन्होंने या पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी ने कभी यह जानने की चेष्टा की कि वहां हिन्दी कितनी बोली जाती है। इस तरह से जान बूझ कर हिन्दी बोलने वाले इतने बड़े भाग की उपेक्षा करना न तो उनको उचित था और न ही हमारे पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी को। इन्हीं अड़ंगों के कारण बंगाल बांटा गया और आज भी सरकार की ओर से और जो हिन्दी के विरोधी हैं उनकी ओर से ऐसी चेष्टा की जाती है और यह दिखलाने की कोशिश की जाती है कि वहां बंगला बोलने वालों का बहुमत है। उनको पता होना चाहिये कि वास्तविकता यह है कि सम्पूर्ण मानभूमि में अगर देखा जाय तो मुश्किल से दस प्रतिशत बंगला वाले होंगे। मैं इस सम्बन्ध में ज़्यादा नहीं कहना चाहता, लेकिन चाहता हूं कि पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी और उनकी मिनिस्ट्री को यह समझना चाहिये कि उनका क्या दायित्व है। उनका कर्त्तव्य बच्चों और लड़कों को शिक्षित बनाना है और यह जानने के लिये कि देश में कितने किस भाषा के बोलने वाले हैं और स्टेट्स का रिआर्गेनाइजेशन इस वक्त कैसे किया जाय इसके लिये तो स्टेट्स रिआर्गेनाइजेशन कमीशन बना दिया गया है, वह डिटेल में जायगा। यदि इनको वहां के लोगों के बारे में ज़्यादा प्रेम और तजुर्बा है तो मैं तो यह उचित समझता कि शिक्षा मंत्रालय की ओर से वहां मानभूमि में बंगला का ही स्कूल खोल दिया गया होता। पर ऐसा नहीं हुआ है। इसलिये मेरा चार्ज एजूकेशन मिनिस्ट्री पर यह है कि उन्होंने आज तक हिन्दुस्तान के लोगों को शिक्षित बनाने के लिये कोई उचित व्यवस्था नहीं की।

आज सन् १९४६ से १९५४ तक आठ वर्ष हो रहे हैं, लेकिन हमारे शिक्षा मंत्रालय की शिक्षा सम्बन्धी नीति अभी तक निर्धारित नहीं की जा सकी। आज एक स्वर से ये कुछ बंगाली सदस्य यह आवाज़ उठाते हैं कि मानभूमि को बंगाल में मिलाना चाहिये। पर जिस चीज़ की आवश्यकता है जो विषय है आज के डिस्कशन का उस पर बातचीत कीजिये यह नहीं कि असलियत को छिपाने के लिये और अपनी कमज़ोरी को छिपाने के लिये आप हिन्दू सभा से मिल जायं और उनके मुआफ़िक बात करने लगें। अब मैं मानभूमि के बारे में आता हूं . . .

श्री वी० जी० देशपांडे : चटर्जी का नाम लेकर आप क्यों इररेलेवेंट बोलते हैं ?

डा० राम सुभग सिंह : जैसा मैंने कहा आठ वर्ष हो गये लेकिन अभी तक इस मिनिस्ट्री द्वारा कोई सिद्धान्त नहीं स्थिर किया जा सका कि प्राइमरी एज्यूकेशन किस तरह से होनी चाहिये, किस तरह से सेकेन्डरी एज्यूकेशन होनी चाहिये। और किस तरह से यूनिवरसिटी एज्यूकेशन होनी चाहिये, लेकिन यह निश्चय किया जा सका कि डाक्टर राजेन्द्रप्रसाद के कहने पर हिन्दुस्तानी कलचर सोसाइटी को ग्रांट दी जाय, मैं नहीं चाहता कि प्रेसीडेंट का नाम यहां पर लिया जाय, लेकिन अभी शिक्षा मंत्री ने उनका नाम यहां ला दिया और कहा कि उनके कहने पर हिन्दुस्तानी प्रचार सभा को ३६ हज़ार रुपया दिया गया, तो क्या शिक्षा मंत्रालय का यही काम है कि कोई भी बड़ा आदमी आकर कह दे तो वह बिना समझे दे दें। डाक्टर राजेन्द्रप्रसाद के कहने पर हिन्दुस्तानी प्रचार सभा को दे दिया जाय, मानभूमि को श्री

[डा० राम सुभग सिंह]

एन० सी० चटर्जी के कहने पर दे दिया जाय और डाक्टर ज़ाकिर हुसैन के कहने पर जामिया मिलिया को ग्रांट दे दी जाय। मैं एज्यूकेशन मिनिस्ट्री की इस नीति का घोर विरोधी हूं और मैं चाहता हूं कि एज्यूकेशन मिनिस्ट्री अपनी इस नीति को बदले और जनता के हित में जो उचित हो वह करे।

५ म० प०

इस तरह से मैं एक साफ आफ़र देता हूं कि यदि यहां पर किसी को मानभूमि की बात करनी है तो मैं सम्पूर्ण बिहार को कहता हूं, सबसे पश्चिमी जिले में मेरा घर है, मेरी कान्स्टिट्युएन्सी है, सब बिहार ले लें, बंगाल में मिला लें, और सम्पूर्ण बिहार और बंगाल में जो भाषा चाहें रक्खें लेकिन हिम्मत के साथ। आज अगर मैं भी यह मांग रक्खूं कि बड़ा बाज़ार में भोजपुरी बोलने वाले आदमी हैं, उसे बिहार में मिलाओ, दार्जीलिंग बिहार में मिलाओ, तो आप क्या यह आफर मानेंगे ? या तो सम्पूर्ण बिहार मिला लें, व्यवस्था के आधार पर, बेकार में नहीं या बड़ा बाजार और दार्जीलिंग, दोनों जो जिले हैं, जहां हिन्दी बोली जाती है उनको बिहार में मिला दें। मैं कहता हूं कि गवर्नमेन्ट और हिन्दू महासभा दोनों युनाइट हो जाते हैं हिन्दी को दबाने के सवाल में। आज नहीं प्राचीन काल से बिहार में अंगरेज सरकार ने जो हिन्दी का प्रचार किया वह बड़ी कठिनाई से किया यहां आप के सामने उपाध्यक्ष महोदय, यह यूनाइट हो जाते हैं और यही नहीं सारे देश में आज यह बात चल रही है, एक एक तबके को उभारा जा रहा है राष्ट्र भाषा के खिलाफ। मैं इस नीति की निन्दा करता हूं और इसीलिये कहता हूं कि जो बजट में १४ करोड़ २६ लाख रुपये की व्यवस्था है, जो मांग आज सदन के सामने है, उसे आप मत स्वीकार कीजिये। आज जो रवैया नेताओं में, डा० मनमोहन साहब या चैटर्जी साहब की ओर से देखता हूं, उसके कारण मैं कहता हूं कि इसमें जो साइन्टिफिक सबजेक्ट्स के लिये या जो टैकनिकल एजुकेशन के लिये मांग है उसको तो सदन ज़रूर मंजूर करे, लेकिन और जो बड़े बड़े लोगों के कहने पर धन दिया जाता है, उसको न देना चाहिये। आज करों के मारे जनता तबाह हो रही है, एक एक आदमी को खर्चे के अभाव में अच्छे अच्छे कपड़े नहीं मिलते, साबुन नहीं मिलता, आज लो कास्ट हाउसिंग की नुमाइश की जाती है, लेकिन सीमेंट पर टैक्स लगाया जाता है, जूते पर टैक्स लगाया जाता है, उस समय अर्थ मंत्री महोदय यह देखें कि टैकनिकल एजुकेशन और साइन्टिफिक एजुकेशन जिसकी देश की पंचवर्षीय योजना को चलाने के लिये आवश्यकता है, उसको इस १४ करोड़ की डिमाण्ड को क्यों नहीं दे देते ? आप की बड़ी बड़ी नदी घाटी योजनायें हैं, और और भी काम हैं, राष्ट्रीय सेवा का काम है, उसमें आप यह १४ करोड़ रुपया लगा दीजिये। कहा जाता है कि कल्चर में दस लाख रुपये का प्राविजन है, आप कल्चर की बात करते हैं, कौन सा कल्चर का काम आप करते हैं ? लोगों को खाने को नहीं मिलता, यहां पर कल्चर की बात होती है, जितने आदमी हिन्दुस्तान में हैं उनमें से ८० फी सदी आदमियों को खाने के लिये नहीं मिलता है और आप डान्सिग ऐकेडमी खोलते हैं। हमारे देश में शब्द भी आते हैं इटली से। क्यों नहीं लेते ? आप मलयालम से क्या हिन्दुस्तान में शब्द नहीं ? आप तामिल से क्यों नहीं लेते ? ऐकेडमी के लिए संगम शब्द तामिल में है, लेकिन आप ढूंढ कर बाहर से चीज ले आते हैं और ठूंस ठूंस कर हिन्दी में भरते हैं कहीं आप अरबी से लाये, कहीं इटली से लाये। बाहर जाकर शब्द लाने की मनोवृत्ति यहां देखी जाती है, यह उचित नहीं है।

इसके साथ साथ इस ग्रान्ट के बारे में अभी कुछ लोगों ने कहा कि किन किन को ग्रांट्स दी गई हैं । मैं तो कहता हूं कि इस मिनिस्ट्री को ऐबालिश कर दीजिये अगर इस तरह से काम किया जाता है । इस कार्य के लिये एक कमीशन रक्खा जाय और कमीशन ग्रान्ट्स स्वीकार करे । कमीशन जाकर देश भर में तय करे कि किस किस को ग्रान्ट दी जाय ।

आज आप इस बजट को देखिये । मैं तो इस को देख कर हैरत में पड़ जाता हूं कि मन्दिर, मस्जिद, कब्रिस्तान बनाने के लिये तीन चार लाख रुपये की व्यवस्था है । मैं कहता हूं कि डाक्टर मन मोहन दास बतायें कि हिन्दुस्तान का ऐसा कौन सा शहर है, बंगाल के मानभूम में स्टूडेंट्स के लिये कितने होस्टेल हैं ? बतावें कि हिन्दुस्तान में कौन ऐसा जिला है जिस जिले में लड़कों के, पढ़ने वाले लड़कों के रहने के लिये, होस्टेल हैं ? लड़के परेशान हो रहे हैं । उनको हाई स्कूलों में जगह नहीं मिलती और यहां पर, केवल दिल्ली में, एक लाख दस हजार रुपया टूम्ब्स पर लगाया जा रहा है । मैं कहता हूं कि इतने रुपये से आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में लड़कों के लिये एक होस्टल क्यों नहीं बनवा देते ? इसी तरह से आप कलकत्ते में होस्टेल बनवाइये, मद्रास में बनवाइये, लखनऊ में बनवाइये । आज आप बंगाल में मानभूम ले जाने की इच्छा करते हैं लेकिन बंगाल वालों की आप व्यवस्था नहीं कर पाते । कलकत्ते में रोज गोली चलती है, वहां टीचर्स की दुर्दशा हो रही है, वहां के स्टूडेंट्स की जो दुर्दशा हो रही है, लखनऊ में अभी आपने देखा कि हालत कितनी नाजुक थी, उस की व्यवस्था आप कर नहीं पाते और मानभूम मिलाना चाहते हैं बंगाल में । मैं चाहूंगा कि शिक्षा विभाग अपनी नीति दुरुस्त करे और कोई भी अपव्यय न होने दे ।

आज प्राइमरी एजुकेशन की क्या हालत है ? आज डिस्ट्रिक्ट बोर्ड से लेकर यूनिवर्सिटी एजूकेशन तक किसी भी जगह निश्चित, व्यवस्था नहीं है । आप निश्चय कीजिये कि कैसी आपकी प्राइमरी एजुकेशन हो, कैसे सेकेन्ड्री एजुकेशन हो, लिटररी वर्कशाप खोले जा रहे हैं, फोर्ड फ़ाउन्डेशन आ कर हमें पालिसी बताता है । सेकेन्ड्री एजुकेशन कमीशन ने जो रिकमेन्डेशन्स पेश किये आपके सामने १९५३ में उन रिकमेन्डेशन्स को सैबाटेज करने के लिये फोर्ड फाउन्डेशन ने हमारे ऊपर एक कमेटी लाद दी, जो विदेशों के दौरे पर है ।

मौलाना आज़ाद : कितना ग़लत आप कह रहे हैं ।

डा० राम सुभग सिंह : मैं दुरुस्त कर लूंगा । लेकिन मुझे तकलीफ यह है कि फोर्ड फ़ाउन्डेशन हमारे ऊपर अपनी नीति लाद रहा है ।

मौलाना आज़ाद : यह आप ग़लत कह रहे हैं ।

डा० राम सुभग सिंह : रिपोर्ट में है, मैं पढ़ देता हूं ।

मौलाना आज़ाद : मैं बतलाऊंगा आप कहे जाइये ।

डा० राम सुभग सिंह : यह तो सब लिखा हुआ है, दूसरी कमेटी फोर्ड फ़ाउन्डेशन के सहयोग से भेज दी गई यू० एस० ए० और ब्रिटेन का दौरा करने के लिये, उसमें चार हिन्दुस्तानी हैं और चार विदेशी । वह लोग जो रिपोर्ट देंगे उसके अनुकूल, यह जो सेकेन्ड्री एजुकेशन कमीशन की रिपोर्ट आई है, उसको बनाया जायगा । हम को मौलाना साहब में पूरा इत्मीनान है, उनमें हम को पूरा विश्वास है, लेकिन एक आदमी के विश्वास का मामला दूसरा है और काम का मामला दूसरा है । जब हम कार्य क्षेत्र की ओर बढ़ते हैं तो मैं अपने बिहार में देखता हूं, यहां पर होस्टलों में देखता हूं कि जहां तक इन ग्रान्ट्स के बारे

[डा० राम सुभग सिंह]

में और स्कालर्शिप्स का सवाल है, हिन्दुस्तान में कम से कम पचास फीसदी लोग ऐसे हैं, जैसा कि आचार्य कृपालानी जी ने कहा था, और दूसरे दूसरे लोगों ने कहा था, जिनको भर पेट खाना नहीं मिलता है, किताब खरीदने को रुपया नहीं है, या कागज के लिये रुपया नहीं है, और यहां आप दस दस लाख, पन्द्रह पन्द्रह लाख रुपया कल्चरल ऐकेडमी में खर्च कर रहे हैं। मैं तो कहता हूं कि ४ करोड़ तो कम से कम आप गरीब स्टूडेंट्स को दे दें, जो गरीब हैं, उन को आप यह दे दें। यहां पर जो टेकनीकल एजुकेशन और साइंटिफिक एजुकेशन पर आप खर्च करें उसके बाद जो बच रहे वह आप ऐसे लोगों को बांट दीजिये। बड़े बड़े मन्दिरों और मस्जिदों के संवरवाने की जो कि आज से हजारों साल पहले बनी थीं, आवश्यकता नहीं है। आज जबकि जनता को खाने को नहीं मिलता, जो कपड़े के लिये तरसती हैं, स्कूलों में बच्चे फीस की कमी के कारण स्कूल छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं। मैं कहता हूं कि आप ऐसे स्कूलों को फ्री ग्रान्ट्स दीजिये, कोई बड़ा आदमी उनके लिये रिकमेन्डेशन करे, यह नहीं, लेकिन सोच समझ कर, ऐसे ऐसे इंस्टिट्यूशन्स हैं जिन को मदद देने की जरूरत है, उनको मदद देकर हमें उठाना है, जिनके लिये यहां चर्चा की गई।

इसके साथ पब्लिक स्कूल के लिये एक लाख रुपये के स्कालर्शिप्स देने की व्यवस्था की गई है। लेकिन यह एक लाख रुपया दाल में नमक के बराबर भी नहीं है। इसको हम को एक दो करोड़ के रूप में देकर इन स्कूलों की तरक्की करनी चाहिये। और केवल पब्लिक स्कूलों को ही नहीं, वहां गरीब, नहीं जाते हैं, बल्कि और स्कूलों को देकर भी और ज्यादा स्कीमें चला कर, उनको पढ़ाने की व्यवस्था करनी चाहिये।

इसके साथ साथ अब नामों का सवाल है लिटरेरी वर्कशाप्स खोली जा रही हैं, यहां पर ऐसे ऐसे नाम रखने चाहियें जिनको कि यहां की जनता समझ सके। उस चीज़ को तो मैं समझ सकता हूं। आप देश के किसी नाम को प्रश्रय दीजिये। ऐसा नाम दीजिये जैसा कि विनोवा जी ने दिया है जिसे हर एक आदमी समझ सकता है। गांधी जी ने सत्याग्रह का नाम दिया, उसको हर कोई समझ सकता है। ऐसा नाम देना चाहिए था जिसको सब लोगों को समझने में सुविधा हो। लेकिन नाम दिया गया है लिटरेरी वर्कशाप। यह चार जगह खोले गये हैं। एक अलीपुर (दिल्ली) में खोला गया है। और तीन अन्य जगहों में खोले गये हैं। इसमें आता है न्यो लिटरेट्योर्स यह भी कोई समझ सकेगा। कितना लाखों रुपया इसमें लगाया गया है। तो मैं चाहूंगा कि ऐसे कामों में ज्यादा रुपया न लगाया जाय पता नहीं चलता कि इन लोगों ने कहां शिक्षा पायी है और उनकी शिक्षा का क्या प्रयोग हो रहा है।

डिक्शनरी वगैरह के बारे में कहा ही जा चुका है। हिन्दुस्तानी सभा के बारे में जो बहुत ज्यादा सरगर्मी है उसका ट्रांसलेशन का नमूना यह है कि वह चीफ जस्टिस को कहते हैं सर जज, चीफ मिनिस्टर को कहते हैं सर वजीर, एग्रेशन को कहते हैं जबरियाब आदि। अगर ऐसे माने किये जायेंगे तो यह किसी के भी समझ में नहीं आयेंगे। तो मैं यह चाहूंगा कि ऐसे संगठनों को जिनका कोई ठिकाना नहीं है उनको सहायता नहीं देनी चाहिए और गरीबों को सहायता देनी चाहिए।

सेठ गोविन्द दास : उपाध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम मैं यह कह देना चाहता हूं कि इस समय इस देश में मैं जिनकी सबसे ज्यादा इज्जत करता हूं वे चार महानुभाव हैं, हमारे राष्ट्रपति डाक्टर राजेन्द्रप्रसाद जी, पंडित

जवाहरलाल जी, राजर्षि पुरुषोत्तम दास जी टंडन और मौलाना अबुलकलाम आज़ाद साहब । यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि जिससे जो कुछ मैं कहने वाला हूं उसमें कोई गलतफहमी न हो । मौलाना साहब के प्रति बहुत बड़ी इज्जत रखते हुए भी मुझे यह कहना पड़ता है कि उनके कारण हो या उनके दूसरे मंत्रियों के कारण हो या उनके समूचे विभाग के कारण हो, आज शिक्षा विभाग अभारतीय है, और उसके अभारतीय होने का दोष चाहे मौलाना साहब पर न हो, लेकिन जब इतिहास लिखा जायगा तो उसकी सारी जिम्मेदारी मौलाना साहब के ऊपर रहने वाली है । सबसे पहली बात हमें यह सोचनी है कि उसके अभारतीय होने का कारण क्या है । उसके अभारतीय होने के दो प्रधान कारण हैं । पहला कारण यह है कि वहां पर अंग्रेजी की बू आरम्भ से अन्त तक भरी हुई है और दूसरी बात यह है कि अंग्रेजी के साथ वहां पर उर्दू भी परिप्लावित है । मैं कह देना चाहता हूं कि मैं अंग्रेज़ी या उर्दू भाषाओं का कोई विरोधी नहीं हूं ।

आचार्य कृपालानी : सभी ऐसा कहते हैं ।

सेठ गोविन्द दास : मैंने जो कुछ लिखा है उसमें से कई चीजों को मैंने अंग्रेजी में भी लिखने का प्रयत्न किया है । मैं अपने कई ग्रन्थों का अनुवाद अंग्रेज़ी में करा रहा हूं । जहां तक उर्दू का सम्बन्ध है मैंने अपने कई नाटकों में उर्दू का खूब अच्छी तरह से प्रयोग किया है । लेकिन भाषाओं का विरोधी न होना एक बात है और कौन भाषा किस स्थान पर रहनी चाहिए यह दूसरी बात है । अंग्रेजी राज्य हमारे देश में कुछ ऐसे समुदाय को छोड़ गया है कि जिसको मैंने एक विशेष नाम दिया है उस समाज को मैं मैकाले पुत्रों का समाज नाम देता हूं ।

डा० एन० बी० खरे : अरबी मैकाले ।

सेठ गोविन्द दास : जहां देखिये वहां अंग्रेजी का बोलबाला । अंग्रेजी यहां रखनी चाहिए, अंग्रेजी वहां रखनी चाहिए, अंग्रेजी सब जगह रखनी चाहिए यह समाज यह चाहता है । इसीलिए मैंने उस समाज का नाम मैकाले पुत्र का समाज रखा है ।

एक माननीय सदस्य : यह नाम अच्छा नहीं है इसको बदल दीजिये ।

सेठ गोविन्द दास : फिर उर्दू इस देश में आम फहम ज़बान नहीं हो सकती । उर्दू के सम्बन्ध में मेरा यह निवेदन है कि वह इस देश की भाषा होते हुए भी देश के पृथक-करण की जो भावना आयी द्विराष्ट्र सिद्धांत का इस देश में जन्म हुआ और आगे चल कर पाकिस्तान बना, उस विषय की उर्दू भाषा इस देश में नवीन रही है । मैं साम्प्रदायिक नहीं हूं । कुछ लोग यह कहते हैं कि यह सब साम्प्रदायिक भावनाओं से कहा जाता है । मैं आज तक किसी साम्प्रदायिक संस्था में नहीं रहा हूं । जब मैं गोरक्षा की बात कहता हूं तो कहा जाता है कि यह साम्प्रदायिक बात है, जब मैं हिन्दी की बात कहता हूं तब भी यह कहा जाता है कि यह बात साम्प्रदायिक है । मैं उन लोगों को साम्प्रदायिक कहता हूं जो भारतीय संस्कृति के विरुद्ध अंग्रेजी और उर्दू को इस देश में कायम रखने का प्रयत्न करते हैं मैं यह मानता हूं कि जिनकी मातृभाषा उर्दू है उनको उर्दू पढ़ने लिखने और बोलने का पूरा अधिकार होना चाहिए पर यह मैं नहीं छिपाना चाहता कि अंग्रेजी और उर्दू भाषाओं की हिन्दी से स्पर्धा है । आज उत्तर प्रदेश में यह मांग की जा रही है कि उर्दू भी वहां की भाषा बनायी जाय । मैं इसको अंग्रेजी में "थिन एण्ड आफ दी वेज" कहता हूं । अगर आज उत्तर प्रदेश में इस प्रकार से उर्दू को मान्यता दी गयी तो आगे चल कर बिहार में यह प्रश्न उठेगा । मध्यभारत में उठेगा, राजस्थान में उठेगा, मध्य प्रदेश में उठेगा और हमारा जो आधे से अधिक देश

[सेठ गोविन्द दास]

हिन्दी भाषाभाषी है वहां पर यह प्रयत्न किया जायगा जो प्रयत्न कि पहले किया गया था कि दोनों लिपियां हों और दोनों भाषायें हों । पाकिस्तान बन जाने के बाद हम इस देश में हिन्दी भाषा-भाषी क्षेत्रों में स्थान स्थान पर पाकिस्तान नहीं बनने देना चाहते ।

प्रान्तीय भाषाओं के सम्बन्ध में भी अभी कुछ कहा गया है । मैं प्रान्तीय भाषाओं का सबसे बड़ा समर्थक रहा हूं । जब मैं हिन्दी साहित्य सम्मेलन का सभापति था और मैंने अहिन्दी भाषाभाषी प्रान्तों का दौरा किया था तब मैंने इस बात को बहुत स्पष्ट किया था और अब भी मेरी यही राय है कि जिन प्रांतों की भाषा हिन्दी नहीं है वहां पर शिक्षा का माध्यम प्रान्तीय भाषा हो, न्यायालयों में प्रान्तीय भाषा काम में लायी जाय, वहां की असेम्बलो का काम प्रान्तीय भाषा में हो । प्रान्तीय भाषाओं और हिन्दी की कोई स्पर्द्धा नहीं है । अगर हमको इस देश में लोगों को शिक्षित बनाना है तो हमको जितना ध्यान हिन्दी की ओर देना चाहिए उतना ही ध्यान प्रान्तीय भाषाओं की ओर भी देना चाहिए । इसलिए यह कहना कि जो लोग यह कह रहे हैं कि हिन्दी को उसका उचित स्थान मिलना चाहिए वे प्रान्तीय भाषाओं के विरुद्ध हैं यह गलत बात है और इससे गलतफहमी फैलती है । मैं इस बारे में हिन्दी वालों को भी सचेत करना चाहता हूं हिन्दी भाषियों को जितना प्रेम हिन्दी भाषा से है उतना ही प्रेम प्रान्तीय भाषाओं से होना चाहिए । अगर हिन्दी राजभाषा बनी है तो वह इसलिए कि वह अधिक लोगों की भाषा है इसलिए नहीं कि हिन्दी में कोई खास सुरकाब का पर लगा है । यह जो बार बार कहा जाता है कि हिन्दी भाषाभाषी प्रान्तीय भाषाओं के विरुद्ध हैं गलत है । मैं प्रान्तीय भाषाओं का उतना ही समर्थक हूं जितना हिन्दी का ।

हिन्दी का रूप क्या होना चाहिए इस सम्बन्ध में कोई बहुत मतभेद की आवश्यकता नहीं है । हमारे संविधान में इस बात को स्पष्ट कर दिया गया है कि हिन्दी में मूलतः हमको संस्कृत से शब्द लेने हैं । आज जो अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक शब्दावली कही जाती है, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मैं तमाम दुनिया के देशों को देख कर आया हूं, अन्तर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक शब्दावली के सदृश कोई चीज़ नहीं है ।

अंग्रेजी भाषा की जो वैज्ञानिक शब्दावली है वह इंग्लिस्तान, अमरीका और इंग्लिस्तान की जो चार कालोनी हैं, कनाडा, आस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका और न्यूज़ीलैण्ड इन को छोड़ कर और कहीं नहीं चलती । फ्रांस में कुछ शब्द चलते हैं । आप अपने पड़ौसी देशों में जाइये, आप चीन में जाइये, आप जापान में जाइये । वहां पर अंग्रेजी शब्दावली काम में नहीं लाई जाती । अगर अंग्रेजी वैज्ञानिक शब्दावली वैसी की वैसी यहां पर प्रयोग में लाई जायगी तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि हमारे यहां पर जब कुछ अच्छे वैज्ञानिक पैदा होंगे, कुछ खोज होंगी, तो क्या वह भी लैटिन शब्दावली में लिखी जायेंगी ? कौन सी शब्दावली में वह लिखी जायेंगी । यह बहुत ग़लत बात होगी कि इस प्रकार वैज्ञानिक शब्दावली को जो आजकल अंग्रेज़ी में चलती है, इंटरनैशनल या अन्तर्राष्ट्रीय मान कर वैसे के वैसे यहां पर स्वीकृत कर लिया जाय । यह हरगिज़ नहीं हो सकता ।

हां, अंग्रेज़ी के जो शब्द प्रचलित हो गये हैं, जैसे टेलीफोन है, उनको बदलने के पक्ष में मैं नहीं हूं । मैं आप को एक बात बतलाऊं, हमारे प्रान्त में टैलीफोन के लिये "दूरभाष" शब्द को रखा गया है । मैंने एक जगह इस शब्द का बोर्ड देखा "दूरभाष" तो मैंने 'भाष' की जगह 'भाग' 'दूरभाग' पढ़ लिया । उससे मैंने यह तात्पर्य लगाया कि यहां ४४० वोल्ट

आदि की कोई इलैक्ट्रिसिटी की जगह होगी और यहां पर जाना उचित नहीं है, इसलिये यह लिखा है । इसी तरह साइकल का नाम 'द्विचक्र' इस प्रकार के शब्दों के पक्ष में मैं नहीं हूं । जो शब्द हमारे यहां पर आ गये हैं, जैसे रेल है, टिकट है, प्लैटफार्म है, बाइसिकल है, मोटरकार है, एंजिन है, इस प्रकार के शब्दों को हमें ले लेना चाहिये । लेकिन इस का यह भी मतलब नहीं कि इस प्रकार के प्रचलित शब्दों के अलावा हम हज़ारों शब्दों की जो वैज्ञानिक शब्दावली है, वह अंग्रेज़ी से ले लें । यह बिल्कुल ग़लत बात होगी । इन दोनों बातों का हमें ध्यान रखना चाहिये ।

तो हिन्दी के मुख्य स्रोत के बारे में कोई झगड़ा नहीं होना चाहिये । वह स्रोत क्या हो यह हमारे संविधान में स्पष्ट लिखा है । पर नयी शब्दावली की बात तो दूर रही, हमारे संविधान में जो शब्दावली स्वीकृत हो चुकी है, कम से कम उसके विषय में तो स्थिति स्पष्ट होनी चाहिये । मौलाना साहब ने फरमाया मेरे प्रश्न के उत्तर में कि इस बात की भी आज़ादी दे दी गयी है कि उसे भी बदलना हो तो बदला जाये । अब जिस शब्दावली के ऊपर हमारे लाखों रुपये खर्च हो चुके और जो शब्द हमने रखे वह सब शब्द प्रचलित भी आज हो गये, वह हटाए जायं, यह कैसी बात है । जैसे संसद् शब्द को लीजिये, लोक सभा शब्द को लीजिये, विधेयक शब्द को लीजिये, विधि शब्द को लीजिये, यह सब शब्द हमारे संविधान में स्वीकृत किये गये थे और उसके कुछ महीने के अन्दर ही सारे देश में यह प्रचलित हो चुके । अब उनके स्थान पर और और शब्द प्रचलित किये जायं, यह बिल्कुल ग़लत बात होगी । और फिर इसमें एक अन्देशा और है---कभी कोई बात निर्णीत मानी ही न जा सकेगी । इस सब के कारण क्या हैं ? हिन्दी की जो उन्नति नहीं हो रही है उसके क्या कारण हैं ? एक तो इसका कारण है एक झूठा नारा । यह झूठा नारा है कि हिन्दी सब के ऊपर लादने का प्रयत्न किया जा रहा है । हिन्दी लादी जाने का कोई प्रयत्न नहीं हो रहा है । कम से कम मैं हिन्दी किसी पर लादी जाय, इसका विरोधी हूं । पर अंग्रेजी या उर्दू भाषा हमारे ऊपर लादी जाय इसका भी मैं विरोधी हूं । अगर किसी को अंग्रेज़ी भाषा अपने प्रान्त में रखना है तो रखे, बहुत खुशी से अपनी प्रान्तीय भाषा का गला घोंट कर वह अंग्रेजी भाषा को रख सकते हैं । किन्तु १४ करोड़ जो हिन्दी भाषा भाषी हैं, उनका गला घोंट कर वहां पर अंग्रेज़ी को रखने का प्रयत्न करना भी नितान्त अनुचित है ।

अभी यहां हमारे प्रधान मन्त्री जी का भाषण हुआ, हिन्दी में हुआ, तो क्या यह उन्होंने हिन्दी भाषा को लादने का प्रयत्न किया ? यह बात नहीं है । हिन्दी को हमने अपनी राज भाषा माना है, राष्ट्रभाषा माना है । उसको अगर १५ वर्ष के अन्दर उचित स्थान प्राप्त करना है तो १६वें वर्ष के प्रातःकाल तो वह राजभाषा बन नहीं सकती । हमें अभी से उसके लिये प्रयत्न करना चाहिये और जो प्रयत्न नहीं हो रहा है उसके दो प्रधान कारण हैं । एक तो यह झूठा नारा है और एक कारण यह है कि उसको सरकार को जिस प्रकार से मदद देनी चाहिये उस प्रकार से नहीं दे रही है । हमारे दो प्रकार के निर्माण कार्य हैं । एक तो पार्थिव वस्तुओं का निर्माण है जिससे हमारी आर्थिक उन्नति होगी, आर्थिक अवस्था सुधरेगी, मैं उसके पक्ष में हूं । लेकिन उसी के साथ एक दूसरा निर्माण है---बौद्धिक निर्माण, जिसकी नींव भाषा है जहां हम आर्थिक चीज़ों पर तो करोड़ों रुपये खर्च करने को तैयार हैं, वहां पर हिन्दी के लिये लाखों रुपये भी देने को तैयार नहीं हैं, यह हिन्दी के साथ अन्याय है । हिन्दी को अंग्रेज़ी का स्थान लेना है तो इस तथ्य को मौलाना साहब को मान लेना होगा नहीं

[सेठ गोविन्द दास]

तो उनकी सब योजनायें कागज में रह जायेंगी और एक योजना भी कार्य रूप में परिणत नहीं होने वाली है। हिन्दी के निर्माण के लिये भी लाखों नहीं करोड़ों चाहिये। कम से कम दस करोड़।

श्री बैरो (नामनिर्देशित—आंग्ल-भारतीय): श्रीमान्, मैं एक अल्प-संख्यक भाषा-भाषी होने के नाते, भाषा के प्रश्न पर अपने विचार प्रकट करूंगा। मैं आपके सामने माध्यमिक शिक्षा आयोग की रिपोर्ट की कुछ बातें रखूंगा।

जैसा सदस्यों को विदित है, माध्यमिक शिक्षा आयोग ने कुछ सिफ़ारिशें की हैं। मैं माननीय शिक्षा मंत्री से यह पूछना चाहता हूं कि इन सिफ़ारिशों को किस प्रकार क्रियान्वित किया जायेगा। एक उदाहरण लीजिये बम्बई सरकार ने यह निश्चय किया है कि मिडिल स्कूल की किसी कक्षा में अंग्रेज़ी नहीं पढ़ाई जायेगी। परन्तु आयोग ने सिफ़ारिश की है कि मिडिल स्कूलों में अंग्रेज़ी और हिन्दी दोनों पढ़ाई जानी चाहियें। तो मैं स्पष्ट रूप से जानना चाहता हूं कि इन सिफ़ारिशों को किस प्रकार क्रियान्वित किया जायेगा।

माध्यमिक शिक्षा आयोग ने शिक्षा के उद्देश्यों, चरित्र-निर्माण, नागरिक प्रशिक्षण तथा गतिशील शिक्षण प्रणालियों के बारे में तो सिफ़ारिशें की हैं परन्तु इनसे अधिक महत्वपूर्ण विषयों पर, जैसे वित्तीय व्यवस्था, शिक्षकों की दशा, भाषाओं के प्रश्न आदि पर आयोग ने स्पष्ट रूप से कुछ नहीं कहा है, बल्कि कहीं कहीं तो उसने आवश्यक विषयों को छोड़ भी दिया है। वित्त का विषय ही लीजिये। माध्यमिक स्कूल के सम्बन्ध में सिफ़ारिश करते समय उन्होंने कहीं इस बात का अनुमान नहीं लगाया कि इस स्कूल का खर्चा कितना आयेगा। उन्होंने सुझाव दिया है कि एक कक्षा में ३० और ४० के बीच में विद्यार्थी होने चाहियें और स्कूल में विद्यार्थियों की कुल संख्या ७५० से अधिक नहीं होनी चाहिये। मैं उनसे पूछता हूं कि राज्यों के पास जो सीमित रुपया पैसा है उससे वे किस प्रकार ऐसे स्कूल स्थापित कर सकते हैं। वे चाहते तो इस बात का अनुमान लगा सकते थे कि एक स्कूल की लागत कितनी होगी, स्कूल जाने वाले बच्चों की संख्या कितनी होगी और हमें कितने स्कूलों और कितने रुपये की आवश्यकता होगी।

फिर, खेर समिति ने यह सिफ़ारिश की थी कि राज्य की आय का कम से कम २० प्रतिशत भाग शिक्षा पर ख़र्च होना चाहिये। मुझे बम्बई और मद्रास राज्यों के बारे में तो पता है। वे २० प्रतिशत ख़र्च कर रहे हैं परन्तु उन्हें प्राथमिक शिक्षा के लिये केन्द्रीय सरकार से सहायता मांगनी पड़ती है। यदि आयोग ने वित्त के प्रश्न पर विचार किया होता तो वह निश्चय ही दो परिणामों पर पहुंचता; एक तो यह कि ग़ैर सरकारी और ऐच्छिक विद्यालयों को माध्यमिक शिक्षा देने के लिये जारी रखना आवश्यक है; दूसरे यह कि शिक्षा के लिये केन्द्रीय सरकार को और ज़्यादा रुपया देना चाहिये। खेर समिति ने सुझाव दिया था कि केन्द्र को अपनी आय का १।१० भाग शिक्षा पर ख़र्च करना चाहिये, परन्तु वास्तव में वह केवल १।२० भाग ही ख़र्च कर रहा है। मैं केन्द्रीय सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह माध्यमिक शिक्षा पर और अधिक व्यय करे। इसके लिये हमें संविधान में भी आवश्यक परिवर्तन करने चाहिये; मेरा तो यह विश्वास है कि यदि हम माध्यमिक शिक्षा को संगठित करना चाहते हैं तो हम इसे केन्द्र के क्षेत्राधिकार में लाकर ही अपना उद्देश्य पूरा कर सकते हैं।

जहां तक शिक्षकों की स्थिति का प्रश्न है, माध्यमिक शिक्षा आयोग ने उनके हित के लिये कुछ योजनाओं का सुझाव दिया है। एक योजना के अनुसार शिक्षकों को निवृत्ति वेतन, बीमा और भविष्य निधि देने की सिफ़ारिश की गई है; दूसरी उन्हें चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने और तीसरी मकान दिलवाने के बारे में है। मैं चाहता हूं कि उनके लिये पहली दो योजनाओं को ही क्रियान्वित कर दिया जाये तो बहुत है।

जहां तक शिक्षकों के वेतन का प्रश्न है, आयोग ने इस विषय में कोई निश्चित सिफ़ारिश नहीं की है। वह कम से कम निम्नतम वेतन तो निर्धारित कर सकता था, परन्तु उसने केवल यही सिफ़ारिश की है कि इस के लिये राज्य सरकारों को समितियां बनानी चाहियें जो इस प्रश्न पर छानबीन करके अपना परामर्श दें। मेरा निवेदन है कि शिक्षकों को कम से कम इतना वेतन दिया जाना चाहिये जो उनकी स्थिति के अनुकूल हो और उनके समान अन्य क्षेत्रों में कार्य करने वाले लोगों के पारिश्रमिक के बराबर हो। मैं चाहता हूं कि केन्द्रीय मंत्रालय एक ऐसी नीति बनाये जिसके अनुसार केन्द्र से राज्यों को जो सहायता मिले उसका एक निश्चित भाग शिक्षकों के वेतन पर ख़र्च किया जाये ताकि ये लोग कुछ सुख और प्रतिष्ठा से रह सकें।

श्री एम० एच० रहमान (ज़िला मुरादाबाद–मध्य): जनाब डिप्टी स्पीकर साहिब, इस वक्त वज़ारत तालीम के सिलसिले में डिमांड्स पर तकरीरें हो रही हैं। मैंने बहुत इतमिनान के साथ इन तकरीरों को सुना। टंडन जी और सेठ गोविन्द दास की तकरीरों से मुझे बहुत ज़्यादा हैरत हुई और मैंने यह बात महसूस की कि एक ऐसे मामले में जो पार्लीमेंटरी मामला हो और जिस पर बहुत ही संजीदगी के साथ सोचने और ग़ौर करने का मौक़ा दिया जाये उस पर अच्छी तरह अपने विचार रखे जायें। दूसरे विचारों के लिए भी खुला हुआ मौका मिलना चाहिये। इसमें एक बहुत ही खूबसूरत इलफ़ाज़ के साथ जो उर्दू का ज़िकर आता है तो पाकिस्तान मिस्टर जिन्ना और मुस्लिम लीग ये तीनों ऐसे भूत सामने लगा दिये जाते हैं कि जिस के बाद किसी दूसरे आदमी को किसी दूसरे ख्याल को ज़ाहिर करने की गुंजायश ही न हो, जुर्रत ही न हो। इस तरह का रोब डालने और ख़ौफ पैदा करने के लिए कम अज़ कम ज़बान के मसले में यह तरीका हद दर्जा शर्मनाक है और पार्लीमेंटरी असूल के बिल्कुल ख़िलाफ है। जहां तक ज़बान का ताल्लुक है उर्दू ज़बान के बारे में यह कह देना तवारीख को झुठलाना है कि इसकी हैसियत अंग्रेज़ी ज़बान की सी है, और वह भी बाहर से आई हुई ज़बान है और अगर अंग्रेज़ी आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाये तो उर्दू को भी इस तरह आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाना चाहिये।

श्री वी० जी० देशपांडे (गुना): खत्म हो गई है।

श्री एम० एच० रहमान: यह बात कतन् बातिल और झूठ है और इस मसला को आज जिस तरीके से पेश किया गया है मेरे नज़दीक वह बिल्कुल ग़लत है। उर्दू ज़बान किसी मानी में सिर्फ मुसलमानों की ही ज़बान नहीं मानी जा सकती। यह बात तै शुदा है, जिस में दो राय नहीं हैं कि हिन्दी जबान हमारी वतनी ज़बान है, मुल्की ज़बान है और हमारी राष्ट्रभाषा है। इसको फलना फूलना चाहिये और इसके लिए जितने बेहतर से बेहतर तरीका से इन्तज़ाम हो सके वह होना चाहिये ताकि जल्द से जल्द वह अंग्रेज़ी की जगह ले सके। इसमें कोई दो रायें नहीं। लेकिन इस मसला के साथ साथ बार बार उर्दू के ख़िलाफ़ ज़हर उगलना क्या मानी रखता है। हम अगर हिन्दी को राष्ट्रभाषा

[श्री एम० एच० रहमान]

मानते हैं तसलीम करते हैं तो क्या इसके यह मानी हैं कि दूसरी ज़बानों को कोई सहूलत कोई तरक्की सरकारी तौर पर नहीं मिलनी चाहिये। या उनको किसी किस्म की इमदाद नहीं मिलनी चाहिये। यह बात किसी तरीका से भी हमें मंजूर नहीं। यह कहना कि हम उर्दू के मुखालिफ नहीं हैं, यह कि शुबली ऐकेडमी के लिए जो ग्रांट है उसके हम खिलाफ़ नहीं, अंजुमन तरक्की उर्दू को जो इमदाद दी जा रही है हम उसके मुखालिफ नहीं हैं। किसी चीज़ की मुखालफत के दो ढंग होते हैं, एक खुला हुआ ढंग होता है और दूसरा चोर दरवाज़ा से। साफ़ इलफाज़ में वे नहीं कहना चाहते। राष्ट्रभाषा की खूबी ही इसी में है कि उसकी तरक्की के साथ साथ जो दूसरी ज़बानें हैं जैसा कि तेलगू ज़बान मलियालम ज़बान, तामिल ज़बान, बंगला ज़बान, उनकी भी तरक्की होना ज़रूरी है। मैं पूछता हूं आखिर उर्दू ज़बान का ज़िक्र करना क्या गुनाह है? आखिर उर्दू को वही जगह क्यों न दी जाये जो उसका हक है? अगर फ़र्ज़ कीजिये कि मध्य भारत में मध्यप्रदेश या बिहार में यह बात साफ हो जाये कि वहां बहुत बड़ी तादाद में हिन्दू मुसलमान और सिख जो बसते हैं वे उर्दू ज़बान बोलते हैं तो उर्दू में ही क्यों न उनकी तालीम हो और वहां अदालती सहुलियतें उर्दू को क्यों न मिलें। इस जबान के ज़ेरे साया जिसको हम राष्ट्रभाषा कहते हैं, मिल जाने की बात मैं कहूं तो कौन सी पाकिस्तान की या कौन सी मुस्लिम लीग की बात कहता हूं? इस तरह की बातों से काम नहीं चल सकता। मैं खुद अपने आप देश में मुस्लिम लीग का सब से बड़ा विरोधी रहा हूं। मैं इस वक्त बोल रहा हूं जबकि वक्त बहुत थोड़ा है वरना पुरुषोत्तम दास जी टंडन इस बात के गवाह हैं कि जिस वक्त हमारे लीडरों ने आल इंडिया कांग्रेस कमेटी में यह सवाल पेश किया कि हम पाकिस्तान को कबूल करते हैं, उस वक्त पंडित जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, पंडित गोविन्द वल्लभ पंत और सरदार वल्लभ भाई पटेल की तकरीरों के बाद सबसे पहला शख्स ए० आई० सी० सी० में यह हफ्जुल रहमान था जिसने कहा कि पाकिस्तान बुज़दिली है। इस को न मानिये। और हम इसके लिए आखिर तक लड़ेंगे और हम गांधी जी की रहनुमाई में पूरे मुल्क को आज़ाद करा सकते हैं। आप आज इस तरह से असलियत को छुपाने की कोशिश न कीजिये। आपको किसी दूसरे नुकता नजर के ख्याल से मुस्लिम लीगी और पाकिस्तानी तहरीक बताकर इस तरह सही चीज़ को दबाने की कोशिश नहीं करनी चाहिये। इस्लामी तमद्दन, सिख तमद्दन, हिन्दू तमद्दन कोई मर नहीं सकता। यहां पर हिन्दू बस रहे हैं, मुसलमान बस रहे हैं, या दूसरी कम्यूनिटीज़ बस रही हैं उनके तमद्दन ज़िन्दा रहेंगे। कोई ताकत उन तमद्दनों को नहीं मिटा सकती। इन तमाम तमद्दनों को मिला कर भारतीय संस्कृति और तमद्दन बना है। इस लिये बिना हिन्दू तमद्दन और इसलामी तमद्दन की हिफ़ाज़त के भारतीय संस्कृति वजूद में नहीं आ सकती और ऊंचा दर्जा पैदा नहीं हो सकता। इसलिए यहां सब तमद्दन बाकी रहेंगे। उनको कोई मिटा नहीं सकता क्योंकि उनकी वजह से पाकिस्तान नहीं बना। पाकिस्तान बनाने वालों ने सयासी वजूहात से बनाया है। यह मुखतलिफ वजूहात से बना है। इसमें ज़बान का और उर्दू ज़बान का कोई दखल नहीं है। इस ज़बान में बड़े बड़े लेखक और मुसनफ़ बड़े बड़े कवि और शायर, हिन्दू मुसलमान और सिख रहे हैं। इसको नज़र अंदाज़ कैसे किया जा सकता है। जो इस तहरीक को फिरका परस्ती बताते हैं वे लोग फिरका परस्ती के नाम से या शायद आशना नहीं या खुद फिरकापरस्ती और तंगदिली में मुबतिला हैं। मैं नहीं पसन्द करता

कि इस तरह से इस बेहतरीन हाउस में जहां पार्लीमेंटरी असूलों पर गुफ़्तगू की जाती है वहां इस किस्म की फ़िरका परस्ताना मकरूह ज़हनियत का मुज़ाहिरा किया जाये। पाकिस्तान का हवाला देकर महज़ जज़बात को उभारा जाये। हम तो खुद खामोशी से संजीदगी से इस मामला पर गौर करना चाहते हैं। इसमें क्या बुराई है ? क्या उर्दू ने पाकिस्तान बनाया है ? उर्दू ने पाकिस्तान नहीं बनाया है। हिन्दी ने पाकिस्तान नहीं बनाया। क्या ज़बानें डिवाईड किया करती हैं। ज़बानें कभी डिवीज़न नहीं किया करतीं। दिलों की खोट और दिलों की बेईमानी डिवाईड करती है और बेईमानी आइन्दा भी नुकसान पहुंचा सकती है। पाकिस्तान तो उसने नहीं बनाया यह कहने की बातें हैं। लेकिन हम टंडन जी और उनके साथियों की ऐसी फिरका परस्ताना ज़हनीयत से क्या मरऊब हो सकते हैं जबकि हम यकीन रखते हैं कि हमारे अन्दर किसी भी हिन्दुस्तानी से कम अपने मुल्क की आज़ादी के लिए जज़्बा नहीं है। मैं आप हज़रात की क्या बात कहूं। पंडित जवाहरलाल नेहरू और बड़े बड़े जो हमारे लीडर बैठे हुए हैं उनसे भी ज़्यादा हमारे अन्दर जज़्बा है कम नहीं है। हमने मुल्क के लिए अपना खून पसीना बहाया और मुल्क को आज़ाद कराया है। हमने पाकिस्तान को और पार्टीशन को न सिर्फ हिन्दुस्तानी की हैसियत से बल्कि कम्यूनल नुक्ता नज़र से, मुसलमानों के नुकता नज़र से बदतरीन समझा। हमने यह समझा है कि पाकिस्तान इसलिए नहीं बन रहा है कि मुसलमानों को इस ज़रिया से अंग्रेज़ कोई बड़ा फायदा पहुंचाना चाहते हैं बल्कि उन्होंने इसलिए यह डिवीजन करवाया है कि वे और अमरीका इस तरह हमेशा एक टुकड़े के ज़रिया दूसरे टुकड़े को खौफज़दा और बेइतमीनान रखे और कभी दोनों टुकड़ों में सच्चा प्रेम पैदा न होने दें। पस अगर हमने उर्दू का सवाल पेश किया है या अगर बिहार, मध्यप्रदेश से यह आवाज़ उठेगी तो क्या क़यामत हो जायेगी। और उर्दू को एक सरकारी हैसियत ख्वाह वह अदालती हैसियत हो या तालीमी हैसियत हो, दी जाती है तो क्या मुसीबत पैदा हो जायेगी। अपने मुल्क के आज़ाद होने की हैसियत से, अपने मुल्क की एक मुशतरका ज़बान होने की हैसियत से, अपने हिन्दू मुसलमान भाइयों के एक प्रेम के सागर, समुद्र में खो जाने की हैसियत से अगर इस को यह हैसियत दी जाती है तो क्या हुआ इसको क़ौम परस्ती कहना खुद क़ौम परस्ती है।

इस बिना पर मैं गुज़ारिश करूंगा कि इस मामले में और जितनी बातें की जायें मुझे उस से बहस नहीं है। जहां तक हिन्दी को बढ़ाने का मसला है हम लोग हम ख्याल हैं कि आप इस पर ज़्यादा से ज़्यादा रुपया खर्च करें और इसका प्रचार करें। मैं अगरचि उन लोगों में से हूं जिन्होंने कांस्टीट्यूएंट एसेम्बली में हिन्दुस्तानी का साथ दिया था, लेकिन जिस दिन हमारी कांस्टीट्यूएंट असेम्बली ने हिन्दी को सरकारी ज़बान तय कर दिया उस दिन हमने ईमानदारी से इसको माना और उसी मिनट से हम हिन्दी को राष्ट्रभाषा समझते हैं। लिहाज़ा वज़ारते तालीम पर यह इल्ज़ाम लगाना कि वह हिन्दी के खिलाफ़ रुख रखती है क़तैअन ग़लत है। लेकिन इसी के साथ साथ हम यह एक मिनट के लिये भी मानने के लिये तैयार नहीं कि सेठ जी के कहने के मुताबिक उर्दू को अंग्रेज़ी के दर्जे में समझ लिया जाये। उर्दू की वह हैसियत हरगिज़ नहीं है बल्कि वह इस मुल्क की संस्कृति का एक अहम जुज़ है जिसको किसी तरह नज़रअन्दाज़ नहीं किया जा सकता। उर्दू को इस मुल्क में अहम जगह हासिल है इसलिये अगर यह चीज़ कोई हम से छुड़ाना चाहे तो छुड़ा नहीं सकता। हमको तो वज़ीरे तालीम से यह शिकायत है कि तालीम के

[श्री एम० एच० रहमान]

बारे में जो मर्कज़ी वज़ीरे तालीम के मातहत सूबों के वुज़राये तालीम की कान्फ्रेंस हुई थी, उसमें उर्दू के बारे में जो पालिसी तय पाई थी उस पर खास तौर से उत्तर प्रदेश में, और भी दूसरी जगहों में अमल नहीं हो रहा है। मैं समझता हूं कि ज़रूरत है कि वज़ीरे तालीम कम से कम इस मसले को जान लें और मर्कज़ी वज़ारते तालीम इस पालिसी को पूरी मज़बूती से अमल में लाये और रियासतों की तालीमी वज़ारतों से उस पर अमल कराये।

इसके साथ साथ मैं एक चीज़ और भी अर्ज़ करूंगा। गालिबन और भाई भी इस मसले को पेश करेंगे। यहां पर अरसे से एक कैम्प कालेज चल रहा है जिसे हमारे पुरुषार्थी भाई चला रहे हैं। क़रीब साढ़े चार हज़ार लड़के इसमें तालीम पाते हैं। और यहां के एम्पलाईज़ की एक बहुत बड़ी तादाद इस में तालीम हासिल करती है। पिछले दिनों मरकज़ी गवर्नमेंट ने इसको एक दो मर्तबा इस बात की इजाज़त दे दी कि इसकी तौसीह कर दी जाये और इसको बाकी रखा जाये। लेकिन इस साल यह मालूम हुआ है कि मर्कज़ी हकूमत इसको खत्म करना चाहती है। मुझे यह बात मालूम हुई है (अगर यह ग़लत हो तो बहुत अच्छा है) मालूम हुआ है कि इसकी वजह यह है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के क़ाइदे के मुताबिक यह एक ऐसे एरिया में आ गई है कि जब तक दिल्ली यूनिवर्सिटी इसको क़बूल न करे उस वक्त तक मर्कज़ी हकूमत उस पर दबाव नहीं डाल सकती कि इसको कायम रखा जाये। मालूम हुआ है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी इसका बोझ नहीं उठाना चाहती। उसकी कोई दिक्क़तें हो सकती हैं जिनकी वजह से वह इस की ज़िम्मेदारी नहीं लेना चाहती। तो कानूनी तौर पर इसको तौसीह नहीं मिल सकती और इसको अगले साल कंसेशन नहीं मिलेगा। मेरी गुज़ारिश है कि यह एक बेहतरीन कालेज है और इसके नताइज बेहतरीन से बेहतरीन इस वक्त मौजूद हैं और यहां पर बेहतरीन तालीम दी जा रही है। ऐसे इदारे को तोड़ देना तो आसान है लेकिन इसको बनाना और बेहतर से बेहतर चलाना मुश्किल है। मैं यूनिवर्सिटी की कानूनी दिक्क़तों से वाक़िफ़ नहीं हूं, अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी इस को ले ले....

पंडित ठाकुर दास भार्गव : यह मसला तय हो चुका है। यह कालेज पंजाब यूनिवर्सिटी के मातहत रह सकता है। यह चीज़ दिल्ली यूनिवर्सिटी के कायदे के मुताबिक होगी।

श्री एम० एच० रहमान : मैं उम्मीद करूंगा कि वज़ारते तालीम इस पर खास तवजह करेगी और इस बात को नोट करेगी कि इस कालेज को बाकी और ज़िन्दा रखे।

श्री राम दास (होशियारपुर—रक्षित—अनुसूचित जातियां) : यह शिक्षा का मसला देश का ज़रूरी मसला है लेकिन शिक्षा के साथ वह सलूक नहीं किया गया जो कि उसके साथ होना चाहिए था। रुपया देने में भी इसके साथ कंजूसी की गयी है और समय देने में भी कंजूसी की गयी है। दूसरे जो बजट के आइटम हैं उनके लिए पार्लियामेंट दो दो तीन तीन और चार चार दिन दे सकी लेकिन तालीम का मसला जो सबसे अहम है उसके लिए दो तीन घंटे देना भी मुश्किल हो रहा है: मैं समझता हूं कि यह तालीम के साथ स्टेप मदरली सलूक है। मैं नहीं जान सकता कि एडवाइज़री कमेटी ने और मिनिस्टर साहब ने यह कैसे मंजूर कर लिया कि दो तीन घंटे में इस बड़े मसले पर बहस हो सकेगी।

सन् १९४७ के पहले भी हम सुनते थे कि हमारा तालीमी ढांचा खराब है और हमारे मुल्क के लिये नुकसान देह है। लेकिन

उस वक्त हम समझते थे कि इसके लिए जो विदेशी हुक्मरां हैं वह जिम्मेवार हैं। १९४७ के बाद इन आज़ादी के सालों के अन्दर भी शायद ही कोई कनवोकेशन एड्रेस या प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन के मौक़े पर कोई स्पीच हुई होगी जिसके अन्दर यह नहीं कहा गया कि यह सिस्टम आफ एजूकेशन हमारे मुल्क के लिए बहुत ही गैर मुफीद है और नुकसान देह है। यहां तक कि एजूकेशन मिनिस्टर खुद प्रीसाइड करके अपनी स्पीचों के अन्दर यही कहते रहे हैं कि यह जो हमारी तालीम का ढांचा है यह निहायत खराब है और उसको बदलना चाहिए। लेकिन सात साल से यह एजूकेशन मिनिस्टर बरसरे इक्तिदार हैं लेकिन मैं समझता हूं कि इस तालीम के अन्दर कोई किसी किस्म की तबदीली नहीं हुई। बाकी मिनिस्ट्रीज़ ने अपने आपको बदला है और हालात के मुताबिक अपने आपको एडेप्ट किया है लेकिन यह एक एजूकेशन मिनिस्ट्री ही है जो कि बदलने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। उस दिन हाउस के अन्दर एक मेम्बर ने सुझाव दिया था कि यहां एक कमीशन बनना चाहिए जो कि उस काम को करे। मैं भी आपके सामने यह अर्ज करूंगा कि मालूम होता है कि एजूकेशन मिनिस्ट्री के पास आगे ही बहुत ज्यादा काम है जिसको वह सम्भाल नहीं सकती इसलिए पार्लियामेंट को कोई कमीशन ऐसा मुकर्रर करना चाहिए जो कि एजूकेशन के ढांचे में रिफार्म करने के लिए जल्द से जल्द काम कर सके।

मैंने एजूकेशन की रिपोर्ट पढ़ी है। मुझे ऐसा मालूम होता है कि वह कमीशनों के नाम, कमेटियों के नाम और सब-कमेटियों के नाम की फेहरिस्त है। सारी रिपोर्ट नामों से भरी है। लेकिन यह कहीं नहीं लिखा है कि उन्होंने काम क्या किया है। इसलिए मैं आपसे यह दरख्वास्त करूंगा कि एजूकेशन को बदलना निहायत ज़रूरी है और जब तक हम इसको नहीं बदलेंगे हम राइट टाइप आफ सिटीज़न पैदा नहीं कर सकेंगे। अगर ज़रूरत हो तो पार्लियामेंट को इसके लिए एक नयी मिनिस्ट्री बनानी चाहिए या कोई नया कमीशन मुकर्रर करना चाहिए ताकि वह जल्द से जल्द इस ढांचे को बदल सके और हमारे मंशा के मुताबिक हमारे बच्चे तालीम हासिल कर सकें।

कांस्टीट्यूशन के मुताबिक यह यूनियन गवर्नमेंट का फर्ज है कि वह दस साल के अन्दर इस मुल्क के अन्दर कम्पलसरी तालीम लायेगी और तमाम मुल्क के अन्दर स्कूल एजूकेशन हो जायेगी। जिस तरह से आप मिलिटरी व कम्युनिकेशन्स या दूसरी ज़रूरी चीज़ों को यूनियन लेविल पर ट्रीट करते हैं उसी तरह से १४ साल तक के बच्चों की तालीम को भी यूनियन लेविल पर ट्रीट किया जाय और यह यूनियन गवर्नमेंट की जिम्मेदारी हो। तभी इल्लिटिरेसी दूर हो सकती है। शिक्षा एक चीज़ है और शब्द बोध दूसरी चीज़ है। इस वक्त मुल्क के अन्दर इल्लिटिरेसी इतनी ज्यादा है कि सरकार इसका अन्दाज़ा नहीं लगा सकती। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं कि किस तरह से लोगों में जहालत है। मैं अभी गांवों के अन्दर फिर रहा था तो जिस इलाके में भाखरा नागल की नहरों से पानी मिलने वाला है उन गांवों के अन्दर यह ख्याल पैदा हो रहा है कि यह पानी न हमारे इस्तैमाल के काबिल है, न हमारे जानवरों के पीने के काबिल है और न यह हमारी ज़मीन के लिए ही अच्छा होगा। वह कहते हैं कि यह पानी हमारी ज़मीनों को खराब कर देगा, हमें बीमार कर देगा और हमारे जानवरों को खराब कर देगा। मैंने पूछा क्यों। तो उन्होंने कहा कि इस पानी में से सरकार सारी की सारी बिजली तो निकाल ही लेती है। वह भाखरा में, नांगल में और चार पांच जगहों

[श्री रामदास]

पर इस में से बिजली निकाल लेती है। यह वह लोग कहते थे। मैंने उनसे कहा कि तुमने वाटर मिल चलते देखी है। उसमें पानी गिरता है और आटा पिसता है लेकिन क्या तुम उस पानी को नहीं पीते। तब उनको समझ में आया कि ऐसा भी हो सकता है। इस तरह की जहालत हमारे मुल्क के अन्दर है कि लोग आपकी बड़ी बड़ी स्कीमों को और बड़े बड़े कामों को नहीं समझ सकते। हमारे फादर आफ दी नेशन ने बेसिक एजूकेशन का मसला हमारे सामने रखा है। लेकिन उस पर अमल नहीं किया गया। उसकी ट्रेनिंग के लिए कोई इदारा नहीं है। सिर्फ दिल्ली में एक इदारा है। जहां बेसिक टीचर्स तैयार किये जाते हैं। मैंने उसका नाम पढ़ा है। लेकिन वह ६० लड़के सीनियर क्लास में दाखिल करते हैं और २० या ३० जूनियर क्लास में दाखिल करते हैं। अगर इस रेट पर दाखिला होगा और इस तरह से टीचर निकलेंगे तो क्या वे हमारी ज़रूरतों को पूरा कर सकेंगे। इस तालीम का तो यह उसूल है तालीम भी हासिल करो और कमाओ भी।

अभी एक आनरेबिल मेम्बर ने कहा कि यहां पर एक कैम्प कालिज है जो चार पांच साल से चल रहा है और रिफ्यूजीज की दरख्वास्त पर यह कालिज खोला गया था ताकि उनकी तालीम में सहूलियत हो। लेकिन इसको बन्द करने की कोशिश की जा रही है। इसकी तालीम सबसे अच्छी है। यहां फीस कम है, इसका डिसिप्लिन सबसे अच्छा है। इस इदारे की हिस्ट्री में आज तक किसी तालिबइल्म पर जुरमाना नहीं हुआ। इसकी हिस्ट्री में आज तक स्टाफ ने स्ट्राइक के लिए कोई दरखास्त नहीं दी और न स्ट्रीट्स के अन्दर जाकर उन्होंने डिमांस्ट्रेशन किया। मैं बतला सकता हूं कि वहां किस किस्म के लोग पढ़ते हैं। चपरासी वहां पढते हैं, भंगी वहां पढ़ते हैं और मजदूर और कुली वहां जाकर तालीम हासिल करते हैं।

६ म० प०

मैं समझता हूं कि हमारे मुल्क के अन्दर एक यही इदारा है कि जहां पर इस क़िस्म के लोग जाकर अपनी जहालत को दूर कर सकते हैं और इल्म हासिल करके अपने अन्दर इंसानियत ला सकते हैं। उसको बन्द क्यों किया जाता है। वह गवर्नमेंट से एक पैसा भी नहीं मांगता, सरकार से कोई रुपया नहीं मांगता, वह तो सिर्फ यह चाहते हैं कि हम को रिकाग्निशन दे दो और उसके लिये कहा जाता है कि दिल्ली की जो यूनिवर्सिटी है उसके जो क़वायद हैं, उनके मुताबिक़ यह नहीं हो सकता। मुझ को हैरानी है कि क़वायद इंसान के लिये हैं या इंसान क़वायद के लिये हैं। अगर दिल्ली के क़वायद इस बात की इजाज़त नहीं देते तो इसके लिये क़वायद बनाने चाहियें, न कि कालेज को बन्द कर दिया जाये बल्कि मैं तो कहूंगा कि आप तमाम स्टेट्स को डाइरैक्शन दे दें कि कम से कम हर एक कैपिटल के अन्दर एक एक कालेज इस क़िस्म के हों कि जहां पर कोई कुली हो, भिखारी हो, मजदूर हो, स्वीपर्स, भंगी हों वे सारे दिन काम करने के बाद वहां इल्म हासिल कर सकें। आप इस कालेज को बन्द करके उनके लिये इल्म का दरवाजा बन्द कर रहे हैं। क्या यह एजूकेशन मिनिस्ट्री का फ़र्ज़ है ?

लाला अचिंत राम (हिसार) : उसकी सहूलियत दी जायगी, उसमें कालेज में दाखिला होगा और स्टाफ को नहीं निकाला जायगा। एमिग्रन्ट्स और इमिग्रन्ट्स को कष्ट भी नहीं होगा।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य को अब अपना भाषण समाप्त करना चाहिये।

श्री रामदास : इसलिये बातें तो और बहुत हैं। लेकिन आपने घंटी बजा दी है। उस दिन यहां एक सवाल पूछा गया था।

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने घंटी एक बार नहीं, दो बार घंटी बजाई। अब बन्द कीजिये।

श्री नागप्पा चेट्टियार (रामनाथपुरम्) : मांग का समर्थन करते हुये मैं केवल हिन्दी के बारे में कुछ शब्द कहूंगा। संविधान में व्यवस्था की गई है कि हिन्दी १५ वर्ष के पश्चात् सरकारी भाषा हो जायेगी। दक्षिण में रहने वाले लोगों को भय है कि कहीं उनको इससे हानि न पहुंच जाये क्योंकि इस अवधि के समाप्त हो जाने पर भी वे हिन्दी को उतनी अच्छी तरह से न अपना सकेंगे जैसा कि उत्तर भारत में रहने वालों ने कर लिया है जिनकी वास्तव में हिन्दी उनकी मातृभाषा है। अतः मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह हिन्दी पर ज़ोर न दे।

श्री टी० एस० ए० चेट्टियार (तिरुप्पुर): मुझे यह देख कर बहुत दुःख हुआ है कि राष्ट्र भाषा के प्रश्न को लेकर हिन्दी और उर्दू का झगड़ा खड़ा हो गया है। मेरे विचार में राष्ट्र भाषा के केवल दो ही प्रकार के शत्रु हैं। एक तो वे जो इसका यों ही विरोध करते हैं जैसे दक्षिण भारत के रहने वाले और दूसरे वे लोग हैं जिनका दृष्टिकोण बहुत ही सीमित है और वे दूसरों पर अपनी भाषा लादने के पक्ष में हैं। मेरे विचार में आज जिन लोगों ने इस चर्चा में भाग लिया है वे अधिकतर दूसरी प्रकार के थे। ये लोग भाषा की भलाई करने की बजाय उसे नुकसान पहुंचा रहे हैं। इन लोगों ने शिक्षा मंत्रालय के विरुद्ध जिन शब्दों का प्रयोग किया है उन्हें भी मैं उचित नहीं समझता हूं। सदन को ऐसे शब्द सहन नहीं करने चाहियें।

मुझे यह सुन कर आश्चर्य हुआ था कि कोई अन्तर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक शब्दावली नहीं है। शिक्षा मंत्रियों और विश्वविद्यालयों के कुलपतियों के सम्मेलन ने यह सिफारिश की थी कि सामान्य भाषा बनाने के लिये हमें समस्त भारतीय भाषाओं में अन्तर्राष्ट्रीय शब्दों को ही अपना लेना चाहिये। यदि आप अन्तर्राष्ट्रीय शब्दों के लिये, विशेषकर विज्ञान से सम्बन्ध रखने वाले शब्दों के लिये अपनी भाषा में शब्द बनायेंगे तो उससे अनेक कठिनाइयां उत्पन्न हो सकती हैं। क्योंकि तामिल भाषा में मैं यह काम कर रहा हूं इसलिये मुझे इसका व्यक्तिगत अनुभव है। मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि आप दूसरों पर अपनी भाषा लादने का प्रयत्न न कीजिये, समझा बुझाकर काम लीजिये। पूर्वी पाकिस्तान में हाल ही में हुए निर्वाचन के परिणाम आप के सामने हैं। आप सबक सीखिये। मेरे विचार में इस कार्य में शीघ्रता करने से काम के बिगड़ जाने की आशंका है। यदि हिन्दी को ही राष्ट्र भाषा का स्थान मिलना है तो उसमें तेलगू, मराठी आदि के भी शब्द शामिल किये जाने चाहियें जिससे उसे अधिक से अधिक व्यक्ति समझ सकें। ऐसा किये जाने पर उसे दूसरों पर लादने की आवश्यकता न होगी।

माध्यमिक शिक्षा में हिन्दी का क्या स्थान होना चाहिये इस सम्बन्ध में भी मेरे अपने विचार हैं। जब मैं मद्रास राज्य में शिक्षा पुनर्संगठन के कार्य में लगा हुआ था तो मैंने तामिल या तेलगू को प्रथम स्थान, हिन्दी को दूसरा और अंग्रेजी को तीसरा स्थान दिया था। लेकिन इसके विपरीत हिन्दी भाषा भाषी क्षेत्रों में रहने वालों को केवल दो ही भाषाएं सीखनी पड़ती हैं—हिन्दी और अंग्रेजी। अतः मेरा निवेदन है कि यह असमानता दूर की जानी चाहिये तथा हिन्दी भाषा भाषियों को भी किसी एक और भारतीय भाषा का ज्ञान बढ़ाना चाहिये। इस बात को आचार्य नरेन्द्र देव कमेटी ने भी

[श्री टी० एस० ए० चेट्टियार]

स्वीकार किया है। आप को अपना दृष्टिकोण सीमित न रख कर उसमें उदारता लानी चाहिये।

यहां पर आप बराबर यही आलोचना करते रहते हैं कि शिक्षा मंत्रालय को कम राशि दी जाती है। शिक्षा के लिये और अधिक राशि की व्यवस्था की जानी चाहिये। परन्तु मुझे खद के साथ कहना पड़ता है कि इसी वर्ष शिक्षा मंत्रालय को नियत की गई लगभग २ करोड़ रुपये की राशि को व्यपगत होना पड़ा था क्योंकि मंत्रालय उसका उपयोग नहीं कर पाया था। यह एक ऐसी बात है जिस पर ध्यान दिया जाना चाहिये।

मंत्रालय के सम्बन्ध में हमें जो वार्षिक रिपोर्ट दी गई है उसमें कहीं पर भी इस बात का उल्लेख नहीं किया गया है कि पंचवर्षीय योजना द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार हमने कितनी प्रगति की है। यह एक ऐसी बात है जिस पर मेरे विचार में मंत्रालय को ध्यान देना चाहिये और भविष्य में इस दिशा में की गई प्रगति का अवश्य ही उल्लेख किया जाना चाहिये। यदि आप यह लिख देते हैं कि अमुक अमुक विषय पर राशि व्यय की गई तो इससे कोई लाभ नहीं होता। हम तो यह जानना चाहते हैं कि पंचवर्षीय योजना में जो लक्ष्य रखे गये हैं उनको हम कहां तक प्राप्त कर सके हैं। हम जानना चाहते हैं कि कितने नये स्कूल खोले गये और कितने और विद्यार्थियों को शिक्षित किया गया।

बेरोजगारी को दूर करने के लिये एक नयी योजना बनाई गई है। विश्वविद्यालयों से निकलने वाले नये नये स्नातकों को पढ़ाने का काम सौंपा गया है। इन व्यक्तियों को पढ़ाने का कोई अनुभव नहीं होता। मेरे विचार में इन व्यक्तियों को पढ़ाने का काम देना ठीक नहीं है क्योंकि इन लोगों को पढ़ाने का कोई अनुभव नहीं होता और हो सकता है इसका विद्यार्थियों पर उलटा प्रभाव पड़े। पढ़ाना कोई सरल काम नहीं है। यह एक विशेष विद्या है जिसके लिये उतने ही प्रशिक्षण की आवश्यकता है जितने कि किसी और कार्य के लिये। आप उन लोगों से पढ़ाने का काम नहीं ले सकते हैं जिनकी पढ़ाने की ओर प्रवृत्ति नहीं है। मेरी समझ में नहीं आता कि शिक्षा मंत्रालय ने ऐसी योजना कैसे स्वीकार कर ली है। स्नातक शिक्षकों को रखने के सम्बन्ध में पहले आंकड़े जमा किये जाने चाहियें कि उनका काम कहां तक सन्तोषजनक रहा है। मुझे शिक्षा का जो कुछ अनुभव है उसके आधार पर मैं कह सकता हूं कि यह प्रयोग कभी भी सफल नहीं हो सकता है। मैं मानता हूं कि आपने कुछ व्यक्तियों को रोजगार दे दिया किन्तु शिक्षा के सम्बन्ध में यह कदम ठीक नहीं रहा।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं माननीय मंत्री को अगले दिन बोलने को कहूंगा।

मौलाना आज़ाद : अब चूंकि वक्त नहीं है इसलिये मैं समझता हूं यह बेहतर होगा कि परसों आप मुझे क्वशचंस के बाद वक्त दें। मैं कोशिश करूंगा कि बीस मिनट के अन्दर अपनी तक़रीर खतम करूं।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : श्रीमान्, मैं ज्ञात करना चाहती हूं कि क्या वह सदस्य जिन्होंने किसी भी कटौती प्रस्ताव की सूचना न दी हो, सरकार की नीति की आलोचना कर सकते हैं और सदन का अधिकांश समय ले सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय: कोई भी माननीय सदस्य किसी भी कटौती प्रस्ताव पर अपने विचार प्रगट कर सकता है चाहे वह प्रस्ताव किसी ने भी प्रस्तुत किया हो।

सदस्यो के वेतन तथा भत्ते के सम्बन्ध में संकल्प

उपाध्यक्ष महोदय: अब सभा वेतन और भत्ते दिये जाने के विषय में संयुक्त समिति के प्रतिवेदन के सम्बन्ध में संकल्प पर विचार करेगी।

श्री राधेलाल व्यास (उज्जेन) : मैं एक औचित्य प्रश्न रखना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : संकल्प प्रस्तुत होने दीजिये। बिना कोई चीज़ सामने होने के औचित्य प्रश्न कैसे रखा जा सकता है।

डा० सुरेश चन्द्र (औरंगाबाद) : मेरा औचित्य प्रश्न उस प्रश्न के सम्बन्धमें है जिस पर अभी चर्चा समाप्त हुई है।

उपाध्यक्ष महोदय : आपको औचित्य प्रश्न तभी रखना चाहिये था। अब उसके लिए समय नहीं रहा।

संसद कार्य मंत्री (श्री सत्य नारायण सिन्हा) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सदन संसद् के सदस्यों को वेतन तथा भत्ते दिये जाने और उनके संक्षिप्त पदनाम के विषय में संसद् के सदनों की संयुक्त समिति की सब सिफारिशों का अनुमोदन करता है तथा उन्हें स्वीकार करता है विशेषत: इस सिफारिश को कि दैनिक भत्ते की दर स्वेच्छा से कम कर के संसद् के इस सत्र के प्रारम्भ से ४० रुपये से घटा कर ३५ रुपये कर दी जाये।"

श्रीमान्, दस दिन पूर्व, १७ मार्च को डा० लंका सुन्दरम् के प्रस्ताव का उत्तर देते हुए मैंने सभा में यह संकल्प २७ तिथि को अर्थात्, आज प्रस्तुत करने का वचन दिया था। तदनुसार मैंने संकल्प प्रस्तुत किया है। सभा को याद होगा कि उस समय मैंने कहा था कि सरकार इस संकल्प को वापस समिति को भेजना पसन्द करेगी ताकि परिवर्तित परिस्थितियों में वह सदस्यों के यात्रा के और दैनिक भत्तों पर पुनर्विचार कर सके। मैं स्वीकार करता हूं कि जबसे समिति ने सिफारिशें की हैं, बहुत कुछ हो चुका है। इसलिए यह उपयुक्त है कि सारे प्रश्न पर चर्चा की जाये और उस पर नये सिरे से विचार किया जाये। मैंने देखा है कि क्रम पत्र में मेरे कई मित्रों के नाम बहुत से संशोधन हैं। मैं सिवाये श्री वेंकटारमन के संशोधन के सम्बन्ध में, जिसमें सारे प्रश्न को पुन: पुरानी समिति को भेजने का सुझाव रखा गया है, अन्य संशोधनों के बारे में कुछ नहीं कहूंगा। मैं इस संशोधन को स्वीकार करता हूं।

डा० लंका सुन्दरम (विशाखापटनम्) : क्या वही संशोधन जो आज मध्याह्न पश्चात् परिचालित किया गया था ?

श्री सत्य नारायण सिन्हा : आखिरी संशोधन जो मध्याह्न पश्चात् परिचालित किया गया था मैं इसे पढ़ कर सुनाऊंगा। सभा को याद होगा कि इस संयुक्त समिति में, जिसे अध्यक्ष ने दूसरे सदन के सभापति के परामर्श से नाम निर्दिष्ट किया था, दोनों सदनों के सब दलों के सदस्य थे। दोनों सदनों में एक एक रिक्ति थी। इस सदन की रिक्ति डा० श्याम प्रसाद मुकर्जी की दुखद मृत्यु के कारण हुई थी और दूसरे सदन में श्री अमोलक चन्द के निवृत्त होने के कारण।

श्री ए० पी० सिन्हा (मुजफ्फरपुर पूर्व) : वे पुन: चुने गये हैं।

श्री सत्य नारायण सिन्हा : उन्होंने शपथ ग्रहण नहीं की है और वे पदस्थ नहीं हैं।

श्री राधेलाल व्यास : श्री लाल बहादुर शास्त्री भी।

श्री सत्य नारायण सिन्हा : वे मंत्री हैं और छ: मास समाप्त होने तक वे कार्य करते रहेंगे।

[श्री सत्य नारायण सिन्हा]

श्रीमान्, मैं आप द्वारा अध्यक्ष महोदय से प्रार्थना करता हूं कि वे इन रिक्तियों को पूरा करें, इस सदन की रिक्ति को और सभापति के परामर्श से दूसरे सदन की रिक्ति को भी मेरे जिन मित्रों ने संशोधनों की सूचना दी है मैं उनके प्रति आदर सहित कहना चाहता हूं कि इस समय उन संशोधनों पर चर्चा करने का कोई लाभ नहीं होगा। मेरा यह विनम्र अभिमत है कि सब दलों के सदस्य इस विषय पर अनौपचारिक रूप से चर्चा कर सकते थे। जैसा मैंने पहले कहा इस समिति में सब दलों के प्रतिनिधि हैं। अन्ततः इस विषय का अन्तिम निर्णय उस समिति ने करना है। समिति की सिफारिशों को एक विधेयक में समाविष्ट किया जायेगा और यदि आवश्यकता हुई तो सरकार उस विधेयक को दोनों सदनों के समक्ष रखेगी। मेरा विचार है कि सदन को इस विधेयक पर चर्चा करने के लिए काफी अवसर मिलेगा। इस लिए सदन से मेरी प्रार्थना है कि वे श्री वेंकटारमन के संशोधन सहित, जो औपचारिक रूप से प्रस्तुत किया जा रहा है, मेरे संकल्प को यदि एक मत से नहीं तो कम से कम बिना विरोध के स्वीकार कर लें। मैं फिर दोहराता हूं कि सरकार की यह इच्छा है कि वह यथा सम्भव इस विधान को इसी सत्र में दोनों सदनों में पारित करवा सके।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

श्री राधेलाल व्यास : मेरा एक औचित्य प्रश्न है। समितियों की नियुक्ति के लिए विभिन्न नियमों के अधीन विभिन्न उपबन्ध किये गये हैं। ऐसे स्पष्ट नियम हैं जिनके अधीन अध्यक्ष को समिति नियुक्त करने का अधिकार है और वह समिति संसदीय समिति कहलाती है। अब इस समिति को अध्यक्ष ने नियुक्त किया है परन्तु नियमों के अनुसार यह सदन द्वारा नियुक्त समिति नहीं है। नियमों में ऐसा कोई उपबन्ध नहीं है जिसके अधीन इस प्रकार की संयुक्त समिति नियुक्त की जाये। संयुक्त प्रवर समिति नियुक्त की जा सकती है और उसमें भी दूसरे सदन की स्वीकृति की आवश्यकता है। इस मामले में ये प्रश्न है कि सर्वप्रथम क्या यह संसदीय समिति होगी, दूसरे क्या अध्यक्ष संयुक्त समिति का नाम निर्दिष्ट कर सकते हैं और तीसरे यदि हम इस संकल्प को स्वीकार भी कर लें तो क्या हम दूसरे सदन की स्वीकृति के बिना ऐसा कर सकते हैं? औपचारिक रूप से हम यह प्रस्ताव रख सकते हैं और हमें यह उपबंध रखना चाहिये कि दूसरे सदन की स्वीकृति अवश्य ली जानी चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या माननीय मंत्री ने इस विषय में कुछ कहना है?

श्री सत्य नारायण सिन्हा : जब पहली समिति नियुक्त की गई थी तो माननीय सदस्य इस प्रश्न को रख सकते थे। उस समय इसका उल्लेख नहीं किया गया इसलिए इस समय इस प्रस्ताव को नियम विरुद्ध कहना मान्य नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने अभिलेखों में देखा है कि अध्यक्ष ने ६ जून १९५२ को सदस्यों को वेतन और भत्ते देने के सम्बन्ध में संयुक्त समिति की नियुक्ति की घोषणा की थी और बताया था कि यह समिति राज्य परिषद् के सभापति के परामर्श द्वारा नियुक्त की जा रही है। यह संसदीय समिति होगी और इसे संसदीय समिति के सभी अधिकार प्राप्त होंगे। इसलिए मैं कहता हूं कि मौन अर्द्ध-स्वीकृति है। जहां तक इस विषय का सम्बन्ध है उस समय कोई प्रश्न नहीं उठाया गया था। दूसरे, यह विषय समिति को वापस भेजते समय माननीय सदस्य यह देख सकते हैं कि

ठीक पहली ही समिति है अथवा नहीं जहां तक तीसरे विन्दु का प्रश्न है, दूसरा सदन इस पर विचार कर के अपने सदस्य भेज सकता है।

श्री एस० एस० मोरे : मेरा निवेदन है कि आपने मंत्री को समिति के पुराने सदस्यों के नामों का उल्लेख करने के लिए कहा था।

उपाध्यक्ष महोदय : जी नहीं, माननीय सदस्य ने मुझे गलत समझा है। मैंने कहा था कि उन नामों को पढ़ने की बजाये उन्हें समिति के सदस्यों के नाम समझ लिया जाये। इस संकल्प को इस रूप में लिया जाये कि वे ही व्यक्ति समिति के सदस्य हैं, जिनके नाम इस सदन के अभिलेख में दर्ज हैं।

श्री एस० एस० मोरे : मेरा औचित्य प्रश्न यह है कि यदि माननीय मंत्री आपके सुझाव के अनुसार सदस्यों के नाम पढ़ कर सुनायें तो क्या वे दूसरे सदन की स्वीकृति के बिना उस सदन के सदस्यों के नाम भी सुनायेंगे और क्या यह प्रक्रिया ठीक होगी ?

दूसरा प्रश्न यह है कि क्या जिस समिति के नाम सुनाये जाने हैं, उसे नई समिति समझा जायेगा अथवा उसे पुनःनिर्मित समिति माना जायेगा।

फिर आपने कहा है कि उस समय समिति की नियुक्ति के सम्बन्ध में आक्षेप न उठाने के कारण उस नियुक्ति को स्वतः ही मान्यता प्राप्त हो गई थी। उस समय समिति की नियुक्ति प्रक्रिया के नियमों के प्रथम संस्करण के अनुसार की गई थी जिन्हें हमने तब पढ़ा नहीं था। हमारी अनभिज्ञता को स्वीकृति नहीं समझा जाना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय : इन तर्कों के आधार पर मैं संकल्प को नियम विरुद्ध घोषित नहीं कर सकता। पहली बार सभा ने स्वीकृति दे दी थी, अब औचित्य प्रश्न रखने का कोई लाभ नहीं।

यदि किसी प्रविधिक आक्षेप के आधार पर माननीय मंत्री दूसरे सदन के सदस्यों के नाम प्रस्तुत नहीं कर सकते तो दूसरा सदन इस विषय पर विचार कर के हमें बता सकता है।

श्री सत्य नारायण सिन्हा : जहां तक पुरानी समिति के सदस्यों का सम्बन्ध है उन्हें उनकी स्वीकृति से लिया गया था। यदि हम दूसरे सदस्यों को लें तो स्वीकृति का प्रश्न उत्पन्न होगा। जहां तक पुरानी समिति का सम्बन्ध है उसकी स्वीकृति पहले है।

उपाध्यक्ष महोदय : इसके अतिरिक्त वह केवल एक मंत्रणाकार समिति है और जब तक इसका विधेयक द्वारा प्रवर्तन न हो पुराने नियमों में परिवर्तन नहीं हो सकता। अब कोई औचित्य प्रश्न नहीं रहता है। माननीय सदस्य अपना संशोधन प्रस्तुत करें।

श्री वेंकटारमन् (तंजोर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"That for the original resolution, the following be substituted, namely :—

'That the Report of the Joint committee of the Houses of Parliament on payment of salary and allowances to and abbreviations for Members of Parliament be referred back to the committee with instructions—

(i) that in view of the abolition of the First class on Railways, the questions of T.A. admissible to Members or grant of free passes

[श्री वेंकटारमन्]

should be examined and recommendation made as to the conditions under which T.A. or free passes should be regulated; and

(ii) that in view of the further experience gained since the Report was presented, the question of salary or allowances or salary-*cum*-allowances for Members should be re-examined.' "

"कि मूल संकल्प के स्थान पर निम्न-लिखित रखा जाये, अर्थात् :

'कि संसद के सदस्यों को दिये जाने वाले वेतन तथा भत्ते उनके संक्षिप्त पदनामों के विषय में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त समिति के प्रतिवेदन को इन अनुदेशों सहित समिति को लौटा दिया जाये —

(१) कि रेलों में पहले दर्जे की समाप्ति को ध्यान में रखते हुए सदस्यों को दिये जाने वाले यात्रा भत्तों और निःशुल्क पासों के प्रश्न पर विचार किया जाये तथा यात्रा भत्तों तथा निःशुल्क पासों के दिये जाने को किस प्रकार नियमित किया जाय इस सम्बन्ध में सिफारिश की जाये ; तथा

(२) कि प्रतिवेदन के प्रस्तुत किये जाने के समय से प्राप्त अग्रेतर अनुभव को ध्यान में रखते हुए, सदस्यों को दिये जाने वाले, वेतन अथवा भत्ता, या वेतन तथा भत्ता के प्रश्न पर पुनर्विचार किया जाये।' "

डा० रामा राव : मैं एक औचित्य प्रश्न रखना चाहता हूं। यदि आप उसे स्वीकार करेंगे तो यह संशोधन नहीं रखा जा सकेगा।

उपाध्यक्ष महोदय : यह अभी सदन के समक्ष नहीं रखा गया। इसे प्रस्तुत करने से पूर्व मैं औचित्य प्रश्न सुनूंगा, और यदि मैं माननीय सदस्य से सहमत हुआ तो इसे प्रस्तुत नहीं किया जायेगा।

श्री वेंकटारमन् : समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात् कतिपय कई बातें और परिस्थितियां पैदा हो गई हैं। कई रेलों में प्रथम श्रेणी समाप्त कर दी गई है और संसद् सचिवालय ने इस आधार पर प्रथम श्रेणी का किराया वापस ले लिया है। समिति ने इस विषय पर विचार नहीं किया इस पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है।

प्रस्तुत किये गये संशोधनों से पता चलता है कि यह भावना भी विद्यमान है कि पारिश्रमिक वेतन व भत्तों के रूप में दिया जाये। इस विषय की भी जांच की जानी है।

मैं यह समझता हूं कि संसद सदस्यों के वेतन, दैनिक भत्ते, यात्रा भत्ते आदि के प्रश्न पर इस सदन में चर्चा करना उचित नहीं है, और यह अच्छा भी नहीं लगता है। यदि समिति में ही विभिन्न दलों के नेतागण एक मत से इस सम्बन्ध में कोई निर्णय कर लें तो अच्छा होगा।

मेरे संशोधन का एक कारण और भी है। यह संसद सार्वजनिक मामलों पर विचार विमर्श करने के लिये है न कि स्वयं अपने से सम्बन्धित प्रश्नों पर। मैं समझता हूं कि यदि मेरा संशोधन स्वीकार कर लिया जायेगा तो सदन का समय भी बचेगा। इस मामले को फिर से समिति के पास भेज दिया जाना चाहिये।

श्री राधेलाल व्यास ने जो आपत्ति की है उसके उत्तर में मुझे यह कहना है

कि सन १९५२ में जो नियम थे उनके अधीन यह प्रस्ताव नियम विपरीत नहीं है।

डा० रामा राव : अन्य संशोधनों की अपेक्षा इस संशोधन को प्राथमिकता क्यों दी गई है ?

उपाध्यक्ष महोदय : अध्यक्ष किसी भी संशोधन को अधिमान दे सकता है। मूल संकल्प में कहा गया है कि समिति के प्रतिवेदन को अभी और यहीं स्वीकार कर लिया जाये। इसके सम्बन्ध में बहुत से संशोधन आये हैं, जिनमें तरह तरह की बातें कही गई हैं। श्री वैंकटारमन का संशोधन अन्य संशोधनों से भिन्न प्रकार का है। उनका प्रस्ताव है कि इस सारे मामले को फिर से समिति के पास भेज दिया जाये। जब कोई विधेयक सदन के समक्ष आता है, तो यदि उसको प्रवर समिति के पास भेजने या उसके परिचालन का कोई प्रस्ताव होता है तो उस संशोधन को प्राथमिकता दी जाती है। यही सिद्धान्त यहां पर लागू किया गया है।

श्री राधेलाल व्यास : मैं एक दूसरा औचित्य प्रश्न उठाना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय ने राज्य परिषद् के सभापति के परामर्श से जो विचारणीय प्रश्न घोषित किये थे, यह संशोधन उसके क्षेत्र को विस्तृत करता है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या बिना राज्य परिषद् के सभापति के पूर्व परामर्श के, एक संकल्प के द्वारा इसका क्षेत्र बढ़ाया जा सकता है ?

उपाध्यक्ष महोदय : हमें अपने वेतन को घटाने के लिये उनकी सहमति की आवश्यकता नहीं है। वे अपने यहां के लिये कोई भी निर्णय कर सकते हैं। हम चाहें तो समिति को ऐसे मामलों पर विचार करने का निदेश दे सकते हैं जो कि मूलतः उसके विचारार्थ नहीं भेजे गये थे। अतः यहां पर कोई औचित्य प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है। यदि यह संशोधन स्वीकार कर लिया जाता है, तो समिति को एक अतिरिक्त निर्देश किया जायेगा, अन्यथा मूल संकल्प रहेगा और इसे निकाल दिया जायेगा। इसके स्वीकार कर लिये जाने पर अन्य संशोधनों पर विचार करना आवश्यक नहीं है। मैं यह भी बता दूं कि किसी भी प्रवर समिति या इस प्रकार की समिति के नियमों के अधीन माननीय सदस्य उसकी बैठक में उपस्थित होकर चर्चाओं में सक्रिय भाग ले सकते हैं। केवल उनको मताधिकार प्राप्त नहीं होगा।

अब इस सम्बन्ध में कोई भी निर्णय करना सदन का काम है। मैं सदन की इच्छानुसार ही कार्य करूंगा।

श्री एस० एस० मोरे : अन्य संशोधनों का क्या होगा ?

उपाध्यक्ष महोदय : उन पर भी विचार किया जायेगा।

श्री एस० एस० मोरे : मेरा निवेदन है कि सभी संशोधनों को औपचारिक रूप से प्रस्तुत किया गया समझा जाये, इससे हम को अपने विचारों को व्यक्त करने में सहायता मिलेगी।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं माननीय सदस्य के सुझाव को स्वीकार करता हूं।

श्री एस० एस० मोरे : जब हम मंत्रियों के, आपके, तथा अध्यक्ष महोदय के वेतन के सम्बन्ध में वाद विवाद कर सकते हैं तो समझ में नहीं आता कि हम अपने वेतन के सम्बन्ध में वाद विवाद क्यों नहीं कर सकते हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय : काम अधिक होने के कारण हम को छै महीने से लेकर आठ महीने तक संसद की बैठक में भाग लेना पड़ता है। यदि माननीय सदस्य चाहते हों तो मैं इसके लिये तैयार हूं कि मैं इन सब संशोधनों को प्रस्तुत किया गया मान लूं। उसके बाद यह सब एक समिति के सिपुर्द कर दिये जायें। उसके बाद सब माननीय सदस्य मिल कर

[उपाध्यक्ष महोदय]

एक रास्ता निकाल लें। यदि इतने पर भी मतैक्य न हो पाये तो यह सदन तो है ही।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती (बसीरहाट) : इन संशोधनों की सभी बातों पर समिति भली प्रकार विचार कर चुकी है।

उपाध्यक्ष महोदय : डा० रामा राव ने अपने संशोधन में एक बिल्कुल नई योजना रखी है। प्रश्न यह है कि क्या यहां उस पर चर्चा होनी चाहिये ? मैं केवल इस प्रश्न पर वाद विवाद करने की अनुमति दूंगा कि इसे समिति के सिपुर्द किया जाये या नहीं। इस चर्चा के समाप्त हो जाने पर मैं एक एक संशोधन को लूंगा। अब मैं श्री वेंकटारमन् का संशोधन रखूंगा। माननीय सदस्य इस सम्बन्ध में अपने विचार प्रकट करें। यदि सदन का मत है कि यह प्रश्न अभी सदन द्वारा तैयार कर दिया जाये तो मैं एक एक करके सभी संशोधनों को लूंगा।

डा० लंका सुन्दरम : मेरा सुझाव है कि श्री वेंकटारमन के संशोधन के अन्त में यह बढ़ा दिया जाये, "क्रम पत्र में संशोधनों को ध्यान में रखते हुए समिति की कार्यवाही सदन को सूचित की जाये और सदस्यों को उपस्थित होने की अनुमति दी जाये।"

विधि तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री (श्री बिस्वास) : मेरा सुझाव है कि संशोधन केवल इतना हो कि यह प्रश्न समिति को लौटा दिया जावे। समिति के सामने यह सारा का सारा मामला होगा, सारे संशोधनों के अतिरिक्त वे भी सभी बातें होंगी जो संशोधनों में नहीं रखी गई हैं। यदि निर्देश के निबन्धन सामान्य हों तो समस्त सदन को संतोष हो जाना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं यह प्रस्ताव सदन के सामने रख रहा हूं। इस पर मैं बहुत सीमित चर्चा किये जाने की अनुमति दूंगा। इसके बाद में सदन का मत लूंगा। यदि सदन तै करता है कि इसे समिति के पास भेज दिया जाये तो कोई संशोधन प्रस्तुत नहीं किया जायेगा। क्या श्री वेंकटारमन् डा० लंका सुन्दरम का संशोधन मानने के लिये तैयार हैं ?

श्री वेंकटारमन् : हां।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ—

"कि मूल संकल्प के स्थान पर यह रख दिया जावे :

'That the Report of the Joint Committee of the Houses of Parliament on payment of salary and allowances to and abbreviations for Members of Parliament be referred back together with the Amendments on the order paper, to the committee with instructions—

(i) that in view of the abolition of the First class on Railways, the question of T.A. admissible to members or grant of free passes should be examined and recommendation made as to the conditions under which T.A, or free passes should be regulated; and

(ii) that in view of the further experience gained since the report was presented, the question of salary or allowances or salary-*cum*-allowances

for members should be re-examined.' "

['कि संसद् सदस्यों को दिये जाने वाले वेतन तथा भत्ते तथा उनके संक्षिप्त पदनामों के विषय में संसद् के दोनों सदनों की संयुक्त समिति का प्रतिवेदन क्रम पत्र के संशोधन के साथ, इन अनुदेशों सहित, समिति को लौटा दिया जाये—

(१) कि रेलों में पहले दर्जे की समाप्ति को ध्यान में रखते हुए सदस्यों को दिये जाने वाले यात्रा भत्तों तथा निशुल्क यात्रा पासों के प्रश्न पर विचार किया जाये तथा यात्रा भत्तों तथा निशुल्क पासों के दिये जाने को किस प्रकार नियमित किया जावे इस सम्बन्ध में सिफ़ारिश की जाये; तथा

(२) कि प्रतिवेदन के प्रस्तुत किये जाने के समय से प्राप्त अग्रेतर अनुभव को ध्यान में रखते हुए सदस्यों को दिये जाने वाले 'वेतन अथवा भत्ता' या 'वेतन तथा भत्ता' के प्रश्न पर पुनः विचार किया जाये।' "]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री सारंगधर दास :

श्री सारंगधर दास : मुझे याद है कि संविधान सभा में जब भत्ता ४५ रुपये के बजाये ४० रुपये कर दिया गया था तो किसी ओर से भी कोई आपत्ति नहीं उठाई गई थी । परन्तु अब १९५२ में जब यह प्रस्ताव समिति के सामने रखा गया तो प्रत्येक विकल्प पर विचार किया गया । अब वह प्रतिवेदन सदन के सामने है तथा संसद् कार्य मंत्री का प्रस्ताव है सदन इस समिति की सिफ़ारिशों को स्वीकार कर ले अर्थात् यह मान ले कि दैनिक भत्ता ३५ रुपया हो तथा यात्रा भत्ता पहले की तरह मिलता रहे । पहले रेलों में पहला दर्जा होता था । अब पहला दर्जा नहीं होता है । मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं तथा चाहता हूं अभी सदन में इस संशोधन पर चर्चा की जाये तथा मतगणना हो । साथ ही साथ मैं संसद् कार्य मंत्री के प्रस्ताव का स्वागत करता हूं ।

[**पंडित ठाकुरदास भार्गव** पीठासीन हुए]

डा० रामा राव : श्री वेंकटारमन् ने स्वीकार किया है कि इसको फिर से समिति के पास भेजने का उद्देश्य केवल यह है कि यह सारी बातें पर्दे में की जावें । जो लोग यहां बैठे हम पर हंस रहे हैं उन्हें न मालूम होने पाये कि अपने वेतन तथा भत्ते के सम्बन्ध में हमारी मनोवृत्ति कैसी है ।

हम अन्य मंत्रालयों तथा विभागों के सम्बन्ध में कहते हैं कि वह अनावश्यक विलम्ब करते हैं और हम स्वयं पिछले २१ महीनों से इस मसले को चला रहे हैं । प्रत्येक सत्र के समय कितने ही संशोधनों की सूचना दी जाती है तथा रीम के रीम काग़ज़ ख़र्च होते हैं । संयुक्त समिति में हमारे प्रतिनिधियों ने सुझाव दिया था कि ३०० रुपया महीना वेतन हो तथा १० रुपया प्रतिदिन भत्ता दिया जाये । उस समय किसी ने इसे स्वीकार नहीं किया था । मैं यह मानता हूं कि हम लोगों को वेतन तथा भत्ता मिलना चाहिये क्योंकि हम हवा फांक कर तो जीवन निर्वाह नहीं कर सकते हैं । परन्तु प्रश्न तो यह है कि जिस निर्धन तथा बेकार जनता का हम प्रतिनिधित्व करते हैं उसकी दशा के साथ हमारे वेतन तथा भत्ते का कुछ सामंजस्य होना चाहिये ।

श्री बिस्वास : जब उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन थे तो उन्होंने विनिर्देश दिया था कि जो चर्चा हो वह केवल इसी प्रश्न तक सीमित रहे कि यह प्रश्न समिति को लौटाया जाये या नहीं । यदि प्रस्ताव अस्वीकृत हो जाये तो

[श्री बिस्वास]

सुझाव के गुणावगुण पर विवाद करने की अनुमति दी जायेगी ।

डा० रामा राव : मैं सभी सदस्यों से, विशेषत: कांग्रेस दल के सदस्यों से अपील करूंगा कि हम इस मसले को एक बार अन्तिम रूप से तै कर दें । ऐसा न किया जाये कि यह मसला फिर समिति को लौटाया जाये उसके बाद राज्य परिषद् से टक्कर हो, और उसके बाद यह मामला टलता रहे ।

इस सम्बन्ध में मान तथा प्रतिष्ठा की बात भी चलाई गई है । हमारी मान तथा प्रतिष्ठा इसलिये है कि हम लाखों आदमियों का प्रतिनिधित्व करते हैं या इससे है कि हम कितना रुपया व्यय करते हैं तथा कितना वेतन पाते हैं । हम में से अधिकांश को गांधीजी का संसर्ग प्राप्त होने का सौभाग्य मिला है । हम उतनी सादगी तो नहीं अपना सकते हैं पर कम से कम इस टालने वाली नीति का अनुसरण करने के स्थान पर हम इस मसले को तय तो कर सकते हैं ।

डा० लंका सुन्दरम : मैं डा० रामाराव के इस मत से सहमत नहीं हूं कि यह प्रक्रिया सरकारी दल ने इस मामले को टालने के लिये ग्रहण की है । इस प्रश्न के गणावगुण के सम्बन्ध में मैं कुछ कहना नहीं चाहता हूं क्योंकि इस सम्बन्ध में आपका विनिर्देश इसकी अनुमति नहीं देता है । यदि सदन इस संशोधन को स्वीकार करले तो मैं समिति से केवल एक ही बात कहना चाहता हूं और वह यह है कि यह संसद् सदस्यों के मान तथा प्रतिष्ठा का प्रश्न नहीं है प्रश्न तो यह है कि जो भत्ता हमको दिया जाता है उससे दुहरी गृह-व्यवस्था करना आर्थिक रूप से नितान्त असम्भव है ।

पंडित एस० सी० मिश्र (मुंगेर उत्तर-पूर्व) : इसमें कोई सन्देह नहीं कि इस सम्बन्ध में विरोधी दल को एक फ़ायदा है । क्योंकि विरोधी दल वालों की संख्या कम है इस लिये वे सोचते हैं कि यदि वह अपनी टांग काटने की धमकी दें तो इस ओर शायद ३५० टांगें कट जायेंगी ।

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

उपाध्यक्ष महोदय : यह सब अप्रासंगिक हैं । प्रश्न तो केवल इतना है कि संशोधन इत्यादि समिति को लौटाये जायें या नहीं ।

पंडित एस० सी० मिश्र : मेरी प्रार्थना यह है कि हम लोग अपना मत स्थिर कर लें, जल्दी से निर्णय करें तथा शीघ्र ही इस मसले को यहां निपटा दें ।

श्री वी० जी० देशपांडे : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस प्रस्ताव को उस समिति के पास फिर से भेजने का तीव्र विरोध करता हूं । मेरे इस विरोध का पहला कारण तो यह है कि एक ऐसी कमेटी ने जिसमें इस सदन के बड़े योग्य और सम्माननीय नेता शामिल थे और उन्होंने दोनों सदनों के सदस्यों की इस सम्बन्ध में सलाह लेने के पश्चात् उनका मत जान लेने के पश्चात् यह प्रतिवेदन तैयार किया और वह सदन के सामने एक साल से पेश है और मैं समझता हूं कि यह हमारा कहना कि हम यह प्रतिवेदन देखना नहीं चाहते हैं, कुछ इस तरह की बात करना मेरी समझ में इस समिति का अपमान करना है और उसकी अवहेलना करना है । इसके अतिरिक्त हम इसे सदन के सामने इसलिये ले जाना चाहते हैं, क्योंकि हम पर्दे में विश्वास नहीं करते हैं और इसलिये मैं नहीं चाहता कि यह चीज़ पर्दे में रख कर की जाय । यह कहा गया है कि इस सम्बन्ध में बहुत सी बातें हैं जो पत्रों में नहीं जानी चाहियें, उनकी चर्चा नहीं होनी चाहिये । मेरी समझ में इसमें कोई ऐसी बात नहीं है । हम अगर अपने लिये तनख्वाह ज्यादा लेना चाहते हैं तो इसमें छिपाने की

क्या बात है, हम आकर खुल्लमखुल्ला कह सकते हैं कि हम इतनी तनख्वाह लेना चाहते हैं। हम देश के बड़े से बड़े नेताओं को किसी को २७ हज़ार देते हैं किसी को ६० हज़ार देते हैं और किसी को ७२ हज़ार रुपया देते हैं, तो इससे उनके प्रति हमारे आदर की भावना कम नहीं होती है, तो अगर ग़रीब बेचारे संसद् के सदस्य को हम ज़्यादा तनख्वाह देने की बात कहते हैं तो इससे हमारे भवन की या हमारे लोगों की प्रतिष्ठा देश में कुछ कम हो जायगी, ऐसा मैं नहीं मानता हूं। जहां तक मेरा सम्बन्ध है, मैं स्वयं यह तनख्वाह बढ़ाने के पक्ष में नहीं हूं। यहां पर प्रश्न यह नहीं है कि मैं बढ़ाना चाहता हूं या कम करना चाहता हूं, प्रश्न इतना ही है कि यह प्रतिवेदन आने के पश्चात ऐसी कोई बात नहीं हुई है और हमारे जो पार्लियामेंटरी अफ़ेयर्स के मंत्री हैं उनके द्वारा या हम लोगों के द्वारा इस प्रतिवेदन को फेंक देना उचित न होगा और ऐसा करके हम ग़लती करेंगे। मैं जानता हूं कि यह बात क्यों हो रही है इसमें उनका उद्देश्य फिर से इसे कमेटी के पास भेजने में यह है कि आपके कुछ लोग तनख्वाह बढ़वाना चाहते हैं और फिर से इसे कमेटी में भेज कर अपना मक़सद हासिल करना चाहते हैं और साथ ही जनता के सामने यह कह सकें कि इसके लिये ए० के० गोपालन भी कहते हैं और हम लोग भी कहते हैं, असल में इसको समिति के पास फिर से भेजने में यही चीज़ काम कर रही है। मैंने तो जैसे पहले कहा मैं इसमें कोई छिपाव नहीं करना चाहता हूं। मैं तो कहता हूं कि सरकार इस सम्बन्ध में ज़िम्मेदारी से अपनी सिफ़ारिशें रखे और उनके अनुसार इस सदन के सामने बिल ले आये, अब यह सदन उसका समर्थन भी कर सकता है और उसका विरोध भी कर सकता है। आपका इसको फिर समिति के पास भेजना इस मंशा से है कि वहां जाकर तनख्वाह बढ़वा सकें। लेकिन सदन के सामने इसको छिपाना इतने बड़े लोगों के लिये इस प्रकार की नीति शोभा नहीं देती है। इसलिये यह प्रतिवेदन समिति के पास न भेजा जाय, यह मेरी प्रार्थना है।

श्री सत्य नरायण सिन्हा : मुझे खेद है कि मैं संकल्प के सम्बन्ध में माननीय सदस्य की आलोचना [illegible] समझ नहीं [illegible]का हूं। अधिकांश आलोचना असंगत है। मेरे कुछ मित्रों ने सरकार पर पर्दे के पीछे से कार्यवाही करने का आरोप लगाया है। यह आरोप निराधार है। यदि सरकार चाहे तो इस समिति के अनपेक्ष भी इस विषय सम्बन्धी कोई विधान प्रस्तुत कर सकती है।

श्री एस० एस० मोरे : तो सरकार ऐसा करती क्यों नहीं है ?

श्री सत्य नारायण सिन्हा : हम इस सम्बन्ध में इस सदन के सदस्यों का मत ज्ञात करना चाहते थे। सरकार के लिये समिति की सिफ़ारिशों के आधार पर कोई विधान प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं है। समिति के सुझावों के अनपेक्ष भी यदि वह चाहे तो एक नया ही विधान प्रस्तुत कर सकती है। विधान के प्रस्तुत किये जाने पर सदस्यों को उसका विरोध करने अथवा उसके प्रवर समिति को निर्दिष्ट किये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव करने का पर्याप्त अवसर मिलेगा।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री इस मामले के सम्बन्ध में अधिकतम सहमति चाहते हैं।

श्री सत्य नारायण सिन्हा : इसमें दलबन्दी का कोई प्रश्न नहीं है। जहां तक सरकार का सम्बन्ध है उसने दैनिक भत्ते को घटाने या बढ़ाने के सम्बन्ध में कोई निर्णय नहीं किया है। यदि माननीय सदस्य यह चाहते हैं कि उसे कम करके २० या १५ रुपया कर दिया जाये या बढ़ा कर ५० रुपया कर दिया जाये, तो

[श्री सत्य नारायण सिन्हा]

सरकार को इस पर कोई आपत्ति नहीं है। इस मामले में सरकार ने पूर्ण रूप से कोई पूर्व धारणा नहीं बनाई है। यदि अधिकांश सदस्य यथा स्थिति को चालू रखना चाहते हैं, तो सरकार को उस सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है। जैसा कि बताया जा चुका है, इस मामले को समिति को पुनः निर्दिष्ट करने का कारण रेलवेज़ में पहले दर्जे का समाप्त कर दिया जाना है। अतः इस प्रश्न पर समिति द्वारा पुनर्विचार किया जायेगा। मैं यह भी निवेदन कर दूं कि सरकार इसी सत्र में इस विषय सम्बन्धी एक विधान को प्रस्तुत करने का प्रयत्न करेगी।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री वेंकटारमन के संशोधन को मतदान के लिये प्रस्तुत करता हूं। प्रश्न यह है कि :

"मूल संकल्प के स्थान पर यह रख दिया जाये:—

'That the Report of the Joint Committee of the Houses of Parliament on payment of salary and allowances to and abbreviations for Members of Parliament be referred back, together with the Amendments on the order paper, to the Committee with instructions—

(i) that in view of the abolition of the First class on Railways, the question of T.A. admissible to members or grant of free passes should be examined and recommendation made as to the conditions under which T.A., or free passes should be regulated; and

(ii) that in view of the further experience gained since the report was presented, the question of salary or allowances or salary-*cum*-allowances for members should be re-examined."

['कि संसद् सदस्यों को दिये जाने वाले वेतन तथा भत्ते तथा उनके संक्षिप्त पदनामों के विषय में संसद् के दोनों सदनों की संयुक्त समिति का प्रतिवेदन क्रम पत्र के संशोधन के साथ, इन अनुदेशों सहित, समिति को लौटा दिया जाये—

(१) कि रेलों में पहले दर्जे की समाप्ति को ध्यान में रखते हुए सदस्यों को दिये जाने वाले यात्रा भत्तों तथा निशुल्क यात्रा पासों के प्रश्न पर विचार किया जाये तथा यात्रा भत्तों तथा निशुल्क पासों के दिये जाने को किस प्रकार नियमित किया जावे इस सम्बन्ध में सिफ़ारिश की जाये; तथा

(२) कि प्रतिवेदन के प्रस्तुत किये जाने के समय से प्राप्त अग्रेतर अनुभव को ध्यान में रखते हुए सदस्यों को दिये जाने वाले, 'वेतन अथवा भत्ता', या 'वेतन तथा भत्ता' के प्रश्न पर पुनः विचार किया जाये।']

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

इसके पश्चात सभा सोमवार २९ मार्च १९५४ को दो बजे तक के लिये स्थगित हुई।